खण्ड-400, अंक-7
बृहस्पतिवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(21 फरवरी, 1991 ई0)

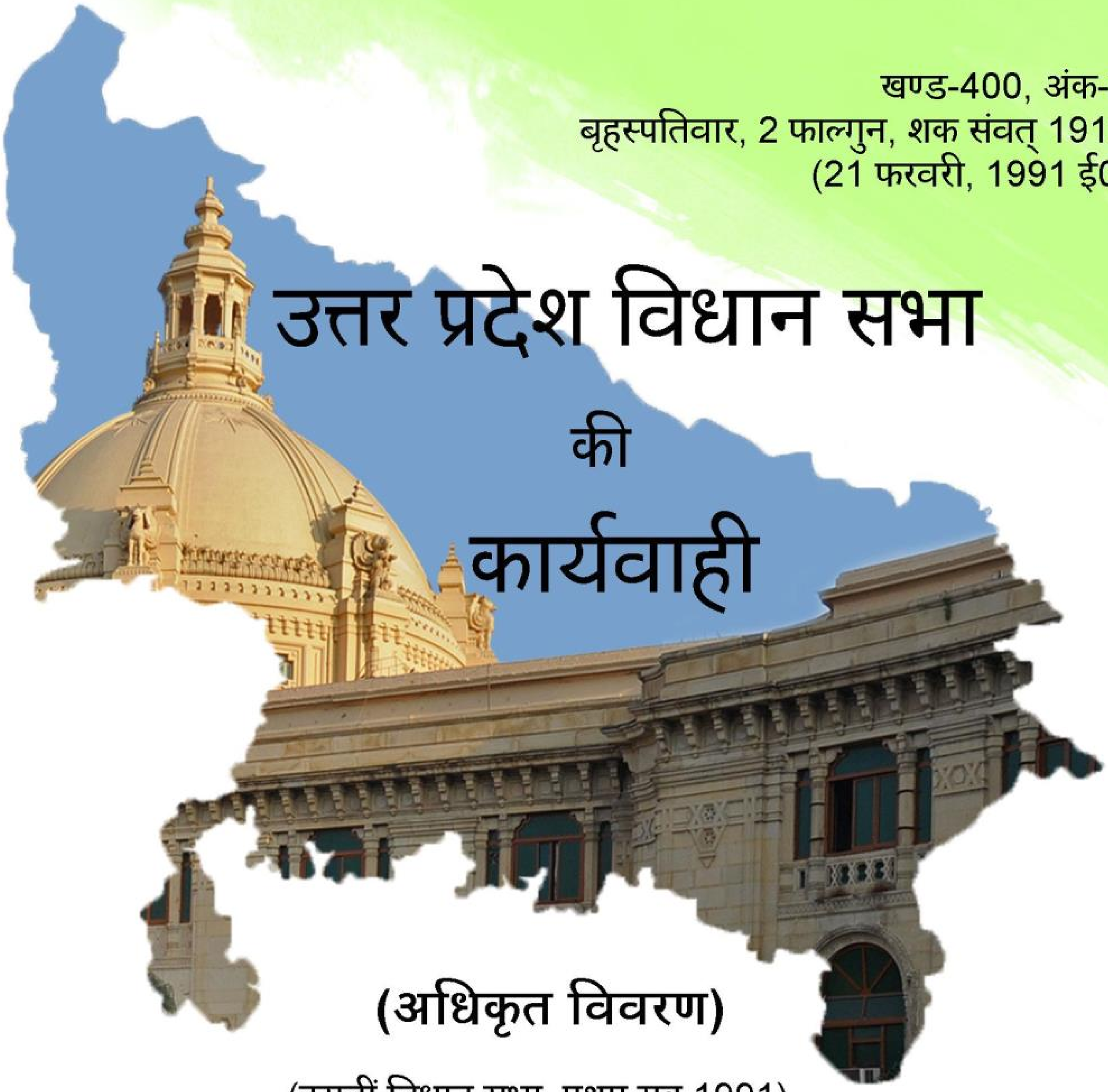

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
वाराणसी दक्षिण में अभूतपूर्व पेय जल संकट के सम्बन्ध में, नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1–3
प्रश्नोत्तर	3–102
जनपद मेरठ के, मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	102
वाराणसी दक्षिण में अभूतपूर्व पेय जल संकट के सम्बन्ध में, नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना	103
जनपद मेरठ के, मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	107
कार्य स्थगन की सूचनायें	114
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	115
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	116
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	116
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश सरकारी बाद (अविवक्ताओं का आबंधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाईसेन्स का व्यवस्थापन (टेंडर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	118
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	118
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	118
भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	118
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	118
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	118
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का छठा प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	119
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	119
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का आठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	119
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का नवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	119
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1990-91) का 29 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	120
कार्य मंत्रणा समिति के समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	120
जनपद मेरठ के, मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	122
नियम 301 की सूचनायें	124
जनपद वाराणसी में सोरियावां विकास खण्ड की समाज सेवा समिति गोपीपुर में प्रौढ़ शिक्षा के अनुदान की राशि में कथित रूप से किये जा रहे घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित गढ़ीया माइनर से रबी फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
भूतपूर्व अध्यापिका श्रीमती कटोरी देवी का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद हरदोई में हरपालपुर में तहसील बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद देवरिया में भटनी शुगर मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद फिरोजाबाद में मटसेना विद्युत उपकेन्द्र पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद उन्नाव में जिला सहकारी बैंक तथा उसकी शाखाओं में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद मेरठ के मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास	129
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित)	132
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित) ..	134
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित)	136
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित) ..	139
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 (पारित) ..	144
नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना.. ..	150
वित्तीय वर्ष 1990–91 का प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत) ..	150
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	150
नत्थियां	151–153

विधान परिषद सचिवालय

मेरा पदुआ विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त, अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।—

अकबर अली, श्री	जालौन
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमरमणि, श्री	महाराजगंज
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कमला साहनी, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा
तेजपाल, श्री	बिजनौर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दुर्गा प्रसाद या व, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
धर्मपाल, श्री	बहराइच
नजमुद्दीन, श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र उत्तम, श्री	फतेहपुर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
फौजदार प्रसाद, श्री	मऊ
बलदेवा सिंह, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महावीर सिंह "आजाद", श्री	मुजफ्फरनगर
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद उल्लाह चौधरी, डा०	मुरादाबाद
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रामरति बिन्दु, श्री	वाराणसी
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	बदायू
रामेश्वरी, श्रीमती	बिजनौर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रुद्र प्रसाद, श्री	मिर्जापुर
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विशुन दयाल, श्री	बहराइच
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शर्मेन्द्र त्यागी, श्री	मुरादाबाद
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शेख मो० सुलेमान, श्री	बिजनौर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायू
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सी० बी० इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
सैय्यद लियाकत, हुसैन, श्री	फतेहपुर
हर नारायण सिंह श्री	रायबरेली
हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरीश कुमार गंगवार, श्री	पीलीभीत

अध्यक्ष पदेन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 21 फरवरी, 1991

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

वाराणसी दक्षिण में अभूतपूर्व पेय जल संकट के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व ही वेल आफ दि हाउस में बैठ गये)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं0 1 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, सदन व्यवस्थित नहीं है । जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाये, कार्यवाही कैसे चल सकती है ?

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इनकी बात सुन ली जाये । बनारस में पानी नहीं पहुंच रहा है ।

श्री अध्यक्ष

आप अपने स्थान पर जायें और मेरी बात को सुन लें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

मैं अनशन प्रारम्भ कर चुका हूं । आप मेरी बात को सुन लें ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी दादा अपने स्थान पर चले गये)

श्री हृदय नरायन–

मान्यवर, क्या आपने नियमों को निलम्बित कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

मेरे कक्ष में उनसे वार्ता हो गयी है ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

क्या मान्यवर प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ?

श्री अध्यक्ष–

समाप्त नहीं हुआ है । इसमें दो मिनट ही लगेंगे ।

श्री श्याम देवराय चौधरी दादा–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वहां पर पानी नहीं है । पानी का बहुत बड़ा संकट व्याप्त हो गया है । . .

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल के व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए सदन के फ्लोर पर आ जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया । 11 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । 11 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य, श्याम देव राय चौधरी दादा से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा मैं आपको समय दे दूंगा अपनी बात को कहने के लिए ।

श्री ऊदल–

यह बात आप पहले ही कह दिए होते तो काहे के लिए इतनी अव्यवस्था होती ।

श्री अध्यक्ष–

हमारे मा0 ऊदल जी बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रणाली बनी हुई है कि किसी भी प्रदेश में लोक सभा में अध्यक्ष के कमरे में जो बात नेताओं में तय हो जाती है उसी के अनुरूप ही कार्य होता है । आज भी इस विषय में हमारे कमरे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मा0 सदस्य श्याम देव राय चौधरी दादा से वार्ता हुई और उसमें यह बात तय हुआ था कि हमारे निवेदन पर वह चले जायेंगे । मैं उनसे यही कहने जा रहा हूं कि इससे पूर्व मैं उनसे यह कहता कि प्रश्नकाल के बाद में मैं यह सब सुनूंगा, अन्य सदस्य 'वेल' के अन्दर आ गये । अब आपको यह निर्णय करना पड़ेगा कि इसके दो-तीन रास्ते हैं कि माननीय सदस्य-गण वेल में न आयें और अगर आते हैं तो फिर मेरे निवेदन करने पर वापस चले जायें । यदि वे वापस नहीं होते हैं तभी मैं सदन को स्थगित कर देता हूं । अब अगर मैं सदन को स्थगित न करूं तो फिर मैं इंगित करूं ? वह आप निर्णय कर लें कि वेल में आने पर हम क्या करें ?

श्री ऊदल–

मैं आपके कहने पर अपने द्वारा कही बात को वापस ले रहा हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 1 के पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 विद्यार्थी जी ने एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बात पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नकाल के बाद जिन माननीय सदस्यों ने नियम 311 में सूचना दी है, मैं उनको सुनूंगा । इनकी सूचना नियम 56 की है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नियम 311 अपनी जगह पर है और नियम 56 अपनी जगह पर है ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, प्रश्नकाल को व्यवस्थित कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब आप मेरी बात को सुन लें । नियम 311 में मा0 सदस्य मेरी अनुमति से बोल सकते हैं, अगर मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं तो मुझे धारा को बदलने का अधिकार है ।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम 311 और नियम 56 में अब कोई बोलेगा तो आपकी अनुमति से ही बोलेगा । मैंने सूचना प्रश्न की अनिवार्यता, महत्ता और अतिआवश्यकता को देखते हुए ही इस नियम में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

बहरहाल मैंने आपको बतला दिया कि मा0 विद्यार्थी जी के प्रश्न को नियम 56 में ले लिया है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1

प्रदेश में नहरों की सफाई की जांच के लिए, क्षेत्रीय विधायकों की अध्यक्षता में गठित कमेटियों को समाप्त करके नयी कमेटी गठित करने का प्रयास

*1–श्री हृदय नारायण तथा श्री मुक्ति नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई की जांच के लिए क्षेत्रीय विधायकों की अध्यक्षता में गठित कमेटियां माह दिसम्बर, 1990 जनवरी, 1991 में समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनके स्थान पर कोई नई कमेटियां बनाने जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

जी हां ।

नहरों की समुचित एवं पर्याप्त सफाई न होने की शिकायतों को दृष्टिगत करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत नहरों की सिल्ट सफाई तथा अन्य मरम्मत संबंधी कार्यों की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त एक समय-बद्ध कार्यक्रम को स्थानीय विधायकों तथा ब्लाक समिति को सूचित करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ताकि कार्य की प्रगति के दौरान इसकी देख-रेख की जा सके।

इस प्रकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, अभी तक व्यवस्था थी कि नहरों की सिल्ट की सफाई की जांच का कार्य पूरा हो जाने के बाद मा0 विधायकों की अध्यक्षता में क्षेत्र के अधिकारी जो प्रतिनिधि होते थे वह जांच करते थे और लिखकर देते थे कि सफाई हो गयी है कि नहीं, यह व्यवस्था अब समाप्त हो गयी है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि अब आगे नहरों की सिल्ट सफाई तथा अन्य मरम्मत संबंधी कार्यों की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त एक समयबद्ध कार्यक्रम को स्थानीय विधायकों तथा ब्लाक समिति को सूचित कर दिया जायेगा, तो यह व्यवस्था भी पहले से है सफाई का कार्यक्रम विधायकों के पास पहले से आ जाता था। इसलिये जानना चाहता हूं कि कहां कहां से शिकायतें आयीं और किन किन विधायकों से सफाई के संबंध में शिकायतें आयीं हैं कि सफाई नहीं हुई है जिससे आपको यह व्यवस्था करनी पड़ी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मुझे यह बताया गया कि मा0 विधायकों के पास समय नहीं है कि प्रमाणीकरण कर सकें, इसलिये यह व्यवस्था की गयी कि मा0 सदस्य को सबसे पहले लिखकर भेज दिया जाये और बी0 डी0 सी0 को भी लिखकर भेज दिया जाये कि कार्य प्रारम्भ होने से पहले यह कार्य क्षेत्र में होने हैं जिससे कार्य चलता रहे और विधायक भी देखते रहें और जांच करते रहें।

श्री मनोहर लाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि, जैसा अभी कहा गया कि विधायकों और बी0 डी0 सी0 को सूचित कर दिया जायेगा तो, बहुत जगहों पर विधायकों ने गलत लिखकर दे दिया कि सफाई हो गयी है और जबकि सफाई नहीं हुई है कमीशनखोरी के चक्कर में, तो क्या मंत्री जी विधायकों को बिल्कुल अलग कर देंगे जो शिकायतें विधायक करेंगे उस पर कार्यवाही होगी कि नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

यदि मा0 सदस्य इस तरह का कोई प्रकरण संज्ञान में लाये तो बतायेंगे।

श्री मनोहर लाल–

मैं लाऊंगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, उत्तर के संबंध में जैसा पहले विधायकों और बीच में बी0 डी0 सी0 के सदस्य आने लगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की गंभीर शिकायत लिखकर दिया और उसके बाद बैंक डेट में बी0 डी0 सी0 के सदस्य अधिशासी अभियंता ने उसमें हस्ताक्षर करा लिये और भुगतान भी करा दिया है। इसलिये विधायकों के कसौटी में रहने और न रहने से कोई लाभ नहीं है। इसलिये क्या मंत्री जी विधायकों को जो अधिकार दिया गया है उसकी अवहेलना बी0 डी0 सी0 का सदस्य, विकास खण्ड अधिकारी, भी बैंक डेट में हस्ताक्षर कर दे, और हमारे निरीक्षण को बेकार कर दे, और भुगतान हो जाये तो क्या इस पर कोई कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह परिवर्तन इसलिए किया गया है, जो मैं स्पष्ट कर चुका हूं, किन्तु लगता है कि शायद उसे उन्होंने ठीक से सुना नहीं। हमारे माननीय सदस्य इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की जांच करने जाएं, तो उससे उनका सम्मान घटता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यह किया गया है कि जो काम शुरू हो, उसकी माननीय सदस्यों को पहले सूचना दे दी जाए। काम शुरू होने से पूर्व सूचना मिल जाएगी, तो जब काम शुरू होगा तो वह यह उनके प्रतिनिधि या अन्य कोई जनप्रतिनिधि उनके काम को जाकर देख सके। बाद में शिकायत होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि आपका नियन्त्रण भी सही रहे और काम भी ठीक हो।

श्री मुक्तिनाथ–

जैसा सिंचाई मंत्री ने स्वीकार किया है कि विधायकों को देखरेख करने का उसमें पूर्ण अधिकार है, तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि अगर विधायकों को सूचना दी जाती है और वह देखरेख कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब किसी भी विधायक या जन-प्रतिनिधि को कोई भी सूचना नहीं दी गई और कागज में ही काम करके फर्जी भुगतान ले लिया गया है, तो ऐसी शिकायतें जो मंत्री जी या अधिकारियों को गई हैं, उस पर वह समुचित कार्यवाही कराने की क्या कुछ करेंगे ?

श्री बाबूराम यादव–

जो व्यवस्था अब की गई है वह पहले से अच्छी और बेहतर व्यवस्था है। फिर भी यदि इसके बाद का ऐसा कोई प्रकरण है तो वह उसे हमारी जानकारी में लाएं, हम निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, इसमें सफल नियन्त्रण करने के मामले में एक ही व्यवस्था करने की बात है, इसे वह कर दें तो सब ठीक हो जाए। वह यह है कि नहर में जो खुदाई होती है, उसे मेजर-बुक या एम0 बी0 में दिखाया जाता है, किन्तु उस एम0 बी0 को हम लोगों में से कोई भी नहीं देख सकता है। यह गड़बड़ी की सबसे बड़ी बातें हैं। उसे किसी को नहीं दिखाया जाता है। तो उस एम0 बी0 को बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में प्रस्तुत करने का अधिकार दे दिया जाए, जिससे वह वहां पर उसे देखकर सत्यापन की कार्यवाही कर सकें, तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या मंत्री जी एम0 बी0 को बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में पेश करने की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बाबूराम यादव–

माननीय राणा जी इस विधान सभा के सदस्य हैं और आप इंजीनियर का काम देखेंगे तो आपकी गरिमा घटेगी, इसलिए आप उसे न देखें, किन्तु . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

राणा जी आप तो उत्तर नहीं आने दे रहे हैं। बीच में बोल रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने किसी सदस्य के वेरीफिकेशन के लिए नहीं कहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में एम0 बी0 आवें और उसे उसमें प्रस्तुत करते हुए सबके सामने रखा जाए। यह मैंने कहा है। माननीय सदस्यों का स्पोंबल घटाने की बात नहीं कही है मैंने।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, वह एम0 बी0 की जांच करना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने पर विचार

**2–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समान शिक्षा नीति को लागू करने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)–

जी हां।

शासन द्वारा गठित सचिवों की सचिव समिति में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह विभिन्न प्रमुख पहलू क्या हैं? सचिव समिति का संदर्भ क्या है? कौन-कौन सचिव हैं? यह प्रकरण कब संदर्भित किया गया? इस संबंध में रिपोर्ट कब तक सचिव समिति शासन को प्रस्तुत कर देगी? इसके लिए कोई अवधि तय की गई है?

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं पर जिज्ञासा व्यक्त की है उसके बारे में बता दूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सचिव समिति का गठन किया गया है जिन बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया है वह हैं :–

शिक्षा के क्षेत्र में समान शिक्षा नीति को लागू करने एवं अभिजात वर्गों के प्रति पक्षपात समाप्त किये जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सचिव समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव, अध्यक्ष, सचिव. पर्वतीय विकास विभाग, सदस्य, सचिव, वित्त विभाग, सदस्य, सचिव नियोजन विभाग सदस्य, सचिव नियोजन विभाग सदस्य. सचिव शिक्षा (प्रथम) सदस्य, सचिव शिक्षा (द्वितीय) सदस्य संयोजक, इस समिति के सदस्य होंगे। यह समिति सामान्य स्तर पर सामान्य प्रकार की शिक्षा के संबंध में विभिन्न पार्टी/समिति/वर्ग द्वारा दिये गये सुझावों पर एक कार्यकारी योजना बनायेगी और उसे समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू करने के लिए सुझाव देगी। यह समिति अपने निर्णय जल्दी ही शासन को उपलब्ध करा दें ऐसे प्रयास किए जायेंगे।

डा0 दिनेश जौहरी–

सामान्य शिक्षा नीति लागू करने की नीति बनी है तो क्या पब्लिक स्कूल बन्द करने की कोई बात है?

श्री अशोक बाजपेयी–

समिति बनाने का उद्देश्य मैंने स्पष्ट कह दिया है शिक्षा के क्षेत्र में समान शिक्षा नीति को लागू करने एवं अभिजात वर्गों के प्रति पक्षपात समाप्त किये जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, शिक्षा नीति को चलाने के उद्देश्य से सचिवों की समिति को निर्धारित किया गया है उसका उद्देश्य क्या है और वह कब तक रिपोर्ट देगी ? पब्लिक स्कूल समाप्त करने का प्राविधान नहीं हुआ, तो संविधान की धारा-30 के रहते ही अगर समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि संविधान की धारा-30 के रहते हम समान शिक्षा नीति लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो पूर्व में आ गया है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय सदस्य ने उत्तर तो स्पष्ट कर दिया है । संविधान की धारा-30 का किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं होगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में किसानों को सिंचाई कार्य हेतु डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की मांग

*1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई कार्य हेतु डीजल नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो किसानों को डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)–

सिंचाई कार्य हेतु डीजल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के निदेश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं । भारत सरकार द्वारा इस वर्ष डीजल का आवंटन पिछले वर्ष के संबंधित माह की वास्तविक खपत के आधार पर किया जा रहा है । जब कि डीजल की मांग में प्रति वर्ष वृद्धि होती है। इस कारण से डीजल की उपलब्धता सीमित रही है और स्थिति से निपटने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं:–

(1) डीजल की सीमित मात्रा का जिलेवार समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए तेल कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हर जिले के आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा निरन्तर की जा रही है ।

(2) फरवरी व मार्च के महीनों में वर्ष 1990 में डीजल की वास्तविक खपत वर्ष 1989 की अपेक्षा कम थी अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर डीजल की उपलब्धता फरवरी व मार्च के महीनों में काफी कम हो जाने की आशंका थी । अतः यह व्यवस्था करा दी गयी है कि फरवरी व मार्च के महीनों का आवंटन वर्ष 1990 और वर्ष 1989 के इन माहों की वास्तविक खपत को देखते हुए जिस वर्ष भी अधिक खपत होगी, उसके आधार पर किया जायेगा ।

(3) रबी की फसल में सिंचाई के लिए डीजल की विशेष आवश्यकता को देखते हुए तथा अन्य कृषि कार्यों के महत्व को देखते हुए लगभग 15 हजार किलो लीटर का अतिरिक्त आवंटन कृषि कार्यों के लिए प्राप्त किया गया जिसका जिलेवार आवंटन कृषि विभाग के परामर्श से कर दिया गया है ।

(4) जिलाधिकारियों को इस बात के स्पष्ट निदेश दिये गये हैं कि कृषि व कृषि से संबंधित कार्यों के लिए डीजल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि डीजल की उपलब्धता सीमित हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी उपलब्धता पिछले साल थी और इस साल कितनी उपलब्धता करा पाये हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार ने जिलाधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि वह डीजल की राशनिंग कर दें ? क्या किसानों को एक सप्ताह में केवल 15 लीटर डीजल देने के आदेश किये गये हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या राशनिंग लागू कर दी गयी है तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि राशनिंग न तो लागू की गयी है और न निकट भविष्य में लागू करने का विचार है ।

(शोर)

एक सदस्य–

महोदय इस पर चर्चा करायी जाय, उत्तर सत्य से परे है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले बैठ जायें ।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी बोल रहे हैं, यदि उनके बोलने में आपको कोई बात अनुचित लगती है तो आप तत्काल खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो जानकारियां चाही हैं। पहली, क्या सरकार ने डीजल की राशनिंग करने का कोई आदेश जिलाधिकारियों को दिया है । इस पर मैंने कहा कि राशनिंग लागू करने के संबंध में जिलाधिकारियों को न तो कोई निर्देश दिया गया है और न राशनिंग लागू करने का सरकार का कोई इरादा है । दूसरी बात आपने कही कि डीजल की कुछ कमी महसूस हो रही है तो इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर साल डीजल की खपत में कुछ बढ़ोत्तरी होती है । पंपिंग सेट्स बढ़ते हैं वेहिकिल्स बढ़ती हैं और दूसरी आवश्यकतायें बढ़ती हैं। इसीलिये हर साल, पिछले साल जितना डीजल भारत सरकर देती है उसके मुकाबले 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है। इस बार खाड़ी संकट को देखते हुए भारत सरकार ने 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया था जिस पर हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो वह जो 10 प्रतिशत वृद्धि होती थी हर साल, वह वृद्धि नहीं हुई, लेकिन पिछले साल की खपत के मुकाबिले (भाषण के मध्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर व्यवधान)

मैं किसी तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । मैंने कहा कि हर साल 10 प्रतिशत हमारे कोटे में वृद्धि की जाती थी, तो सरकार ने 10 प्रतिशत की कटौती नहीं किया है, इसलिए पिछली साल जिस जिले में जितना पेट्रोल या डीजल लिफ्ट किया गया था जिस महीने में इस वर्ष उस जिले को उतना ही पेट्रोल और डीजल उस माह में दिया जा रहा है, कटौती नहीं की गयी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से सदन में व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि राशनिंग नहीं की है, यह सदन को माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों ने 15 लीटर डीजल एक सप्ताह में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए एक कार्ड बनवाया है और हर कार्ड पर किसानों का फोटो लगवाया है। जिन जिलाधिकारियों ने इस तरह का काम किया है, क्या आप उन जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् मैंने पहले ही निवेदन किया कि राशनिंग नहीं लागू की गयी है

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)।

श्री प्रमोद कुमार–

इस पर मान्यवर, चर्चा स्वीकार कर ली जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि राशनिंग लागू नहीं है और न लागू करने का इरादा है, लेकिन इस बात को निरन्तर कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपके इस इरादे और इस आदेश के बावजूद कुछ जिलाधिकारी के कार्यालय में इस तरह के कार्य हो रहे हैं

(भाषण के मध्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

अतएव इस प्रश्न पर मैं नियम 49 के अन्तर्गत 1 घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूँ ।

प्रदेश में सिंचाई के अधिकतम लक्ष्य पूर्ति हेतु, कम सरकारी ट्यूबवेल वाले जिलों में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

*2–श्री हृदय नारायण तथा श्री मुक्ति नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सिंचाई के अधिकतम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कम सरकारी ट्यूबवेल वाले जिलों में सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने के संबंध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश के सबसे ज्यादा सरकारी ट्यूबवेल वाले 10 जिलों और सबसे कम सरकारी ट्यूबवेल वाले 10 जिलों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय नलकूपों का निर्माण उस जनपद में नहरों, राजकीय नलकूपों, निजी नलकूपों तथा अन्य उपलब्ध सिंचाई साधनों को तथा जनपद की भूगर्भ जलीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है ।

प्रदेश में सबसे अधिक संख्या वाले कार्यरत सरकारी नलकूप वाले दस जिलों के नाम निम्न हैं:–

वाराणसी, इलाहाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, फैजाबाद, अलीगढ़, बस्ती तथा गाजीपुर ।

प्रदेश में सबसे कम संख्या वाले कार्यरत सरकारी नलकूपों वाले दस जिलों के नाम निम्न हैं:–

अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, सोनभद्र, ललितपुर, मथुरा, कानपुर (नगर) तथा गढ़वाल ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, यह हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

यह गलत उत्तर पढ़ रहे हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण जी, आप अपने सदस्यों से बोलिये कि किस नियम में बोल रहे हैं जब मैं कह रहा हूं कि वह प्रश्न कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि सदन को नियम पूर्वक अगर आप चलायें तो यह नहीं होता । यह नहीं होता अगर नियमों के तहत ही ठीक तरह से चलाने का कष्ट करते ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या सदन आप नियमपूर्वक नहीं चला रहे हैं ।

(जनता दल की ओर से "चमचा है, चमचा है" की आवाजें आने से घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, सवाल बड़ा साफ है । प्रदेश में सिंचाई के अधिकतम लक्ष्य की पूर्ति हेतु मैंने सरकार की नीति जाननी चाही थी । जिन क्षेत्रों में सिंचाई सबसे कम हो रही है कम सिंचान क्षमता वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आगे ट्यूबवेल लगाने वक्त क्या नीति अख्तियार होगी तो इसका उत्तर आया है कोई नीति नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में ट्यूबवेल लगाते समय कौन सी नीति अख्तियार की जायेगी ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने उत्तर ध्यान से नहीं सुना, ऐसा लगता है । मैंने यह बताया है कि इसमें नीति की बात नहीं कही गयी है, केवल यह कहा गया है कि नहरों की उपलब्धता और भूगर्भ जल की उपलब्धता के आधार पर नलकूपों का निर्माण होता है ।

(व्यवधान)

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा कि सबसे कम जो ट्यूबवेल हैं, उनके बारे में 10 जिलों के नाम दिये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में कोई नलकूप छिद्रित हुआ है ?

(घोर व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मा0 सदस्यों को प्रदेश में जो कम जनसंख्या वाले जनपद हैं–अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, सोनभद्र, ललितपुर, मथुरा, कानपुर (नगर) तथा गढ़वाल, उनके नाम बताए । इसके साथ ही मैंने यह भी साफ बताया कि भूगर्भीय जल की स्थिति कैसी है, इसके आधार पर नलकूप छिद्रित होते हैं । यह एक प्राकृतिक संसाधन है, इस पर कोई नीति नहीं बनाई जा सकती ।

श्री मुक्तिनाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में सरकारी नलकूपों के मापदण्ड में लिखा हुआ है कि भूगर्भीय जल की स्थिति को देखते हुए निर्धारण करते हैं । मान्यवर, सबसे ज्यादा नलकूप वाली सूची में देवरिया का नाम दिया है । यह तथ्य से परे है । माननीय मंत्री जी, क्या इस भूगर्भीय जल की स्थिति को देखते हुए देवरिया में पुनः सर्वेक्षण करायेंगे ? (घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको स्थगित कर दें । यह एक नीतिगत सवाल है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, देवरिया जनपद में 903 नलकूप लगाये गये, मेरे पास सूची है ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस सवाल को स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर एवं प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अतीक अहमद के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नत्थी (क) का तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं ।

प्रदेश सरकार से, कुकिंग गैस की कमी को देखते हुए 'कैश एण्ड कैरी' योजना लागू करने की मांग

*3–श्री अतीक अहमद (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुकिंग गैस की आपूर्ति की क्या व्यवस्था की गई है ? क्या मंत्री जी कुकिंग गैस की कमी को देखते हुए कैश एवं कैरी योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू किये जाने हेतु पुनः विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी गैस की कमी को दूर करने हेतु प्राइवेट होटलों, जलपान गृहों और हलवाइयों को की जाने वाली आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

प्रदेश के 49 जनपदों में 50 प्रतिशत कैश एवं कैरी तथा 50 प्रतिशत होम डिलीवरी की व्यवस्था के माध्यम से द्रवित पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) का वितरण कराया जा रहा है । शेष 14 जनपदों में कुकिंग गैस वितरण में और सुधार लाने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत होम डिलीवरी व्यवस्था लागू की गयी है ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में कैश एवं कैरी व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में पुनः विचारोपरान्त वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सरकार सक्षम है प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारिक उद्देश्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गुरुवार, दिनांक 21-2-91 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

वाराणसी-मिर्जापुर अंतर्गत ऊदलपुरा-नरोत्तमपुर लिफ्ट पम्प नहर में जल उपलब्ध कराने की मांग

*1—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-मिर्जापुर अंतर्गत ऊदलपुरा-नरोत्तमपुर लिफ्ट पम्प नहर अंतिम छोर नरोत्तमपुर तक पूर्णरूप से खोदकर तैयार कर दी गयी है ? क्या किसानों को कृषि हेतु नहर में नरोत्तमपुर तक जल प्लावित हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन नहर में पानी न आने की कठिनाइयों के कारणों को शीघ्र दूर करके किसानों को सिंचाई के लिए नहर में जल उपलब्ध कराने की शीघ्र व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं ।

जी नहीं । विद्युत उपलब्धता की कमी तथा नहर पूर्ण न होने के कारण सींच नहीं हो सकी ।

स्वतंत्र फीडर बनाकर निरन्तर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने, शेष 370 मी0 नहर के निर्माण एवं सुधारात्मक कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत ग्राम नरोत्तमपुर के क्षेत्र में डाल सिंचाई द्वारा सिंचाई करना सम्भव हो सकेगा ।

(व्यवस्था)

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर मंत्री जी उत्तर से संबंधित पत्रावली ढूढ़ रहे हैं, सदन का समय बरबाद हो रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इस सवाल को भी स्थगित कर दीजिए ।

(माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, यह नहर 10 वर्षों से बन रही है, लाखों रुपये व्यय हो चुका है, इंजीनियर्स के निकम्मेपन के कारण आज तक नहर में पानी नहीं गया है । इस नहर की जो कमियां हैं जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें । माननीय सदस्य प्रश्न करें।

श्री राज किशोर सिंह–

नरोत्तमपुर तक पानी नहीं पहुंचता है, नहर को ऊंचा करायें, शेष खुदाई का कार्य जो बाकी है उसको पूरा करायें । जो विद्युत व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त धन कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत करा दिया गया है, नहर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो पानी कैसे पहुंच जायेगा । विद्युत आपूर्ति के लिए संसाधन जुटाये जा रहे हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब यह नहर स्वीकृत हुई थी तो इसका क्या समय निर्धारित किया गया था और कब तक यह नहर पूरी करा देंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय, अध्यक्ष जी, यह वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है कि कब तक काम पूरा हो जायेगा ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि सन् 1989 तक पानी देंगे लेकिन अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है और अब यह कह रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है । ये वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध करा देंगे और नहर में जितना पानी है वहां पर जाना चाहिए लेकिन वह भी नहीं जा पा रहा है तो ऐसा क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि जितना पानी नहर के लिए आवण्टित था, 30 क्यूसेक क्षमता की नहर है, उतना पानी जा रहा है ।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

लेकिन नहर अभी तक पूरी बन नहीं पायी है इसलिए अधिक पानी वहां पर पहुंचाना सम्भव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की मांग

*2–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदूषण रोकने हेतु प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे? क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के उपकरण न लगाने वाली शराब की भट्ठियों को शीरे की आपूर्ति बन्द करके आर्थिक दण्ड लगाने पर विचार करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के सक्षम प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाती है जिसके अन्तर्गत उद्योग को जल एवं वायु सहमति न प्रदान करना, उद्योग को बन्द करने के लिए बिजली पानी की आपूर्ति बन्द कराने की कार्यवाही करना इत्यादि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाती रहेगी।

प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र न लगाने वाली शराब की भट्ठियों को शीरे की आपूर्ति बन्द की जाती है। आर्थिक दण्ड सक्षम न्यायालय के माध्यम से लगाया जाता है।

प्रदेश में उप मुख्य चिकित्साधिकारी (कार्मिक) पद पर, तैनात अधिकारियों को कथित रूप से बिना कार्य लिए वेतन भुगतान किया जाना

*3–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रत्येक जनपद में उप मुख्य चिकित्साधिकारी (कार्मिक) का पद सृजित करके उसके समक्ष अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि इन अधिकारियों को बिना कार्य लिये ही वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन अधिकारियों को कब तक बिना कार्य लिये वेतन भुगतान किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री–(श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बांध में पानी न भरने के सम्बन्ध में, अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*4–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बांध वर्ष 1987 में बनकर पूर्ण हो गया था? यदि हां, तो आज तक लगभग दो दर्जन ग्रामों की 10 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि से मिलने वाले लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है?

क्या यह सही है कि यह बांध बनाने के बाद आज तक टूटने के डर से नहीं भरा जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सिंचाई अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर इस बांध को भरे जाने की त्वरित व्यवस्था करवायेंगे?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में सहनपुर बन्धी (न कि बांध) का निर्माण कार्य वर्ष 1986-87 व 87-88 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराया गया है। आवश्यकतानुसार पूर्ण धन उपलब्ध न होने के कारण बन्धी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता।

बन्धी के रेगुलेटर पर आप्रेशन प्लेट फार्म निर्माण का कार्य अभी शेष है जो धनाभाव के कारण अभी नहीं कराया जा सका है। इस कारण बन्धी में पानी नहीं भरा जा सका है। धन उपलब्ध होने एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही बन्धी को वर्षा जल से भरा जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में भैंसा व टाण्डा तथा जनपद वाराणसी में नियाररीह लिफ्ट योजनाओं को, शारदा सहायक योजना में सम्मिलित करने की मांग

*5—श्री दया शंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जनपद में गोमती नदी पर भैंसा व टाण्डा तथा वाराणसी जनपद में नियारडीह लिफ्ट योजना का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजनायें सफलतापूर्वक चलायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लिफ्ट योजनाओं को शारदा सहायक योजना में शामिल कर सुचारु रूप से चलाने का प्रयास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां।

प्रश्नगत पम्प नहरें काफी पुरानी हैं। उनसे यथा सम्भव सिंचाई की जा रही है।

प्रकरण मुख्य अभियन्ता स्तर पर विचाराधीन है।

*6—श्री यशपाल—

[तीसरे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश को बाढ़ एवं सूखे से बचाने हेतु, स्थायी योजना बनाने की मांग

*7—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार बाढ़ व सूखे से निपटने के लिए कोई स्थाई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और उस पर कब तक क्रियान्वयन शुरू हो जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव—

बाढ़ व सूखे से निपटने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कोई स्थायी योजना नहीं बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के कतिपय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नान पोस्ट ग्रेजुएट को प्रभारी चिकित्साधिकारी बनाने का औचित्य

*8—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ नगर के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कुछ ऐसे चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी सेवायें शासनादेश के अनुसार 10 वर्ष से कम हैं और वे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं ? यदि हां, तो उन्हें संबंधित चिकित्सालयों में प्रभारी चिकित्साधिकारी बनाये जाने का औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी उसका सम्पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां। दो ऐसे चिकित्साधिकारी थे, जिन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत हेतु स्वीकृत दो करोड़ रुपये को अन्यत्र प्रयोग करने की जांच

*9–श्री कृष्ण किंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि फरवरी/मार्च, 1990 में शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत करने हेतु दो करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रमुख अभियन्ता (नलकूप) सिंचाई विभाग द्वारा उसे प्रदेश के इलाहाबाद, फतेहपुर, इटावा जनपदों में पन्द्रह नलकूप लगवाने में व्यय कर दिया गया है और खराब नलकूपों की स्थिति पूर्ववत् बनी हुयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रमुख अभियन्ता (जिसके आदेश से ऐसा किया गया) को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां, शासनादेश संख्या-164 टी/90-27-5, दिनांक 6-1-91 द्वारा राजकीय नलकूपों की खराब मोटर्स एवं उससे संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु रु0 2.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के 'मैलहा माइनर' के निर्माणान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा तुरन्त किसानों को दिये जाने की मांग

*10–श्री बंशीधर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील मेजा, परगना खैरागढ़ के अन्तर्गत मुख्य नहर से निर्गत ''मैलहा माइनर'' जिसका निर्माण वर्ष 1979 में कराया गया था, के निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को 12 वर्षों के दीर्घ अन्तराल के उपरांत भी नहीं प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से? क्या मंत्री जी उक्त मुआवजे की धनराशि का भुगतान तुरन्त कराने के आदेश प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार मुआवजा भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

मैलहा माइनर का निर्माण शीर्षक 506 लघु सिंचाई मद में ''बेलन नहर प्रणाली पर 50 कि0 मी0 नयी नहरों के निर्माण'' नामक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 76-77 से वर्ष 78-79 में किया गया था। नहर निर्माण के समय चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण होकर धारा–52 का प्रकाशन न होने से भू-प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। अतः भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा सका। अब भू-प्रकरण को तैयार कराकर भूमि अध्याप्ति अधिकारी को माह 1/91 में भेजा जा चुका है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई की मण्डी माधोगंज में, गेहूं क्रय केन्द्रों पर कृषकों के नाम फर्जी चेकों की जांच की मांग

*11–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की मण्डी माधोगंज में गेहूं के क्रय केन्द्र खोले गये हैं? क्या कृषकों का गेहूं इन केन्द्रों पर खरीद कर कृषकों के नाम पर व्यापारी लोग इन केन्द्रों पर गेहूं दे रहे हैं और कृषकों के नाम चेक बनवाकर भुगतान प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या कृषकों को इन केन्द्रों से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या शासन कृषकों के हित में कृषकों के नाम फर्जी चेकों की जांच करवायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जी हां।

वर्ष 1990-91 में रबी खरीद के लिए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गेहूं की खरीद सीधे कृषकों से करते हुए खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान भी सीधे संबंधित कृषकों को ही किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। इस व्यवस्था से हटकर किसी अन्य रूप में गेहूं की खरीद प्रश्नगत क्रय केन्द्र पर होने के बारे में कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता, लेकिन यदि माननीय सदस्य किसी ऐसे चेक का विवरण देंगे जो फर्जी नाम से बना है, और जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है तो उसकी जांच अवश्य करा ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*12–श्री सत्य प्रकाश विकल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कोयले पर हुयी मुल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की मांग

*13–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोयले पर कन्ट्रोल समाप्त होने के पूर्व माह में कोयले का नियंत्रित मूल्य क्या था ? क्या कन्ट्रोल समाप्त होने के उपरान्त कोयले के भावों में ढाई गुना से तीन गुना तक वृद्धि हो गयी है ? क्या सरकार मूल्य को पूर्व की भांति नियंत्रित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

खाद्य विभाग द्वारा दो प्रकार के कोयले का नियंत्रण किया जाता है:–

1–ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ स्लैक कोल ।

2–घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला साफ्ट कोक ।

दिनांक 18-10-1989 से राज्य सरकार द्वारा स्लैक कोल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 के समस्त प्राविधानों को आस्थगित कर दिया गया है ।

ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ स्लैक कोयले पर से कन्ट्रोल समाप्त होने अर्थात् अक्टूबर, 1989 से पूर्व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रेल द्वारा आयातित विभिन्न श्रेणी के कोयले के मूल्य जैसे वाराणसी में श्रेणी "सी" कोयले का न्यूनतम मूल्य रुपया 733.51 पैसे और अधिकतम रु0 733.51 पैसे था तथा मेरठ में "ई" श्रेणी के कोयले का मूल्य न्यूनतम रु0 988.33 पैसे तथा अधिकतम 988.52 पैसे था ।

कन्ट्रोल समाप्त होने अर्थात् अक्टूबर, 1989 के पश्चात वाराणसी में "सी" श्रेणी के कोयले का नियंत्रण मूल्य क्रमशः रु0 744.51 पैसे तथा अधिकतम रु0 744.51 तथा मेरठ में "डी" श्रेणी के कोयले का न्यूनतम मूल्य रु0 887.07 पैसे तथा अधिकतम रु0 912.53 पैसे था । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिक्रीकर उपर्युक्त दरों में सम्मिलित नहीं है । बेसिक मूल्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है परन्तु विभिन्न गन्तव्य स्थानों पर आयातित कोयले के रेल भाड़े में अन्तर होने के कारण है ।

साफ्ट कोक

साफ्ट कोक के संबंध में कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 लागू है और उसे समाप्त नहीं किया है।

साफ्ट कोक के सम्बन्ध में रेल द्वारा विभिन्न जनपदों में आयातित कोयले के बेसिक मूल्य में कोई अन्तर नहीं है । यह अन्तर विभिन्न गन्तव्य स्थानों पर आयातित कोयले के रेल भाड़े में अन्तर होने के कारण है ।

दो प्रकार के कोयले के मूल्यों में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की केन नहर प्रणाली के सुधार हेतु प्राप्त राजस्व के विपरीत डेढ़ गुना धन के आवंटन की मांग

*14–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद को केन नहर से सिंचाई करके कितना राजस्व औसतन एक वर्ष में शासन को प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत शासन द्वारा केन नहर तथा उसकी ब्रांचों एवं राजबाहों, माइनरों के रख-रखाव तथा सफाई के लिए कितना धन आवंटित किया जाता है ? क्या यह सही है कि यह धन प्रर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या केन नहर प्रणाली की जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुये प्राप्त राजस्व के विपरीत डेढ़ गुना धन आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद बांदा की केन नहर प्रणाली के अंतर्गत गत पांच वर्षों का औसतन राजस्व 75,76,800 रुपये प्रतिवर्ष शासन को प्राप्त होता है । प्रश्नगत नहर प्रणाली के रख-रखाव के लिए गत पांच वर्षों में औसत आवंटन 38,648.00 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है ।

जी हां ।

वर्ष 1990-91 में केन नहर प्रणाली के रखरखाव हेतु 61.58 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जो गत वर्षों के औसत आवंटन की धनराशि के डेढ़ गुने से अधिक है । नहरों के रखरखाव हेतु धन का आवंटन इनसे प्राप्त राजस्व के आधार पर नहीं किया जाता अपितु उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र के आधार पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में खाद्यान्नों में हुई मिलावट के कारण हुई मौतों के संदर्भ में कार्यवाही

*15–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 1990 से लेकर 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में खाद्यान्नों में मिलावट के कारण कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? क्या शासन ने इसकी रोकथाम हेतु कोई ठोस कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण मौत होने की पुष्टि शव परीक्षण तथा बिसरा के रासायनिक परीक्षण के उपरान्त ही हो सकती है । ऐसे मामलों में रिपोर्ट पुलिस विभाग को प्रेषित की जाती है । अस्पतालों के अभिलेखों में केवल मृत्यु के सम्भावित कारण दर्ज किये जाते हैं जिनके आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि खाद्यान्न में मिलावट के कारण कितनी मृत्यु हुई ।

खाद्यान्न में मिलावट की रोकथाम हेतु नियमित निरीक्षण व निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था की गयी है । खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए जाते हैं एवं उनका रासायनिक परीक्षण किया जाता है । नमूने अप-मिश्रित पाये जाने की दशा में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है ।

स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से भी स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है ।

प्रदेश में 1 अगस्त, 1989 से अब तक कतिपय सीमेन्ट कम्पनियों के एक्स डम्प और एफ0 ओ0 आर0 के मूल्यों की जानकारी की मांग

*16–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदम के अन्तर्गत विगत 1 अगस्त, 1989 से अब तक विभिन्न सीमेन्ट कम्पनियों, जैसे सतना, जे0 पी0 मैहर, डायमण्ड और ए0 सी0 सी0 के पूरे प्रदेश में एक्स डम्प और एफ0 ओ0 आर0 के क्या मूल्य रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

वर्तमान में सीमेन्ट का स्वतंत्र व्यापार होने के कारण सीमेन्ट का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है । स्वतंत्र स्पर्धा में निर्माताओं/व्यापारियों के द्वारा सीमेन्ट का मूल्य स्वयं निर्धारित किया जाता है । सीमेन्ट कम्पनियों के एक्स डम्प तथा एफ0 ओ0 आर0 की सूचना प्राप्त करने की प्रथा इस समय नहीं है ।

स्थानान्तरण के सन्दर्भ में श्री नजमउद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

*17–श्री नजमउद्दीन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र दिनांक 2-2-90 जो स्थानान्तरण के सन्दर्भ में था के उत्तर में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 28-6-90 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी स्थानान्तरण से संबंधित अपना पत्र दिनांक 2-2-90 सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*18–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापकों को दिल्ली राज्य के आयुर्वेद एवं तिब्बिया कालेज के अध्यापकों के समान वेतनमान देने की मांग

*19–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र के समान वेतनमान दिए जाने की नीति के अन्तर्गत आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापकों को दिल्ली राज्य के आयुर्वेद एवं तिब्बिया कालेज के अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राज्य के मेडिकल कालेजों में शिक्षकों से भी कम वेतनमान आयुर्वेदिक कालेजों के शिक्षकों को दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार समान वेतन दिए जाने की नीति पर विचार कर निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव)—

जी नहीं । प्रकरण विचाराधीन है ।

जी हां ।

विचाराधीन है ।

*20–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[5वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

नवसृजित जनपद फिरोजाबाद, सोनभद्र, महाराजगंज में मुख्य चिकित्साधिकारियों के आशुलिपिकों की तैनाती

1—श्री मण्डलेश्वर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0—13-1-2-/पांच-99-5/42-89, दिनांक 15 फरवरी, 1990 के अनुपालन में नवसृजित जनपद फिरोजाबाद, सोनभद्र एवं महराजगंज में मुख्य चिकित्साधिकारियों के आशुलिपिकों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में कार्यरत, आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान एवं अनुमन्य सुविधाओं की मांग

2—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान वेतनमान एवं कैडर होते हुए भी उन्हें आवासीय भत्ता, ग्रामीण भत्ता, प्रा0 स्वा0 केन्द्र भत्ता तथा एन0 पी0 पी0 न मिलने और वरिष्ठ होते हुए भी उन्हें प्रभारी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त आयु0 चिकित्साधिकारियों को भी समान वेतन तथा समान कैडर को ध्यान में रखकर उपरोक्त सभी सुविधायें प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्साधिकारी, आयुर्वेदिक एवं चिकित्साधिकारी एलोपैथिक के वेतनमान यद्यपि समान हैं लेकिन उनके संवर्ग अलग-अलग हैं । एक संवर्ग को अनुमन्य सुविधायें दूसरे संवर्ग को स्वतः अनुमन्य नहीं होती हैं । आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को ग्रामीण आवास भत्ता एवं मकान किराया भत्ता अनुमन्य है एवं उन्हें निजी प्रैक्टिस करने की छूट है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य विभाग के आय-व्ययक से प्रेषित होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी को उनका प्रभारी नहीं बनाया गया है । उनकी शेष मांगे स्वीकार नहीं की गई हैं ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम अहिरौली के किसानों को, चन्द्र भानपुर माइनर के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिए जाने की मांग

3—श्री दीप नारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अहिरौली पो0 भोपालपुर, जिला आजमगढ़ के किसानों की भूमि जो ग्राम भरसारी तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में

पड़ती है, में से होकर चन्द्र भानपुर माइनर निकाली गयी है ? यदि हां, तो क्या अहिरौली के किसानों को उनकी भरसाली की भूमि का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक उक्त किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देगी ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण भूअर्जन का प्रस्ताव नहीं बनाया जा सका ।

चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अब भू-अर्जन का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ को दिनांक 1-10-90 को प्रेषित किया गया है । इस प्रस्ताव पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रतिकर का वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा किया जायेगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी के रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों को, वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन वृद्धि के अवशेषों का भुगतान

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले में होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में कार्यरत कम्पाउन्डरों को अभी तक पिछले वेतन आयोग द्वारा वेतन में की गयी वृद्धि का अवशेष नहीं प्राप्त हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनपद लखीमपुर खीरी के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों को पिछले वेतन आयोग द्वारा वेतन में की गई वृद्धि के अवशेषों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश सूची

5—श्री लक्ष्मीकान्त वाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण प्रवेश फार्म जुलाई, '89 में जमा किए गए थे तथा 23 से 25 दिसम्बर, 89 तक साक्षात्कार भी लिया गया था ? यदि हां, तो प्रवेश सूची अभी तक जारी न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश हेतु सूची कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां ।

प्रवेश सूची मार्च 1990 में जारी कर दी गई है ।

महिला चिकित्सालय लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध भत्ता-आहरण के सम्बन्ध में श्री हरिद्वार दुबे (स0 वि0 स0) के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

6—श्री खुरशीद—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ स्थित महिला चिकित्सालय में कार्यरत लैब टैक्नीशियन श्री जे0 एन0 तिवारी तथा इसी चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत श्री तिवारी की पत्नी श्रीमती कंचन लता तिवारी द्वारा एक ही मकान में रहते हुए नियमों के विपरीत मकान किराया भत्ता एवं साइकिल भत्ता आहरित किए जाने के संबंध में श्री हरिद्वार दुबे, (एडवोकेट) सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त/सितम्बर, 1990 में सचिव, चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियम विरुद्ध आहरित की गयी धनराशि की वसूली तत्काल सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं । शिकायती-पत्र के अभाव में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के इन्चार्ज डा0 महेश चन्द्र शर्मा के अनियमित कार्यों की जांच के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

7—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 21-6-90 का जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के इन्चार्ज डा0 महेश चन्द्र शर्मा के अनियमित कार्यों की जांच के संबंध में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 महेश चन्द्र शर्मा के अनियमित कार्यों की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-6-90 को हस्ताक्षरित एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में जांच कराने के आदेश निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दे दिये गये हैं ।

जनपद इलाहाबाद सिंचाई खण्ड प्रथम को वित्तीय वर्ष 1989-90 में आवंटित धन तथा व्यय का विवरण

8—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया ? उसमें से कितना धन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते, जीपें, कार व कार्यालय के रख-रखाव तथा अनुरक्षण पर व्यय किया गया ?

श्री बाबू राम यादव–

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को विभिन्न व्यय मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में 118.745 लाख रुपये आवंटित हुआ। इस आवंटित धनराशि के विरुद्ध हुये व्यय का विवरण तालिका में निम्नवत अंकित है :–

क्र0 स्0	व्यय मद	व्यय (लाख रुपये में)
1–अधिष्ठान वेतन एवं भत्ते		46.466
2–कार्यालय आकस्मिक व्यय		0.87
3–जीप व कार पर व्यय		1.44
(अ) जीप		1.44
(ब) कार		–
योग	(अ) व (ब)	1.44
4–अनुरक्षण कार्य		34.39
5–बाढ़ कार्यों का अनुरक्षण		5.79

जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड-30 के तृतीय श्रेणी (लिपिक) कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण की मांग

9–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद में कितने तृतीय श्रेणी (लिपिक) कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी (लिपिक) वर्ग में निम्नांकित कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कार्यरत हैं :–

कर्मचारी का नाम	खण्ड में कार्यभार ग्रहण की तिथि
1	2
सर्व श्री	
1–जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी	2-11-85 से अब तक
2–गिरजा नारायण सिन्हा	22-10-84 से अब तक
3–रामराज त्रिपाठी	30-6-90 से अब तक
4–भूपेन्द्र बीर सिंह	28-6-79 से अब तक
5–जयकरन लाल	9-12-83 से अब तक
6–शिवाधार राम गुप्ता	1-1-88 से अब तक
7–रामचन्द्र मिश्रा	1-7-84 से अब तक
8–श्रीमती रीतादास गुप्ता	1.7.84 से अब तक

1	2
9—राम दुलार	1. 7.84 से अब तक
10—कृष्ण कुमार	1. 9 89 से अब तक
11—अजय कुमार सक्सेना	1. 9.89 से अब तक
12—मसूरिया दीन	26. 9.89 से अब तक
13—गायत्री प्रसाद पाण्डेय	27. 9.90 से अब तक
14—चन्द्रमणि त्रिपाठी	30. 6.90 से अब तक
15—सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	13-6-78 से अब तक
16—रमेश चन्द्र गुप्ता	7.1.88 से अब तक
17—अनीस अहमद	5. 8.89 से अब तक
18—पवन कुमार मिश्र	1. 8.87 से अब तक
19—राज नारायण पाण्डेय	19. 1.85 से अब तक
20—सदाशिव	2. 7.90 से अब तक
21—श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	1.12.90 से अब तक

जी हां। आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जावेगा।

जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड—39 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण की मांग

10—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक—39 इलाहाबाद में कितने अवर अभियन्ता कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

शारदा सहायक खण्ड—39, इलाहाबाद में वर्तमान समय में 13 अवर अभियन्ता, उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से कार्यरत हैं:—

नाम अवर अभियन्ता	कार्यभार ग्रहण तिथि
1	2
सर्व श्री	
1—हरीराम पाण्डेय	26. 7.84
2—ईश्वरचन्द्र मिश्रा	7.10.85
3—सत्येन्द्रनाथ चक्रधर	5. 8.85
4—हरिश्चन्द्र शुक्ला	17.11.86
5—अशोक कुमार श्रीवास्तव	22. 9.87
6—रतीपाल सिंह	18.12.87

1	2
7—धीरेन्द्र बहादुर सिंह	29 · 6 · 88
8—महेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	5 · 7 · 88
9—उमाशंकर मिश्रा	19 · 6 · 89
10—छोटेलाल यादव	15 · 7 · 89
11—कामता प्रसाद सिंह	10 · 7 · 89
12—राकेश कुमार	27 · 6 · 89
13—शिवपूजन त्रिपाठी	2 · 7 · 90

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

विवेकानन्द पाली क्लिनिक लखनऊ को, उ0 प्र0 सरकार द्वारा प्रदत्त सभी अनुदानों के उपयोग किये जाने का आडिट दल द्वारा जांच

11—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विवेकानन्द पाली क्लिनिक लखनऊ की स्थापना से लेकर अब तक कितना अनुदान उ0 प्र0 सरकार द्वारा किन-किन मदों में दिया गया है ? क्या कभी सरकारी एजेन्सी द्वारा लेखा का आडिट कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी विशेष आडिट दल द्वारा ग्रान्ट के उपयोग आदि की जांच करायेंगे ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ को वर्ष 1974-75 से वर्ष 1989-90 तक निम्न मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि का अनुदान स्वीकृत किया गया है :—

मद	धनराशि (लाख रु0 में)
1—आवर्तक-रख रखाव हेतु	105 · 45
2—अनावर्तक-रख रखाव हेतु	74 · 70
3—आवर्तक-पालीक्लीनिक डिस्पेन्सरी हेतु	1 · 92
4—आवर्तक-होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी हेतु	0 · 24
5—अनावर्तक-उपकरण हेतु	8 · 67
6—अनावर्तक-इमर्जेन्सी वार्ड हेतु	1 · 10
योग :	192 · 08

जी हां । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985-86 से आज तक, प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति का विवरण

12—श्री राम आसरे पासवान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं वर्ष 1985-86 से आज तक स्वा0 पर्यवेक्षिका का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं ? अभी तक उनमें से कितनी महिलाओं की नियुक्ति की गयी है और कितनी की नहीं, और क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद बस्ती में ही पचासों महिलायें 1985-86 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं परन्तु उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि स्थान रिक्त नहीं है तो प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण क्यों कराया जा रहा है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

1953 महिलाओं ने स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है ।

अभी तक 532 की प्रोन्नति की गई और 1421 की प्रोन्नति शेष है क्योंकि वर्तमान में स्वास्थ्य निरीक्षिका का पद रिक्त नहीं है ।

जी हां, प्रोन्नति की प्रत्याशा में जनपद बस्ती की भी महिलाएं हैं ।

प्रशिक्षित कार्यकर्तियों की प्रोन्नति न हो पाने के कारण अक्टूबर, 1990 एवं अप्रैल, 1991 के प्रशिक्षण सत्र स्थागित कर दिए गए हैं ।

जनपद जौनपुर में कार्यरत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री राम अवतार द्विवेदी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की शासन द्वारा जांच एवं प्रोन्नति दिए जाने का आधार

13—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में कार्यरत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के विरुद्ध 13 अगस्त, 1990 तक कुल कितनी शिकायतें मिली हैं ? प्राप्त शिकायतों में कितनी शिकायतों की जांच पूरी कर ली गयी है तथा कितनी शिकायतों की जांच चल रही है ? क्या जांच में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

कार्यरत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 13 अगस्त, 90 तक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं । प्राप्त शिकायती पत्रों में दो पर जांच सम्पन्न हो चुकी है । तीसरे शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है । एक शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दोषमुक्त पाये गये हैं । दूसरे शिकायती में उल्लिखित शिकायतों पर जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर जिलाग्रामोद्योग अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

तीसरे शिकायती पत्र की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत जांच के परिणामों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

14—श्री चन्द्रशेखर सिंह (बस्ती)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जौनपुर के पद पर श्री राम अवतार द्विवेदी की प्रोन्नति विधि सम्मति एवं वरिष्ठता क्रम अनुसार हुई है ? यदि नहीं, तो इनकी पदावनति कब की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री राम अवतार द्विवेदी की तदर्थ प्रोन्नति वर्ष 1988 में प्रदान की गयी थी । परन्तु श्री द्विवेदी की प्रोन्नति अभी तक विनियमित नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली की तहसील व परगना फरीदपुर में ग्राम शिवपुरी लछौली में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के रख रखाव के संबंध में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

15—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले गुरुवार के अतारा0 प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि नलकूप संगठन विश्व बैंक द्वारा शिवपुरी निरीक्षण भवन नहीं लिया गया तो उक्त निरीक्षण भवन के विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

श्री बाबू राम यादव—

नलकूप संगठन (विश्व बैंक) को शिवपुरी निरीक्षण भवन की आवश्यकता नहीं है । इस निरीक्षण भवन को अन्य विभागों को स्थानान्तरण करने के संबंध में जिलाधिकारी, बरेली से पत्र व्यवहार किया जा रहा है । यदि किसी अन्य विभाग द्वारा शिवपुरी निरीक्षण भवन नहीं लिया गया तो इसको परित्याग (एबैन्डन्ड) करने की कार्यवाही की जायेगी ।

16—श्री मोती लाल दहेलवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्रामों की भूमि को पानी के अभाव में बंजर होने से रोकने के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

17—श्री अकबर हुसैन बाबर—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 118 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-4-87 के प्राप्त हो जाने पर अब तक सर्वे न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त अधिकारी के विरुद्ध जिसने अब तक सर्वे नहीं किया है कार्यवाही करेंगे? क्या मंत्री जी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र विश्व बैंक परियोजना के स्थान पर सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप लगाने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप का निर्माण जिला सिंचाई सलाहकार समिति के अनुमोदन एवं नलकूप स्थल चयन समिति के अनुमोदन तथा जिला योजना में उपलब्ध धनराशि के आधार पर कराया जाता है ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच से निकली तौरा स्केप की सफाई की मांग की चेकिंग में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18—श्री दया राम भाष्कर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के अंतर्गत पुरवा ब्रांच से निकली तौरा स्केप की सफाई की माप की चेकिंग दिसम्बर 1989 के अंतिम सप्ताह में अधिकारियों द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों और उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव—

उन्नाव जनपद के अंतर्गत पुरवा ब्रांच से निकली तौरा स्केप की सफाई की माप की की चेकिंग दिसम्बर 1989 के अंतिम सप्ताह में नहीं बल्कि इस कार्य के माप की चेकिंग सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 27-1-90 व अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 13-3-90 को की गई थी । चूंकि उक्त माप की चेकिंग में कोई अंतर नहीं पाया गया, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के कतिपय सहायक यांत्रिक अभियंताओं की प्रोन्नति से वंचित किये जाने के कारण

19—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी अधिकारी को विनियमितीकरण स्थायीकरण तथा प्रोन्नति के लिए तब तक न छोड़े जाने के शासनादेश हैं जब तक उसे किसी मामले में आरोप पत्र न दे दिया गया हो ? यदि हां, तो दिनांक 9 अगस्त, 1989 को जारी 126 प्रोन्नत सहायक यांत्रिक अभियंताओं की सूची में ऐसे कितने ज्येष्ठ अभियंताओं को छोड़ा गया है जिन्हें शासन द्वारा कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया था ? ऐसे अभियंताओं को प्रोन्नति से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अभियंताओं का विनियमितीकरण कर उन्हें प्रोन्नत करेगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं, शासनादेश दिनांक 30-11-83 के अनुसार प्रोन्नति व स्थाईकरण के मामले में निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी कार्मिक के संबंध में चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी जायेगी :—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है ।

(ख) यदि प्रथम दृष्टया मामला बन जाने के बाद प्रशासनाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया जा चुका है ।

(ग) यदि सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच/अन्य प्रकार की प्रारम्भिक जांच के आधार पर निर्णय लिया जा चुका है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित कार्मिक के विरुद्ध दोषी होने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसके आधार पर आरोप-पत्र जारी किया जा सकता है या यथास्थिति उन तथ्यों पर मुकदमें चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

(घ) यदि कार्मिक ट्रेप की कार्यवाही में पकड़ा जाता है और इस संबंध में अभियोजना चलाने या न चलाने के बारे में निर्णय विचाराधीन है ।

(ङ) यदि नैतिक पतन या संदिग्ध सत्यनिष्ठा के बावत किसी न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही चल रही है ।

उपरोक्त मामलों में अंतिम निर्णय हो जाने पर बन्द लिफाफा खोलकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली 1988 के प्राविधान के अनुसार किसी कार्मिक को विनियमितीकरण में छोड़ने के लिए आरोप पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है ।

दिनांक 9-8-89 को जारी 126 प्रोन्नत सहायक अभियंताओं (यांत्रिक) की सूची में 17 सहायक अभियंता ऐसे थे, जिन्हें विनियमितीकरण से वंचित किया गया । इनमें से 13 सहायक अभियंता ऐसे थे जिन्हें या तो आरोप-पत्र दे दिया गया था, अथवा आरोप-पत्र दिया जाना प्रस्तावित था । शेष 4 में से एक सहायक अभियंता निलम्बित चल रहे थे, एक की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित थी, एक का अभिलेख अपूर्ण थे तथा एक का नकरण प्रशासनाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया गया था । इन 17 सहायक अभियंताओं के मामले अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात इनके विनियमितीकरण प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी, चौलापुर विकास क्षेत्र में चन्द्रवती लिफ्ट कैनाल में जलापूर्ति

20—श्री अमर नाथ यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के चौलापुर विकास क्षेत्र

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के चौलापुर विकास क्षेत्र

में चन्द्रवती लिफ्ट कैनाल (जो श्री कण्ठापुर, अजांव, बरथरांखुर्द होकर जाती है) में पानी

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

चन्द्रावती पम्प नहर काफी पुरानी है । पम्प नहर के कमाण्ड में यथा सम्भव पानी की आपूर्ति की जा रही है ।

21—सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

[दिनांक 24-1-91 को अता0 प्र0 सं0 175 द्वारा उत्तरित]

दोहरीघाट पम्प नहर में पानी की कमी का कारण

22—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर में सिंचाई हेतु पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है ? पानी की कठिनाई के क्या कारण हैं? सरकार ने किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाबू राम यादव—

दोहरीघाट पम्प नहर में सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है । खरीफ 1398 फसली में केवल दिनांक 23-6-90 से 28-6-90 तक नहर की मरम्मत हेतु बन्द रखा गया था । तत्पश्चात पानी की मांग के अनुसार नहरें चलायी गयी तथा रबी 1398 फसल में मांग के अनुसार नहरों को चलाया जा रहा है ।

नहर में पानी चलने की कोई कठिनाई वर्तमान में नहीं है । कभी-कभी वोल्टेज कम हो जाने से सभी पम्पों के चलने में कठिनाई हो जाती है परन्तु प्रयास करके इस कठिनाई को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर दिया जाता है ।

नहर बराबर चलायी जा रही है, किसानों को सिंचाई सुविधा दी जा रही है ।

डा0 घनश्याम श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को एक ही जनपद में रहते हुए पदोन्नति किये जाने का औचित्य

23—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा0 घनश्याम श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर, जनपद में चिकित्साधिकारी से लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी के पद तक पदोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो एक ही जनपद में रहकर उनकी उक्त पदोन्नतियां किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां ।

दिनांक 4-10-62 को सेवा में आने से लेकर डा0 घनश्याम श्रीवास्तव, वर्ष 1978-79 को छोड़कर जनपद गोरखपुर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे । अतः शासनादेश दिनांक 18-1-91 द्वारा उन्हें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर देवरिया स्थानान्तरित कर दिया गया, किन्तु उन्होंने उच्च न्यायालय में स्थगन प्राप्त कर लिया है । डा0 श्रीवास्तव के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग की गम्भीर शिकायतें भी प्राप्त हुई थी अतः उन्हें दिनांक 7-2-1991 को निलम्बित करके जांच करायी जा रही है।

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था की जानकारी

24—श्री चैन सुख भारती—

क्या सिंचाई मंत्री तृतीय सत्र 1990 के तीसरे गुरुवार के ता0 प्रश्न सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में बतलाने का कष्ट करेंगे कि अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं ? क्या पात्रता के लिए जो शर्तें सामान्य अभ्यर्थियों

पर लागू हैं वही शर्तें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों पर भी लागू हैं ? यदि नहीं, तो उनमें किन शर्तों की छूट है ?

श्री बाबू राम यादव—

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0-345/दो-88-23-सिं-2/26/85, दिनांक 5-2-88 में उल्लिखित निम्न शर्तें पात्रता के लिए निर्धारित हैं ।

सिंचाई विभाग के ऐसे स्थायी अवर अभियन्ताओं और स्थायी संगणकों (कम्प्यूटरों) में से योग्यता के आधार पर :—

(क) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरी में स्नातक या इन्जीनियरी में उसके समकक्ष उपाधि रखते हों या इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के एसोसियेट मेम्बर हों,

या

(ख) जो डिप्लोमा धारक हो और जिन्होंने सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता या संगणक (कम्प्यूटर) के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा की हो ।

जी हां, उपरोक्त शर्तें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों पर भी लागू हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, जनपद गोरखपुर में स्वीकृत पूर्णकालीन इमरजेन्सी मेडिकल आफिसर की नियुक्ति

25—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय में कितने आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों (इमरजेंसी मेडिकल आफिसर) के पद स्वीकृत हैं? क्या उन पदों पर पूर्णकालीन नियमित इमरजेन्सी मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो उक्त पद पर पूर्णकालीन इमरजेन्सी मेडिकल आफिसर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

दो पद स्वीकृत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी में वर्ष 90 में घाघरा नदी के कटाव से पीड़ितों को शासकीय राहत

26—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि घाघरा नदी के कटाव के कारण वर्ष 1990 में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कितने घर नदी की मुख्य धारा में विलीन हो गये तथा कितनी भूमि कटाव से प्रभावित हुई है ? इससे कितनी आर्थिक क्षति हुई है ? कटाव पीड़ितों को क्या राहत दी गई है ?

श्री बाबू राम यादव—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में वर्ष 1990 की बाढ़ में घाघरा नदी के कटान से 439 घर नदी में विलीन हो गये तथा 618.349 हेक्टेयर भूमि कटान से प्रभावित हुई है। राजस्व विभाग की सूचना के अनुसार लगभग रु0 2 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई।

राहत प्रदान की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। तहसीलदार-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ की सूचना के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को निम्न प्रकार राहत एवं अनुदान दी गई है :—

(1) पूर्ण रूप से कटे मकानों का गृह अनुदान के रूप में रु0 4,19,000.00 की सहायता।

(2) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 1508 मकानों को रु0 3,77,000.00 का गृह अनुदान।

(3) घाघरा नदी के किनारे के गांवों में 16,144 परिवारों को रु0 16,39,550.00 की अहैतुक सहायता।

(4) नाव भाड़ा एवं मल्लाहों की मजदूरी के रूप में रु0 7,00,000.00 का वितरण।

(5) भोजन के पैकेट/धोती/साड़ी के रूप में रु0 2746.25 के सामानों का वितरण।

(6) घाघरा नदी के किनारे के मृतक परिवारों के वारिसों को एवं मृतक जानवरों के स्वामियों को रु0 66,750.00 अनुग्रह धनराशि का वितरण।

गृह अनुदान, नाव भाड़ा तथा मल्लाहों की मजदूरी के वितरण का कार्य अब भी उनके द्वारा किया जा रहा है।

जनपद रामपुर में बन्द पड़े सरकारी ट्यूबवेलों को चालू करने की मांग

27—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रामपुर में 10 प्रतिशत से अधिक सरकारी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद रामपुर में 308 ऊर्जीकृत व 5 आर्टीजन राजकीय नलकूपों में से 293 सींचरत नलकूप हैं जिनमें से 10-2-91 की बन्दी के अनुसार 15 नलकूप यांत्रिक दोष से व 24 नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं। 5 आर्टीजन नलकूप व 15 ऊर्जीकृत नलकूप विफल हैं।

20 विफल नलकूपों में से चार आर्टीजन नलकूप वर्ष 77-78 से पूर्ण विफल होने व 2 ऊर्जीकृत नलकूप क्रमशः वर्ष 75-76 व 81 से पानी की मांग न होने के कारण बन्द हैं व परित्याग के लिए प्रस्तावित हैं। अवशेष 14 नलकूपों में 6 नलकूपों का

गत वर्ष तक पुनः छिद्रण कर दिया गया है । तथा इनका ऊर्जीकरण लम्बित है । 5 नलकूपों का इस वर्ष पुनः निर्माण कराया जा रहा है तथा शेष 3 विफल नलकूपों का पुनः निर्माण धन की उपलब्धता के अनुसार अगले वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। यांत्रिक दोष से बन्द 15 नलकूपों में से 7 नलकूपों को 22-2-91 तक व 8 नलकूपों को 28-2-91 तक ठीक कराये जाने का कार्यक्रम है । विद्युत दोष से बन्द 24 नलकूपों के संबंध में विद्युत परिषद् के अधिकारियों से विभिन्न स्तर पर बैठक कर नलकूपों को दोषमुक्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद देहरादून के लखवाड़ बांध परियोजना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं ठेकेदार के कर्मचारियों को एक समान वेतन देने की मांग

28—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून के अन्तर्गत लखवाड़ बांध परियोजना में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं ठेकेदार के कर्मचारियों को एक समान दैनिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो दैनिक वेतन किस रेट से और कितना दिया जा रहा है ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं ।

विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विभागीय दर सारिणी (शेड्यूल आफ रेट्स) में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है । यह न्यूनतम दर रु0 23-50 प्रतिदिन प्रति श्रमिक है । रजिस्टर्ड कम्पनी के ठेकेदारों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी रु0 27.95 की दर से भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद बरेली के फरीदपुर ब्रांच शारदानहर से संबंधित बभेड़ा, भनपुरा तथा आलमपुर रजबहों में जल-आपूर्ति की मांग

29—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बरेली के फरीदपुर ब्रांच शारदा नहर से जो बभेड़ा रजबहा निकला है उसमें गत आठ वर्षों से पानी खेड़ा बभेड़ा तक नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस बभेड़ा रजबहा से जो भनपुरा रजबहा व आलमपुर रजबहा निकले हैं उनमें भी पानी कई वर्षों से नहीं आ रहा है ? क्या कोई अधिकारी मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

खेड़ा बभेड़ा रजबहा फरीदपुर शाखा की टेल से निकलता है जिसकी लम्बाई 19 मील 4 फर्लांग 470 फीट है । यह शीर्ष से 16 मील तक जिला बरेली में तथा 16 मील से 19-4-470 तक शाहजहांपुर जिले में पड़ता है । इस रजबाहे के मध्य भाग व अंतिम छोर पर सिंचाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वर्ष 1985 में 9 मील 6 फर्लांग 200

फीट से नीचे वाला भाग नलकूप संगठन को स्थानान्तरित कर दिया गया है । अब इस क्षेत्र में नलकूप संगठन द्वारा विश्व बैंक के फरीदपुर कलस्टर व जयतिपुर कलस्टर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है ।

बभेड़ा रजबाहा से भनपुरा रजबाहा व आलमपुर रजबाहा नहीं निकलते हैं अतः इनमें कई वर्षों से पानी न आने का प्रश्न नहीं उठता । अतएव उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्रा0 सभा गठिया राठि में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया गया घोटाला एवं अनियमितताएं

30–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा गठिया राठि में जो गेहूं क्रय केन्द्र चल रहा है उसके प्रभारी द्वारा लाखों का घोटाला किया गया और गेहूं तिलहर व अन्य जगहों से खरीद कर उनका भुगतान गठिया की बैंक से किया गया है जिसकी शिकायतों की जांच परगनाधिकारी तिलहर ने मई, 90 में की है ? क्या सरकार बतायेगी कि शिकायतें सही हैं ? यदि हां, तो इस धांधली के लिए जिम्मेदार प्रभारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा गठिया रंगीन में उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 का गेहूं क्रय केन्द्र था । केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच परगनाधिकारी, तिलहर के बजाय तहसीलदार, तिलहर द्वारा दिनांक 19-5-90 को की गई।

जांच में उक्त केन्द्र प्रभारी के द्वारा कतिपय अनियमिततायें किया जाना पाया गया परन्तु तिलहर व अन्य जगहों से गेहूं खरीद कर उसका भुगतान गठिया की बैंक से करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये केन्द्र प्रभारी को दिनांक 25-5-90 को स्थानान्तरित कर जिला कार्यालय शाहजहांपुर से सम्बद्ध किया गया और तदोपरान्त जिला प्रबन्धक की संस्तुति पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली द्वारा दिनांक 30-6-90 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 19-5-90 को की गयी जांच आख्या के आधार पर केन्द्र प्रभारी अनुपस्थित तथा लेखा सहायक उपस्थित पाये गये । खाली बोरों की प्राप्ति तथा निर्गमन में अन्तर पाया गया, तराजू पर मोहर नहीं पाई गयी तथा तराजू में वजन सही करने हेतु मोपासंग बाधा गया था। खाली बोरे के स्थान पर एक कि0 ग्रा0 वजन की ईंट पाई गई, रिकार्ड के आधार पर 0.25 पैसा बोरी उतरवाई की कटौती की गई । खाली बोरों पर स्टेन्सिल लगा नहीं पाया गया ।

जनपद शाहजहांपुर में टाउन एरिया मीरानपुर कटरा में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने की मांग

31–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

विधान सभा तृतीय सत्र 90 के द्वितीय गुरु के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया मीरानपुर कटरा राष्ट्रीय राज मार्ग 24 पर है? क्या यहां सैकड़ों मरीज आते हैं क्या इनकी सुविधा हेतु साधनहीन जिला परिषद् के चिकित्सालय के स्थान पर राजकीय चिकित्सालय खुलवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां, काफी बड़ी संख्या में रोगी आते हैं ।

जिला परिषदीय चिकित्सालयों के स्थान पर राजकीय चिकित्सालय की स्थापना का नियमानुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने व मानकों के अनुसार औचित्य पाये जाने पर विचार किया जाता है ।

जनपद बाराबंकी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतमापुर में चिकित्सक उपलब्ध कराने की मांग

32–श्री शिव करन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतमापुर में चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्या वे हेतमापुर में ही ड्यूटी करते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अस्पताल में डाक्टर उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती की जा सकेगी।

श्री सुभाष चन्द्र बर्नवाल, फार्मेसिस्ट प्रा0 स्वा0 केन्द्र जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध कथित गम्भीर आरोपों के बाबत सचिव व निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 को प्रेषित श्री गोमती यादव विधायक व प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

33–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोमती यादव विधायक व प्रश्नकर्ता आदि के पत्र दिनांक 23-6-90 के साथ श्री अरविन्द कुमार राय निवासी ग्राम उम्मरपुर जनपद-आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र जो श्री सुभाष चन्द्र बर्नवाल फार्मेसिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहानागंज जनपद-आजमगढ़ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के बाबत था सचिव व

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 तथा उनको प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कराई गई जांच में लगाये गये आरोप निराधार पाए गए। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

गणेश कृष्ण जेतली संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर, फैजाबाद का उच्चीकरण

34–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश कृष्ण जेतली संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर जनपद फैजाबाद के उच्चीकरण का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो इस अस्पताल का उच्चीकरण कब तक हो जायेगा? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अस्पताल में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं।

शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक को उच्चीकृत और 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/भवन निर्माण जिला सेक्टर की योजना है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों का अनुमोदन एवं उसके लिए जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने पर शासन स्तर पर स्वीकृतियां निर्गत किये जाने पर विचार किया जाता है। अकबरपुर के संबंध में ऐसा प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मेडिकल कालेज में, न्यूरो सर्जरी से सम्बन्धित मशीनें, डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति की मांग

35–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी से संबंधित समस्त मशीनें विगत दो वर्षों से पड़ी हैं लेकिन न्यूरो सर्जरी के डाक्टर एवं उससे संबंधित स्टाफ की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो वहां डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव–

(1) जी हां, झांसी मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी से सम्बन्धित उपकरणों का समुचित उपयोग मुख्यतया न्यूरो सर्जरी के लेक्चरर की नियुक्ति के अभाव में नहीं हो पा रहा है ।

(2) लेक्चरर इन न्यूरो सर्जरी के पद को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को 28 अगस्त, 1989 को अधियाचन भेजा जा चुका है । आयोग से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति कर दी जायेगी ।

36–श्री रान लाल अहिरवार–

[3रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बांसी, सिद्धार्थनगर का अन्यत्र भवन में स्थानान्तरित करने पर विचार

37–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बांसी सिद्धार्थनगर में वर्तमान समय में डा0 वी0 एन0 त्रिपाठी के भवन में विधिवत अनुबन्ध के साथ 3500 रु0 प्रति माह किराये पर चल रहा है? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय को अन्य भवन में अधिक किराये पर स्थानान्तरित करने हेतु शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां।

उक्त चिकित्सालय के लिए उपयुक्त भवन की व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर, को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में वर्ष 88-89 एवं 89-90 में परिवार नियोजन पर कुल व्यय एवं प्राप्त लक्ष्यों का ब्योरा

38–श्री राम लखन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 88-89 तथा 89-90 में परिवार नियोजन पर कुल कितना धन व्यय हुआ और इन वर्ष में कुल कितनी नस-बन्दी व नलबन्दी हुई ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

वर्ष 89-89 तथा 89-90 में परिवार नियोजन पर क्रमशः रु0 1,15,80.61 तथा रु0 1,30,33.54 लाख व्यय हुआ ।

प्रश्नगत अवधि में नसबन्दी व नलबन्दी का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	योग
1988-89	295431	433644	729075
1989-90	138627	344727	483354

जनपद गाजियाबाद, फूडहेवा नाले के कार्य में कथित फर्जी भुगतान विषयक श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक के शिकायती पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

39–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-5-84 को एक प्रार्थना-पत्र श्री भगत सिंह, वरिष्ठ सहायक ने अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

(श्री रमाकान्त वर्मा) को सिम्भावली के पास फूलडेहरा नाले के पुनरुद्धार में फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

फूलडेहरा नाले के कार्य में फर्जी भुगतान सम्बन्धी श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक का शिकायती पत्र दिनांक 26-6-84 प्राप्त हुआ था जिसकी सतर्कता द्वारा जांच करायी गयी थी । दिनांक 19-5-84 का शिकायती पत्र प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता । की गयी सतर्कता जांच के परीक्षणोपरान्त श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता दोषी नहीं पाये गये ।

40–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगत सिंह पुत्र श्री हरिस्वरूप शर्मा नया आर्य नगर, हापुड़ द्वारा दिनांक 28-6-84 में श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए गए सरकारी धन के गबन के विषय में सूचित किया था जिस पर विजिलैन्स द्वारा जांच करायी गयी थी, और श्री रमाकान्त वर्मा को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उस जांच पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक का श्री रमाकान्त वर्मा अधिशासी अभियन्ता द्वारा गबन सम्बन्धी एक शिकायती पत्र दिनांक 26-6-84 प्राप्त हुआ था । इसमें फूलडेहरा नाले के फर्जी भुगतान की भी शिकायत थी जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या–39 में सूचना दी गयी है । दिनांक 28-6-84 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । दिनांक 26-6-84 के प्राप्त शिकायती पत्र पर सतर्कता द्वारा जांच करायी गयी थी । की गयी सतर्कता जांच के परीक्षणोपरान्त श्री वर्मा अधिशासी अभियन्ता दोषी नहीं पाये गये ।

आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीं सैंण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनपद गढ़वाल के काण्डा ग्रामवासियों के संयुक्त हस्तान्तरित पत्र पर कार्यवाही

41–हाजी मोहम्मद यसीन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीं सैंण वि0 खण्ड एकेश्वर, में अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयुक्त गढ़वाल मण्डल को ग्राम काण्डा जिला गढ़वाल के निवासियों का संयुक्त हस्ताक्षरित कोई पत्र दिनांक 27-7-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीं सैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत स्वास्थ्य सहायक श्री मेहरबान सिंह के स्थानान्तरण की मांग

42—हाजी मोहम्मद वसीम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मेहरबान सिंह स्वास्थ्य सहायक (परिवार नियोजन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीं सैंण वि0 खण्ड एकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के 14 वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात रहने स्थानीय राजनीति में भाग लेने तथा अन्य नियमानियमितताओं के संबंध में ग्राम काण्डा जिला गढ़वाल के निवासियों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र पर जिलाधिकारी गढ़वाल ने जुलाई, 89 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गढ़वाल को स्थानान्तरण के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के उक्त आदेश का अब तक पालन न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है ? और उक्त आदेशों का पालन कब तक हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां,

उक्त के अनुपालन में दिनांक 4-7-89 को श्री मेहरबान सिंह, स्वास्थ्य सहायक (परिवार नियोजन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीं सैंण, विकास खण्ड एकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयहरीखाल के अन्तर्गत परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के रिक्त पद पर कर दिया गया था ।

पुनः जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के दूरभाष दिनांक 1-8-89 पर दिये गये निर्देशों के अनुसार अग्रिम आदेशों तक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 2-8-89 को निरस्त कर दिया गया ।

ग्राम सभा बेवाना तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में ग्रामोद्योग खोलने विषयक, प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

43—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-6-90 के साथ ग्रा0 हुसैनपुर सकरवारी तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र जो ग्राम सभा बेवाना तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में ग्रामोद्योग खोलने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के अनुसचिवीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित स्थानान्तरण नीति की जानकारी

44—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के अनुसचिवीय कर्मचारियों के सभी प्रकार के कार्यों के अनुभव हेतु कोई स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ज्ञापांक : 2988/ई-4क, दिनांक, 18-5-87 के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण सामान्यतः किये जाते हैं ।

सिंचाई विभाग में पदोन्नति प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों, को एक ही अनुभाग में बनाये रखे जाने का औचित्य

45–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों, जो वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ सहायक के पदों पर उसी अनुभाग में कार्यरत थे को पदोन्नति के बाद पुनः उसी अनुभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण में उनके सम्पूर्ण सेवाकाल को देखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल को देखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

आजमगढ़ जनपद के विकासखण्ड विकास खण्ड में बराँही डूने पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव

46–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–74 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष 2 पुलों का निर्माण न होने से जनता को आवागमन में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उनके निर्माण हेतु धन कब तक उपलब्ध कराकर उनका निर्माण पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–74 के उत्तर के संदर्भ में शेष दो पुलों का निर्माण जून, 1991 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

सरदार पटेल आरोग्य धाम उरदिहा, जनपद आजमगढ़ के सम्बन्ध में निदेशक आयुर्वेदिक को, प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

47–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल आरोग्य धाम उरदिहा, जनपद आजमगढ़ से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 फरवरी, 90 निदेशक आयुर्वेदिक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में थोक एवं फुटकर दवा-दुकानों की संख्या तथा फ्रिज व्यवस्था न होने पर दुकानों के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही

48—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में थोक एवं फुटकर दवाओं की अलग-अलग कितनी दुकानें हैं ? इनमें से कितने थोक विक्रेताओं द्वारा दवाओं की फुटकर बिक्री की जाती है तथा इनमें से कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनमें दवाओं के रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं है ? ऐसी दुकानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आजमगढ़ जनपद में थोक दवाओं की 738 तथा फुटकर दवाओं की 91 दुकानें हैं।

किसी थोक विक्रेता द्वारा दवाओं की फुटकर बिक्री नहीं की जाती है।

389 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास फ्रिज उपलब्ध नहीं है।

जिन दुकानों में दवाओं के रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती है उन्हें लाइसेन्स निर्गत करते समय मूल लाइसेन्स पर यह अंकित कर दिया जाता है कि फ्रिज में रखी जाने वाली दवाओं का विक्रय वर्जित है। समय समय पर औषधि निरीक्षक द्वारा औषधियों के प्रतिष्ठानों की जांच करायी जाती है और अनियमितता पाये जाने पर औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर नियमानुसार लाइसेन्स के निलम्बित/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

49—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग में प्रतिबन्धित सेवाओं हेतु, कार्यकारी व अकार्यकारी श्रेणी निर्माण की मांग

50—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रतिबन्धित स्थानों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न शासनादेश जारी किये गये हैं, जिनमें एकरूपता नहीं है जिसके कारण एक ही जगह कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिबन्धित सेवा भिन्न-भिन्न रूप से मानी जाती है? क्या सिंचाई विभाग में प्रतिबन्धित सेवा के लिए कार्यकारी व अकार्यकारी श्रेणी ही बनाने में कोई आपत्ति है? यदि नहीं, तो इसे कब तक बना दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं। सिंचाई विभाग में प्रतिबन्धित स्थानों पर तैनाती हेतु समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों द्वारा एकरूपता लाने का ही उपक्रम किया गया है तथा प्रतिबन्धित सेवा एक ही रूप में मानी जाती है। प्रतिबन्धित सेवा के लिए कार्यकारी/अकार्यकारी श्रेणियां बनाना आवश्यक नहीं है।

श्री ब्रह्म प्रकाश सिन्हा, आजमगढ़ द्वारा सदर चिकित्सालय के डा0 बी0पी0 सिन्हा की मौत विषयक कथित लापरवाही के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

51—श्री दयाराम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ब्रह्म प्रकाश सिन्हा, मु0 जोधीपूरा (बमराजी बाग) तहसील सदर आजमगढ़ ने उन्हें मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव एवं निदेशक स्वास्थ्य को सदर चिकित्सालय के डा0 बी0 डी0 सिन्हा की मौत के बारे में बरती गयी लापरवाही के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1-90 को दिया है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

"जी नहीं"। श्री ब्रह्म प्रकाश सिन्हा के तथा कथित शिकायती पत्र में प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शशि किरण सिन्हा की मौत के बारे में डा0 बी0 सिन्हा महिला चिकित्साधिकारी, द्वारा बरती गयी लापरवाही के लिये शिकायत की गयी थी, डा0 बी0 डी0 सिन्हा की मौत के बारे में नहीं।

इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

52—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के रा0 आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु अंशकालिक नियुक्ति की मांग

53—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद रा0 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कितने पुरुष चिकित्सक एवं कितनी महिला चिकित्सकों की जगह रिक्त है और उक्त स्थान कब तक भर दिए जायेंगे? क्या पहाड़ी क्षेत्रों की भांति बुन्देलखण्ड में भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राजकीय आयु0 चिकित्सालयों व अन्य चिकित्सालयों में रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए अंशकालिक नियुक्ति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में छः पुरुष चिकित्साधिकारियों एवं दो महिला चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जायगा।

सम्प्रति अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, सिंचाई हेतु दस हजार गैलन प्रति घण्टा तक पानी निकास वाले राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

54—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा जल की कम उपलब्धता को देखते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दस हजार गैलन प्रति घण्टा तक पानी देने वाले राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

वर्तमान नीति अनुसार 10,000 गैलन प्रति घण्टा तक निकास वाले राजकीय नलकूप सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लगाये जाते। इस प्रकार के नलकूपों का निर्माण लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी नलकूपों के रूप में कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव अन्तर्गत पुरवा कस्बे के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की तैनाती

55–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत पुरवा कस्बा में महिला चिकित्सालय में क्या महिला चिकित्सक नहीं है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं। महिला चिकित्सक तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव अन्तर्गत पुरवा रजबहा नहर पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

56–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत पुरवा रजबहा नहर पर बने खजूर के व ताड़ के पुल के स्थान पर पक्के पुल के निर्माण करवाने से संबंधित केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव ने अपने पत्र संख्या मंत्री/(पर्यावरण एवं वन)/15/89-3789/2019, दिनांक 7 सितम्बर, 89 द्वारा स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी, उन्नाव को दिया था? यदि हां, तो पुल का निर्माण अब तक क्यों नहीं कराया गया है?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

पुरवा राजबहा के वांछित पुल निर्माण स्थल (मील 1-2-0) से 2 फर्लांग ऊपर (मील 1-0-0) तथा 2 फर्लांग नीचे (मील 1-4-0) पुल विद्यमान है, अतः वांछित स्थल पर पुल निर्माण विभागीय मानकों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः विभागीय अनुदान से इस पुल का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद आजमगढ़, शारदा सहायक रजवाहा के हैदराबाद माइनर में किसानों की ली गयी जमीन का मुआवजा दिलाने विषयक, प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

57–श्री दयाराम भास्कर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर में शारदा सहायक रजवाहा आजमगढ़ के हैदराबाद माइनर में किसानों की ली गयी जमीन

का मुआवजा दिलाने एवं हैदराबाद पक्की सड़क के दक्षिण माइनर के बार-बार कटने से किसानों की क्षति आदि के बारे में प्रश्नकर्ता ने 18-8-90 को उन्हें तथा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को तथा अ0 अ0 शा0 स0 खण्ड 32 को पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां। पत्र दिनांक 19-8-90 को प्राप्त हुआ है। पत्र में इंगित समस्याओं पर की गई कार्यवाही की स्थिति निम्न है:–

1–हैदराबाद पक्की सड़क के दक्षिण में माइनर के कटने से किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं है। इस स्थल पर नहर को सुदृढ़ करा दिया गया है तथा सिल्ट सफाई का कार्य भी कराया जा चुका है। नहर जहां तक बनी है, वहां तक पानी द्वारा सिंचाई हो रही है। बगैर पानी दिये सिंचाई लिखे जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

2–इस नहर पर पड़ने वाले ग्रामों में चकबन्दी चल रही थी। चकबन्दी प्रक्रिया में धारा–52, का प्रकाशन अब हो चुका है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद फैजाबाद, जनता दल मुख्यालय प्रभारी श्री रमेश शर्मा द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

58–श्री राम लखन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-5-90 को जनता दल, फैजाबाद के मुख्यालय प्रभारी रमेश शर्मा द्वारा पंजीकृत डाक से महानिदेशक चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायती पत्र में किन-किन वित्तीय हेराफेरी जांच रिपोर्ट को दबाये जाने तथा अस्पतालों का समान बेंच लेने की शिकायत की गयी है। सरकार द्वारा इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा और कब करायी गयी? क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ अंतर्गत शारदा सहायक नहर में, बिहटा पनईल के बीच पुल बनाने की मांग

59–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मऊ जनपद के अंतर्गत शारदा सहायक नहर में बिहटा पनईल के बीच पुल की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार पुल बनाने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव

इस स्थान पर पुल की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के अंतर्गत ग्राम बिहटा पनईल नहर के कि0 मी0-68.170 से 69.270 के मध्य स्थित है । नहर के कि0 मी0-68.377 तथा 69.270 पर ग्रामीण पथ सेतु तथा कि0 मी0-68.88 पर पैदल पुलिया निर्मित है । इस स्थिति में उपरोक्त पुल का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं है ।

जनपद मऊ अंतर्गत शारदा सहायक नहर की पटरी को आवागमन सुविधा हेतु पक्का कराने की मांग

60—श्री सुबास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अंतर्गत शुकुलौली से कुसुम्हा तक शारदा सहायक नहर की पटरी को गांवों के आवागमन की सुविधा हेतु पक्का किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

शारदा सहायक नहर की पटरी को आवागमन हेतु पक्का करने का प्राविधान परियोजना में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मऊ अंतर्गत घाघरा नदी के किनारे बीबीपुर, तहिरापुर तथा गौरीडीह बांध में बाढ़-नियंत्रण हेतु रेगुलेटर बनाने की मांग

61—श्री सुबास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अंतर्गत घाघरा नदी के किनारे बीबीपुर, तहिरापुर, गौरीडीह में बने बांध में बरसाती पानी तथा घाघरा नदी के बाढ़ के पानी के नियंत्रण के लिए रेगुलेटर की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या रेगुलेटर बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्या रेगुलेटर बनाने की व्यवस्था तत्काल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

घाघरा नदी के किनारे ग्राम-बीबीपुर तहिरापुर एवं गौरीडीह में बने बीबीपुर बेलौली बांध के कि0 मी0 2.00 व कि0 मी0 2.80 पर रेगुलेटर पहले से निर्मित है । निर्मित रेगुलेटरों की निकासी क्षमता कम होने के कारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ।

दो रेगुलेटर पहले से ही निर्मित हैं इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

बने रेगुलेटरों की आवश्यकतानुसार क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है । रेगुलेटरों की क्षमता बढ़ाने के कार्य को वर्ष 1991-92 में पूर्ण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग चतुर्थ खण्ड सुल्तानपुर में कार्यरत सुपरवाइजर श्री राम चन्द्र शुक्ल को वेतन विषमता आदि के संबंध में श्री रामचन्द्र बख्श सिंह स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

62—श्री असगर अली—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ खण्ड, सिंचाई विभाग, सुल्तानपुर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की वेतन विषमता तथा कार्यालय में सम्बद्ध किए जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, एम0 एल0 ए0 के पत्र दिनांक 28-12-89 तथा 31-3-90 क्रमशः प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई भवन तथा उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के परिप्रेक्ष में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के अंतर्गत क्या शासन ने कर्मचारियों को निकालने का कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो कब ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

श्री राम चन्द्र शुक्ला सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर के चतुर्थ उपखण्ड में सुपरवाइजर के रूप में मस्टर रोल पर कार्यरत थे । सुपरवाइजर की आवश्यकता न रहने पर उन्हें रेगुलेशन बेलदार के रूप में मस्टररोल पर कार्य करने का अवसर दिया गया । उक्त पद पर कुछ समय कार्य करने के पश्चात वे स्वेच्छा से कार्य छोड़कर चले गये ।

दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को सेवा मुक्त करने के आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है ।

जनपद आजमगढ़ की दो महत्वपूर्ण ड्रेनों की, की गई सफाई का विवरण एवं जांच आदेश

63—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारा0 प्र0 सं0—57 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित ड्रेनों की सफाई कबकब करायी गयी ? क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी कि इन ड्रेनों की वास्तव में सफाई नहीं हुई है जिसके कारण हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है ? क्या सरकार इनकी सफाई करायेगी ?

श्री बाबू राम यादव—

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रशां संख्या-57 के उत्तर के संदर्भ में ड्रेनों की सफाई का विवरण निम्नानुसार है :—

(1) छोटी सरयू ड्रेन की सफाई वर्ष 1982-83 एवं आंशिक रूप से वर्ष 1989-90 में की गई है ।

(2) ताल सलोना (आजमगढ़) से सिकन्दरपुर तक डोमनी ड्रेन की सफाई लम्बाई 3.20 कि0 मी0 में वर्ष 1988-89 में की गई है ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर से वास्तविक कार्यों के सम्पादित होने के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं ।

जांच उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो सफाई करा दी जायेगी ।

64—श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इन्डोडच नलकूप रिंग्स खण्ड गोरखपुर में स्थानान्तरित सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) की संख्या तथा स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

65—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्डोडच नलकूप रिंग्स खण्ड, गोरखपुर में कितने सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) का स्थानान्तरण किया गया तथा क्या वे वहां से कार्यमुक्त कर दिए गए हैं ? क्या यह भी सत्य है कि कुछ अभियन्ता, जिन्हें 15-6-90 तक कार्यमुक्त होना था वे आज तक कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या आदेशों की अवहेलना करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

इण्डोडच नलकूप रिंग्स खण्ड गोरखपुर से वर्ष 1989 में दो सहायक अभियन्ता सर्वश्री मकरध्वज प्रसाद एवं बाल गोविन्द यादव तथा वर्ष 1990 में एक सहायक अभियन्ता श्री हरी राम वर्मा का स्थानान्तरण अन्य खण्डों में किया गया ।

श्री मकरध्वज प्रसाद सहायक अभियन्ता को दिनांक 8-5-90 को उक्त खण्ड से कार्यमुक्त किया गया । श्री बाल गोविन्द यादव, सहायक अभियंता का आदेश निरस्त हुआ एवं श्री हरी राम वर्मा, सहायक अभियन्ता को दिनांक 14-6-90 को कार्यमुक्त किया गया। लेकिन इनका स्थानान्तरण इण्डोडच नलकूप रिंग्स खण्ड बलिया में होने पर इन्हें इण्डोडच नलकूप रिग्स खण्ड गोरखपुर से सम्बद्ध किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव शाखा में, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सहायकों के स्थानान्तरण की मांग

66—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव शाखा में कितने अवर/प्रवर वर्ग सहायकों का स्थानान्तरण अब तक स्थानान्तरण नीति के अनुसार नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी उनका स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव शाखा में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले सहायकों में से अब तक 2 प्रवर वर्ग सहायकों एवं 2 अवर वर्ग सहायकों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

6 प्रवर वर्ग सहायकों द्वारा संदर्भदाता के पद पर कार्य किया जा रहा है चूंकि संदर्भदाता का पद स्थानान्तरण नीति संबंधी सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1952/20-ई-1-90-600 (1)/81 दिनांक 5 मई, 1990 के अंतर्गत नहीं आता है । अतः उक्त 6 प्रवर वर्ग सहायकों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

संबंधित प्रवर/अवर वर्ग सहायकों का एक साथ स्थानान्तरण कार्यहित में किया जाना सम्भव नहीं है । इन्हें शनैः शनैः स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा जिसके लिए किसी समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा अन्तर्गत नरैनी ब्लाक के ग्रामों में अन्वेषणात्मक छिद्रणोपरान्त लगाये गये रा0 नलकूपों का विवरण

67–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-5-90 का पत्र जो बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के गांवों में अन्वेषणात्मक छिद्रण कराकर राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या उस पर श्री जैन मुख्य अभियन्ता, नलकूप को राजकीय नलकूप लगवाने के आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कहां-कहां अन्वेषणात्मक छिद्रण कराये गये और कहां-कहां राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

इस क्षेत्र में भूगर्भ जल की स्थिति अनिश्चित है अतः नरैनी के ग्राम परसहा में एवं ब्लाक महुआ के ग्राम जरर तथा ब्लाक कर्वी (चित्रकूट) के ग्राम भभई में अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद को साइट उपलब्ध करा दी गयी है । परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत ग्रामों में नलकूप के निर्माण कार्य पर विचार किया जाएगा ।

जनपद मऊ की नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु विगत चार वर्षों में आवंटित/व्यय की धनराशि का विवरण

68–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए कितनी धनराशि गत चार वर्षों में आवंटित एवं व्यय हुई है और वर्ष 1990-91 के लिए कितना धन आवंटन किया गया है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदत्त शासन द्वारा आर्थिक सहायता की जांच हेतु श्री राम कुमार वर्मा (स0 वि0 स0) द्वारा प्रेषित पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

69—श्री अमरनाथ यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता की जांच करने हेतु विधायक श्री राम कुमार वर्मा का 27 जुलाई, 1990 का पत्र उनको मिला है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र में जांच हेतु दिए गए बिन्दु क्या हैं? क्या उन्होंने बिन्दुवार जांच करायी है? जांच में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी पाये गये हैं? उनका नाम, पद, पता क्या है? दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जांच के निम्नलिखित बिन्दु हैं :—

1—वर्ष 1987-88 व 1988-89 तथा 1989-90 में जिसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है क्या वह उसका पात्र रहा है तथा उसका आवेदन पत्र कार्यालय में कब मिला एवं उसका क्रमांक व दिनांक क्या रहा है।

2—उपरोक्त अवधि के ऋणों के बंधक विलेख भरते समय बंधक विलेख एवं सरकारी वकील के खर्च के नाम कितना रुपया ऋणी से लिया गया, वास्तव में कितना व्यय हुआ। यदि अवैध धन लिया गया है तो लेने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

3—उपरोक्त अवधि में वितरित आर्थिक सहायता को देते समय ऋणियों से कितना धन कमीशन के रूप में लिया गया है। इसकी जांच प्रत्येक ऋणी से होनी चाहिए।

4—उपरोक्त अवधि में वितरित आर्थिक सहायता देते समय किसी ऋणी को एक मुश्त भुगतान का चेक दिया गया किसी को दो किश्तों में दिया गया ऐसा क्यों किया गया उपरोक्त दोनों में से कौन तरीका सही तथा यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया गया।

5—उपरोक्त अवधि में वितरित धन जिसे किश्तों में भुगतान किया गया क्या उसकी प्रथम किश्त की पी0 यू0 सी0 बनने के बाद ही दूसरी किश्त दी गयी है, यदि नहीं तो धन दो किस्तों में क्यों दिया गया। प्रथम किस्त के सदुपयोग न होने पर दूसरी किस्त क्यों दी गयी जबकि आपका मुख्यालय प्रदत्त धन की पी0 यू0 सी0 बनने के बाद ही दूसरी किस्त देता है।

6—जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने उपरोक्त अवधि तक वितरित ऋण का आवेदकों को प्रत्यक्ष उनके घर जाकर निरीक्षण किया है, यदि हां, तो इसके क्या प्रमाण हैं कि उनकी निरीक्षण रिपोर्ट सही है। क्या उसका टी0 ए0 लिया गया है एवं उनके पंजिका पर ग्रामोद्योग अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

7—आर0 सी0 निष्पक्ष रूप से जारी हुई है या भेदभाव बरता गया है। शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जांच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित चिकित्साधिकारियों में से, कतिपय को पुनः उन्हीं चिकित्सालयों में वापस करने का औचित्य

70—श्री गनपत सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मध्य सत्र सितम्बर, 1989 में 22 चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण जनपद गोरखपुर से अन्य जनपदों में इसलिए किया गया था कि इन चिकित्सकों को गोरखपुर जनपद में 9—10 वर्ष से अधिक हो गये थे एवं अनेक चिकित्सक अवैध तरीके से प्राइवट नर्सिंग होम एवं क्लीनिक चला रहे थे? यदि हां, तो उनमें से कुछ चिकित्सकों का मात्र आठ माह में ही पुनः उसी अस्पताल में स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

जी नहीं। अपितु केवल 20 चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र इस कारण किया गया था कि उक्त चिकित्साधिकारियों की जनपद गोरखपुर में तैनाती 7 वर्ष से अधिक थी।

उनमें से 4 चिकित्साधिकारियों को उनकी प्रोन्नति के फलस्वरूप, एक चिकित्साधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण, एक चिकित्सा अधिकारी को दम्पत्ति नीति के कारण तथा 2 चिकित्साधिकारियों को लोकहित में जनपद गोरखपुर में पुनः तैनात किया गया।

माननीय सदस्य यदि चाहें तो, विवरण मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

डा0 अतीकुर्रहमान खान आर0 डी0 एम0 जिला चिकित्सालय, गोरखपुर के विरुद्ध श्री बांके लाल तिवारी, सम्पादक साप्ताहिक पत्र गोरखनगरी द्वारा निदेशक स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

71—श्री गनपत सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि डा0 अतीकुर्रहमान खान आर0 डी0 एम0, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच हेतु निदेशक, स्वास्थ्य विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गोरखपुर को एक पत्र श्री बांके लाल तिवारी, सम्पादक साप्ताहिक पत्र गोरखनगरी ने दिनांक 6-11-89 को भेजा था ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रश्नगत पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर को दिनांक 8-11-89 को प्राप्त हुआ है जो उन्हें ही समोधित है।

शिकायतों की जांच, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर द्वारा की जा रही है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

18वां मण्डल सिंचाई कार्य, जनपद इलाहाबाद द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य करवाने वाले कथित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18वां मण्डल सिंचाई कार्य, इलाहाबाद द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम जो कि केन्द्र सरकार से संबंधित था, के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराने का प्रोग्राम था ? इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया तथा उपलब्ध धन के विरुद्ध कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि आई0 ए0 पी0 के प्रोग्राम के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य कराए गये हैं तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जावेगी, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव—

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता प्राप्त हुई थी । इससे शारदा सहायक परियोजना में 81 कि0मी0 नई नहरों का निर्माण एवं 192 अदद पक्के कार्य कराने का कार्यक्रम था जिससे 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित था ।

इसके लिए रु0 350.95 लाख धनराशि उपलब्ध कराइ गई । इसमें से रु0 164.24 लाख का उपयोग भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु किया गया तथा शेष राशि से 107.6 कि0मी0 नई नहरों एवं 146 अदद पक्के कार्यों का निर्माण कार्य कराया गया । कराये गये कार्यों से 12430 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ ।

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता से शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता का त्वरित सृजन किया जाना था । तद्नुसार ही कार्य निष्पादित कराये गये हैं और मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से अधिक क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता और न ही किसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर (महिला) में सेनिटेरियन के रिक्त पदों को भरने की मांग

73—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के वर्ष 1989 के द्वितीय सत्र के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेनिटेरियन के पदों पर चयन हेतु गठित समिति द्वारा कितने पदों के चयन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

चयन की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है । सेनिटेरियन के पदों पर चयन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 11-9-90, 18-9-90, 24-10-90 तथा 1-12-90 को आयोजित की गई किन्तु जनपद स्तर से अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकायें गोपनीय आख्या के साथ सुलभ न होने के कारण इन पदों पर चयन की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है । अभ्यर्थियों की वांछित चरित्र पंजिकायें गोपनीय आख्या के साथ प्राप्त होते ही कथित पदों के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ।

जनपद बाराबंकी, ग्राम सभा बबुरी और ब्लाक देवां में शारदा सहायक नहर में 18 वर्ष पूर्व किसानों की ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान न करने का कारण

74–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बबुरी गांव, ब्लाक देवां, जिला बाराबंकी में शारदा सहायक नहर में खेत प्लाट नं0 53, 52, 102, 101, 103, 109, 107, 134, 112, 111, 116, और 59 की मिट्टी खुदवायी गयी थी ? यदि हां, तो लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों को इसका मुआवजा न दिए जाने का क्या कारण है ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि से मिट्टी लिए जाने की स्थिति अभिलेखों से सत्यापित कराने तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखनऊ एवं संबंधित अधिशासी अभियंता के बीच भूमि अध्याप्ति का प्रकरण पत्राचार में होने के कारण विलम्ब हुआ तथा इसी कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका । अब भूमि अध्याप्ति प्रकरण अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं0–3120/सिं0 ख0, दिनांक 16-12-90 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को भेज दिया गया है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अस्थाई भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त मुआवजा दे दिया जायेगा ।

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में सृजित निःसम्वर्गीय शोध अधिकारी के पद को संवर्गीय में बदलने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही

75–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में निःसम्वर्गीय शोध अधिकारी का पद 29-2-88 से सृजित है ? क्या यह सत्य है कि उक्त निदेशालय में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो नियमानुसार निःसंवर्गीय पद का सृजन कितने वर्षों तक चलाया जा सकता है ? निदेशालय को उक्त पद पर प्रतिवर्ष कितना व्यय करना पड़ता है ? क्या उक्त पद को संवर्गीय पद में बदलने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु विज्ञापित किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त निःसम्वर्गीय पद कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

इस हेतु कोई समय सीमा अलग से निर्धारित नहीं है ।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त पद पर 37,781 रुपये प्रति वर्ष वेतन के रूप में व्यय किया जाता है ।

जी नहीं ।

पद की स्वीकृति शासकीय कार्यहित में दी गई है । उसे समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर मण्डल में मलेरिया व फाइलेरिया आदि बीमारियों के प्रकोप से बचने के उपाय तथा अनुमानित व्यय का विवरण

76—श्री बसन्त लाल गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के अंतर्गत आने वाले जिले देवरिया, गोरखपुर में मलेरिया, फाइलेरिया, इन्सेफिलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के प्रकोप पिछले 10 वर्षों से काफी बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो जन साधारण को इस प्रकोप से बचाने के लिए सरकार फ्यूमेगेशन घर-घर एवं गन्दी नालियों में करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रतिवर्ष डी0 डी0 टी0 फ्यूमेगेशन में कितना खर्च होता है और कितने लोगों को कार्य पर लगाया जाता है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मलेरिया व फाइलेरिया का प्रकोप पिछले 10 वर्षों में कम हुआ है । वर्ष 1988 में इन्सेफिलाइटिस का प्रकोप सर्वाधिक रहा । तत्पश्चात इसका प्रकोप उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ।

फ्यूमेगेशन नहीं कराया जाता है बल्कि प्रभावित नगरों में फागिंग कराई जाती है। नालियों में दवा डालने का कार्य केवल देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती नगरों में कार्यरत फाइलेरिया कन्ट्रोल यूनिट द्वारा कराया जाता है ।

फागिंग का कार्य मलेरिया व फाइलेरिया में कार्यरत कर्मचारियों से कराया जाता है । देवरिया एवं गोरखपुर जनपदों में डी0 डी0 टी0/वी0 एच0 सी0 छिड़काव पर वर्ष 1990 में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख रुपये का व्यय आया तथा लगभग 1950 मजदूरों को कार्य पर लगाया गया ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर हेतु आवास का आवंटन

77—श्री बसन्त लाल गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सिविल हास्पिटल, गोरखपुर को उनका निर्धारित आवास आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक आवास आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर हेतु कोई निर्धारित आवास नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

78—श्री रामलखन वर्मा—

[दिनांक 24-1-91 को अता0 प्र0 सं0 55 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के श्री गुरुदेव ग्राम सेवा समिति (ग्रामोद्योग विभाग) अहिरौला के अध्यक्ष द्वारा कथित धन के दुरुपयोग की शिकायत

79—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुरुदेव ग्राम सेवा समिति (ग्रामोद्योग विभाग) अहिरौला, आजमगढ़ के अध्यक्ष द्वारा धन के दुरुपयोग एवं अपव्यय की शिकायतें वर्ष 1987 में विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? इसकी जांच किससे करायी गयी है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं :—

(1) समिति की बिना किसी बैठक एवं प्रस्ताव के समिति के मंत्री रु0 1,16,000 की धनराशि ऋण के रूप में अवैधानिक ढंग से प्राप्त कर अपने स्वार्थ में प्रयोग कर रहे हैं ।

(2) समिति के सक्रिय सदस्यों की सम्पत्ति गिरवी रखे बिना ऋण प्राप्त किया गया ।

शिकायतों की जांच उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर से कराई गई ।

उपर्युक्त शिकायतें जांच में प्रमाणित नहीं पाई गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-आजमगढ़ में शारदा सहायक की दोहरी घाट लिंक नहर का खालिस पुर रजबहा के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

80—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक की दोहरी घाट लिंक नहर का खालिसपुर राजबहा प्रारम्भ में नीचा और उत्तरोत्तर ऊंचा होता गया है जिसके कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसे ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं ।

नहर की कुल लम्बाई 9—6 कि0 मी0 में से अभी केवल 3-0 कि0 मी0 में पूर्ण है जो ठीक है । शेष लम्बाई में निर्माण प्रगति में है । अतः किसी [illegible]यकता नहीं है ।

जनपद-बांदा के अंतर्गत ब्लाक कमासिन के ग्राम सोनहुला में राजकीय ट्यूबवेल को अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

81—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक कमासिन के गांव सोनहुला स्थित राजकीय ट्यूबवेल संख्या 45 एवं 46 बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या बंदी का कारण विद्युत आपूर्ति की कमी है ? क्या विद्युत आपूर्ति कराकर ट्यूबवेल चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक कमासिन के ग्राम सोनहुला स्थित राजकीय नलकूप सं0-45 विद्युत लाइन का तार गिर जाने के कारण बन्द था । कूप सं0-46 बबेरू चालू हालत में है ।

विद्युत लाइन का तार गिर जाने के कारण कूप सं0—45 बन्द था ।

विद्युत लाइन खिंचवाकर तथा ट्रान्सफार्मर लगाकर नलकूप दिनांक 25-11-90 को चालू करा दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के छात्रों के छात्रावास सम्बन्धी समस्याओं की निराकरण

82—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में छात्रों की संख्या को देखते हुये पुरुष/महिला छात्रावास में आवश्यक स्थान उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस समस्या का निराकरण हो सकेगा

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण छात्रावासों की समुचित व्यवस्था नहीं करायी जा सकी है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही समस्या का निराकरण सम्भव है ।

जनपद आजमगढ़ व मऊ के सिंचाई विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का आरक्षण कोटा

83—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ व मऊ-जनपद के सिंचाई विभाग में क्रमशः प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? उसमें कितने सामान्य कितने पिछड़ी जाति और कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं? क्या पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं? क्या पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

सिंचाई विभाग में जनपद आजमगढ़ तथा मऊ में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :—

जनपद आजमगढ़ का विवरण

श्रेणी	कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों की संख्या	सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अ0 जा0 जाति	अ0 जन0 जाति
प्रथम	24	19	3	2	—
द्वितीय	3	3	—	—	—
तृतीय	700	319	288	93	—
चतुर्थ	334	80	197	57	—
योग ..	1061	421	488	152	—
जनपद मऊ का विवरण					
प्रथम	5	4	—	1	—
द्वितीय	—	—	—	—	..
तृतीय	259	110	106	43	..
चतुर्थ	164	52	97	15	..
योग ..	428	166	203	59	..

जनपद आजमगढ़ व मऊ में तृतीय तथा कतुर्थ श्रेणी में पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोटा अपूर्ण है, जिसे पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का आरक्षण प्रदेश स्तर पर निर्धारित होता है । जनपद स्तर पर आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता 18वां मण्डल सिंचाई विभाग इलाहाबाद द्वारा अधिकार का कथित दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की मांग

84—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता 18वां मण्डल सिंचाई कार्य इलाहाबाद में अपने पत्र संख्या एस-ई/डब्लू सी इलाहाबाद50004/अष्टदशम/सी-6 दिनांक 8-12-89 द्वारा सिंचाई खण्ड जौनपुर एवं शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद की 10—10 लाख रुपया की शाख सीमा आवंटित की थी ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता को इसी शाख सीमा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर आवंटित करने का सरकार द्वारा अधिकार दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अधिकार का दुरुपयोग करने पर अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जाएगी, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इलाहाबाद में स्थित शारदा सहायक खण्ड 39 द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत उपलब्ध धन के विरुद्ध निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कार्य कराये जाने की शिकायत

85—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 व 89-90 में शारदा सहायक खण्ड 39, इलाहाबाद द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम जो कि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित था के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराने हेतु निर्धारित था ? उपलब्ध धन के विरुद्ध कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि आई0 ए0 पी0 के निर्धारित प्रोग्राम के अतिरिक्त कार्य कराये गये हैं तो प्रोग्राम के अतिरिक्त कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जायेगी, तो कब तक?

श्री बाबू राम यादव—

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता प्राप्त हुई थी । इससे शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद द्वारा शारदा सहायक परियोजना में 25.8 कि0 मी0 नयी नहरों का निर्माण तथा 64 अदद पक्के कार्य कराने का कार्यक्रम था जिससे 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित था ।

उपलब्ध धन से 57.5 कि0 मी0 नई नहरों तथा 89 अदद पक्के कार्यों का निर्माण कार्य कराया गया । रुपये 22.9 लाख भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रयोग किया गया। कराये गये कार्यों से 7314 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ ।

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता से शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता का त्वरित सृजन किया जाना था । तदनुसार ही कार्य निष्पादित कराये गये हैं और खण्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से अधिक क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता और न ही किसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-जौनपुर द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

86—श्री नजयउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 88-89 व 89-90 में सिंचाई खण्ड, जौनपुर द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत कौनाकौन से कार्य कराने का प्रोग्राम था ? इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया ? उपलब्ध धन के विरुद्ध

कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि आई0 ए0 पी0 के प्रोग्राम के अतिरिक्त कार्य कराये गये हैं, तो प्रोग्राम के अतिरिक्त कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी ? तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता प्राप्त हुई थी इससे सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा शारदा सहायक परियोजना में 27-2 कि0 मी0 नई नहरों का निर्माण तथा 62 अदद पक्के कार्य कराने का कार्यक्रम था, इससे 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित था ।

इसके लिए रुपये 111.10 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई । उपलब्ध धन से 29.5 कि0 मी0 नई नहरें तथा 43 अदद पक्के कार्यों का निर्माण कार्य कराया गया । रुपये 45.34 लाख भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रयोग किया गया । कराये गये कार्यों से 2917 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ ।

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम आई0 ए0 पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता से शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता का त्वरित सृजन किया जाना था तदनुसार ही कार्य निष्पादित कराये गये हैं और खण्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से अधिक क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नही उठता और न ही किसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-इलाहाबाद के सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत उपलब्ध धन के विरुद्ध अतिरिक्त कार्य कराये जाने की शिकायत और कार्यवाही की मांग

87–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 88-89 व 89-90 में सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद द्वारा आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन सा कार्य कराया जाना निर्धारित था ? इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया ? उपलब्ध धन के विरुद्ध कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि आई0 ए0 पी0 प्रोग्राम के अतिरिक्त कार्य कराये गये हैं, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम आई0 ए0 पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता प्राप्त हुई थी इससे सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद द्वारा शारदा सहायक परियोजना में 10.0 कि0 मी0 नई नहरों का निर्माण तथा 26 अदद पक्के कार्य कराने का कार्यक्रम था।

इसके लिए रुपये 15.0 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से रुपये 7.0 लाख भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु उपयोग किया गया । प्रश्नगत खण्ड द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया ।

सिंचाई बढ़ोत्तरी कार्यक्रम (आई0 ए0 पी0) के अन्तर्गत खण्ड द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है । आवंटित धनराशि के उपयोग के संबंध में परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

जनपद जौनपुर, सिंचाई खण्ड को किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे हेतु आवंटित धन का विवरण एवं मुआवजा का भुगतान करने की मांग

88—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड-जौनपुर में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा हेतु वर्ष 89-90 में कितना धन आवंटित किया जाना था? उसके विरुद्ध एस0 एल0 ओ0 जौनपुर को कितना धन सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा दिया गया था ? कितना धन शेष है ? क्या एस0 एल0 ओ0 जौनपुर द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा सभी किसानों को वर्ष 89-90 तक दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिग्रहण भूमि का मुआवजा कब तक आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

सिंचाई खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत भूमि के मुआवजे हेतु 1989-90 में कोई धन आवंटित नहीं किया गया था । अतः एस0 एल0 ओ0 को खण्ड द्वारा धन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड, जौनपुर द्वारा पूर्व में दिये गये धन में से दिनांक 1-4-90, को निम्न प्रकार धनराशि अवशेष थी :—

(1) एस0 एल0 ए0 ओ0 (सं0 सं0) जौनपुर		रु0 29.94 लाख
(2) एस0 एल0 ए0 ओ0 (सिंचाई)		रु0 130.72 लाख
	योग	रु0 160.66 लाख

जी नहीं ।

खण्ड द्वारा अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में विज्ञप्तियों के निर्गमन, उनके गजट में प्रकाशन के बाद विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित करके प्रतिकर का वितरण किया जायेगा । यह प्रक्रिया चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ सचिवालय में स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनाती का औचित्य

89—श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालों में तथा सचिवालय में कितने चिकित्साधिकारी वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार तैनात हैं ? क्या इनमें कोई 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर तथा 6 वर्ष से अधिक समय से लखनऊ जनपद में तैनात है ? इन्हें स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात रखने का क्या औचित्य है ? इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

चार चिकित्साधिकारियों को छोड़कर शेष सभी स्थानान्तरण नीति के तहत तैनात हैं।

जी हां, ऐसे चार चिकित्साधिकारी तैनात हैं । इनमें से एक चिकित्साधिकारी को उनके पति के लखनऊ में राजकीय सेवा में तैनात होने के कारण, दूसरे चिकित्साधिकारी को उनकी योग में विशिष्ट योग्यता के कारण, तीसरे चिकित्साधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण तथा चौथे चिकित्साधिकारी को उसकी विशेष परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

जनपद फिरोजाबाद के श्री दिनेश चन्द क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के विरुद्ध विधान सभा सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित शिकायती-पत्र

90–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश चन्द्र, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, फिरोजाबाद के विरुद्ध विधान सभा सदस्यों द्वारा सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र दि0 9-5-90 जो मुख्य मंत्री की जांच हेतु दिया गया था प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच परिणाम क्या है ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री (श्री रुद्र प्रसाद)–

सामूहिक हस्ताक्षरित कथित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 9-5-90 को भेजा गया था । किन्तु इसमें श्री दिनेश चन्द्र के विषय में उल्लेख नहीं था । कथित पत्र के साथ संलग्न श्री अशोक कुमार मेहता, जवाहर नगर फिरोजाबाद की दिनांक 28-1-90 के पत्र की फोटो स्टेट प्रति अवश्य संलग्न थी जिसके संबंध में जांच की कार्यवाही खाद्य आयुक्त के स्तर से कराई जा रही है । जांच की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

91–श्री मोती लाल देहलवी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद–मऊ के दोहरी घाट पम्प नहर को विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर के लिए राज्य सेक्टर से धन की व्यवस्था करने की मांग

92–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल विद्युत की लो वोल्टेज के कारण विगत वर्ष किसानों को सिंचाई हेतु पानी समय से नहीं दे पायी थी ? यदि हां, तो क्या उसे इस वर्ष विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर के लिए राज्य सेक्टर से धन देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

विगत वर्ष माह नवम्बर/दिसम्बर, 1989 तथा जनवरी, 1990 में कम वोल्टेज फेल के कारण पम्प लगातार नहीं चल पाये थे, जिसको राज्य विद्युत परिषद् से

प्रयास करके जनवरी, 1990 में ठीक कराया गया तथा किसानों को पानी उपलब्ध हुआ था ।

दोहरीघाट पम्प नहर के वास्ते सेपरेट फीडर पहले से ही बना हुआ है । अतः किसी नये फीडर का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोहरीघाट पम्प नहर के लिए सेपरेट फीडर पहले से ही बना हुआ है ।

जनपद मऊ की ग्राम सभा डवाटी में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

93—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के सबसे बड़ी ग्राम सभा डवाटी में जहां की आबादी लगभग 30 हजार है और जहां अधिकांश आबादी हरिजन एवं पिछड़ी जाति की है वहां अभी तक आयुर्वेद का अस्पताल चल रहा है ? क्या वहां की आबादी को देखते हुए सरकार वहां एलोपैथिक अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में राजकीय चिकित्सालय नैमडाड़ व बेलाकसैला के अस्पताल के भवन एवं डाक्टर व अन्य कर्मचारियों के आवास हेतु जमीन ग्राम सभा से ले ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जमीन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 90-91 में भवन निर्माण हेतु कार्य करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों की आपूर्ति

94—श्री बदन सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख राशन कार्डों की आपूर्ति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-3-90 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी हां ।

राशन कार्ड की आपूर्ति के लिए किये गये प्रयास के परिणाम स्वरूप राजकीय मुद्रणालय से दिनांक 25-1-1991 को एक लाख ग्रामीण राशन कार्ड एवं एक लाख शहरी राशन कार्ड आगरा जिले के लिये प्राप्त हो गए हैं । जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी आगरा को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन कार्डों को शीघ्रातिशीघ्र वितरित कर दिया जाए ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में खराब नलकूपों का पी0 वी0 सी0 पाइपों से पुनः निर्माण कराने की मांग

95—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में लगे हुए खराब नलकूपों का पी0 वी0 सी0 पाइपों से पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध

प्रश्नकर्ता को कोई पत्र दिनांक 25-4-90 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में खारे भूगर्भीय जल से नलकूप की लोहे की एसेम्बली कुप्रभावित होने के कारण नलकूप विफल हो रहे हैं । उक्त ब्लाक में लोहे के पाइप के स्थान पर पी0 वी0 सी0 पाईपों तथा नलकूप की आयु पर खारे पानी के प्रभाव का अध्ययन परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है । अध्ययन उपरान्त ही राजकीय नलकूपों की पी0 वी0 सी0 पाइप से पुनर्निर्माण कराने के सिद्धान्त पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के सिंचित अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में कलस्टर ट्यूबवेल लगाने की मांग

96–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के सिंचित अभाव ग्रस्त क्षेत्र में कलस्टर ट्यूबवेल लगाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-4-90 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

फतेहपुर सीकरी ब्लाक के सिंचित अभाव ग्रस्त क्षेत्र का भूगर्भ पानी खारा व लोहे की पाइप को गलाने वाला होने के कारण कलस्टर नलकूप लगाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । पत्थर तोड़ मशीनों द्वारा बोरिंग कराने के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् तथा राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु अनुरोध किया गया है ।

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कारागार योजना के अंतर्गत वेतन का भुगतान

97–श्री राज किशोर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो कर्मचारी वर्ष 1960 से प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बुनाई व चर्खा प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनको किस विभाग का कर्मचारी माना जा रहा है और किस विभाग से उनके वेतन आदि का भुगतान हो रहा है ? क्या इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पेंशन ग्रेच्युटी नगर भत्ता आदि का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन कर्मचारियों को उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये गए हैं ।

कारागार योजना के अंतर्गत इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण का काउन्टर

98—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में उपलब्ध है तथा प्रदेश के प्रत्येक चिकित्सालय में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चिकित्सा सेवा एवं दवा वितरण काउन्टर अलग से खोला गया है ? यदि नहीं, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चिकित्सा सेवा एवं दवा वितरण काउन्टर अलग से कब तक खोला जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में समस्त चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध हैं । सभी संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को औषधि वितरण हेतु अलग काउन्टर स्थापित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में स्थित अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई मण्डल के तृतीय श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण

99—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई मण्डल गोरखपुर में कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण इस वर्ष किया गया ? यदि हां, तो किस कर्मचारी का कहां स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई मण्डल गोरखपुर के कार्यालय में कुल 17 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं । स्थानान्तरण नीति के अनुसार ड्राइंग संवर्ग के तीन कर्मचारी स्थानान्तरण के पात्र थे, जिनमें से श्री शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी प्रारूपकार का स्थानान्तरण अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड बस्ती तथा श्री ओम प्रकाश लाल अनुरेखक का स्थानान्तरण ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर को कर दिया गया है । एक संगणक श्री राम गोपाल मिश्र का स्थानान्तरण कार्य एव जनहित में नहीं किया गया ।

जनपद मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत सिकड़ी कोल माइनर के निर्माण के अंतर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा देने तथा कार्य को पूर्ण कराने की मांग

100—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन सिकड़ीकोल माइनर की लम्बाई कितने किलो0 मी0 है? क्या उस माइनर के निर्माण हेतु किसानों से जमीन ली जा चुकी है? क्या किसानों से ली गयी जमीन का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? इस माइनर के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

श्री बाबू राम यादव–

सिकरी कोल माइनर की लम्बाई 16.5 कि0 मी0 है।

जी हां। मुआवजा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 तक पूर्ण होने की आशा है।

जनपद मऊ में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण

101–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई से 16 जुलाई 90 तक जनपद मऊ से कितने चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है ? उसमें कितने का स्थानान्तरण शासन द्वारा रोका गया? स्थानान्तरण रोके जाने का क्या कारण था? उसमें से कितनों ने आदेश का पालन किया है ? स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आलोच्य अवधि में 11 चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ।

तीन चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण जनहित में शासन द्वारा रोका गया।

आठ चिकित्साधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेशों का पालन किया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

102–103-श्री दशरथ सिंह–

[मा0 सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाये गये]

श्री एस0 पी0 सिंघल अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

104–श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री एस0 पी0 सिंघल अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है तथा वह प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जांच के दौरान सहायक अभियन्ता से उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जांच प्रचलित है, अभी आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

चूंकि प्रश्नगत जांच पदोन्नति में बाधक नहीं है अतः शासनादेश सं0 9215/23-1-88-362/87 दिनांक 17-1-89 द्वारा श्री सिंघल को सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत किया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री यमुना शंकर जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट

105—श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यमुना शंकर, जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध विधान सभा सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित पत्र पर मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-5-90 को उक्त जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के आदेश दिए गये थे? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराया गया तथा जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री रुद्र प्रसाद—

कथित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 9-5-90 को भेजा गया था। इस पत्र पर संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री ने वांछित कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। जांच की कार्यवाही खाद्य आयुक्त कार्यालय के स्तर से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

106—श्री पूर्णवासी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभाग में कार्यरत जिलेदार व सींच पर्यवेक्षक के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

107—श्री दयाराम भाष्कर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा जिलेदार एवं सींच पर्यवेक्षक पद पर पूरा है? यदि हां, तो सिंचाई विभाग में जिलेदार एवं सींच पर्यवेक्षक के क्रमशः कुल कितने पद हैं, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी संख्या है? यदि आरक्षण कोटा पूरा नहीं है तो क्या सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा कोटा पूरा कराने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जायेगी? क्या यह सही है कि माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में जिलेदार पद से पदोन्नति करके डी0 आर0 ओ0 के पद पर पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो उनसे हुई रिक्तियों को न भरे जाने का क्या कारण है?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं।

सिंचाई विभाग में जिलेदार के कुल 631 एवं सींच पर्यवेक्षक के 2647 पद स्वीकृत हैं, जिसमें जिलेदार के पद पर अनुसूचित जाति के 99 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनु0 जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। सींच पर्यवेक्षक के पद पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के क्रमशः 405 एवं 2 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जिलेदार का पद प्रोन्नति का पद है। दिनांक 5-12-90 तक उपलब्ध अनु0 जाति के पात्र अभ्यर्थियों की प्रोन्नति जिलेदार के पद पर की जा चुकी है।

पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण जिलेदारों के पांच पद अग्रेनीत किये गये हैं। वर्तमान में सींच पर्यवेक्षक पद पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के क्रमशः 43 एवं 2 पदों को भरना है, जिसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

जिलेदार के पद से उपराजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप हुई रिक्तियों को दिनंक 5-12-90 तक उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों से भर दिया गया।

जनपद लखनऊ के जिलापूर्ति कार्यालय में रिक्त पदों का विवरण

108—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलापूर्ति कार्यालय लखनऊ में प्रधान लिपिक/ज्येष्ठ लिपिक लेखा के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से तथा क्यों ? क्या पदोन्नति से रिक्त स्थान भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी नहीं । जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ में प्रधान लिपिक/ज्येष्ठ लिपिक लेखा का कोई पद रिक्त नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के नगपुर स्थित नवनिर्मित चिकित्सालय भवन का उद्घाटन और स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही

109—श्री राम लखन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के नगपुर स्थित नव-निर्मित चिकित्सालय भवन का उद्घाटन प्रदेश के एवं मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी कर चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त चिकित्सालय भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां ।

दिनांक 22-6-89 को नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया था ।

जी नहीं ।

भवन निर्माण में कुछ कार्य अभी तक पूर्ण न होने के कारण निर्माण एजेन्सी से भवन हस्तानान्तरित नहीं किया जा सका है ।

खाद्य एवं रसद विभाग की कतिपय श्रेणियों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

110—श्री राम लखन वर्मा—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग की नौकरियों में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/निगमों में सेवारत श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में अनुसूचित जाति/जनजातियों के अधिकारी व कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

खाद्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभागों/निगमों में कतिपय पदों में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है । नियमित चयन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश, आशु-

लिपिक तथा टंकक के पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा सका है। आरक्षण कोटा शीघ्र पूरा किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 151 पर)

सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण न किए जाने का औचित्य

111--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 15/85/1983-कार्मिक-1, दिनांक 30-11-83 के अनुसार किसी राजपत्रित अधिकारी का वियनिमितीकरण, स्थाई करण तथा पदोन्नति तब तक नहीं रोकी जा सकती है जब तक उसे शासन द्वारा आरोप पत्र न दिया गया हो या केवल शासन द्वारा आरोप पत्र देने का निर्णय न ले लिया गया हो ? यदि हां, तो ऐसे किन-किन प्रोन्नत सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं को दिनांक 9-8-89 तक शासन द्वारा आरोप पत्र दिये जा चुके हैं जिनको विनियमितीकरण से रोका गया है ?

श्री बाबू राम यादव--

जी नहीं, शासनादेश दिनांक 30-11-83 के अनुसार प्रोन्नति व स्थायीकरण के मामले में निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी कार्मिक के संबन्ध में चयन सात की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी जायेगी--

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि प्रथम दृष्टया मामला बन जाने के बाद प्रशासनाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया जा चुका है।

(ग) यदि सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच/अन्य प्रकार की प्रारम्भिक जांच के आधार पर निर्णय लिया जा चुका है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित कार्मिक के विरुद्ध दोषी होने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसके आधार पर आरोप-पत्र जारी किया जा सकता है या यथास्थिति उन तथ्यों पर मुकदमें चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(घ) यदि कार्मिक ट्रेप की कार्यवाही में पकड़ा जाता है और इस संबंध में अभियोजन चलाने या न चलाने के बारे में निर्णय विचाराधीन है।

(ङ) यदि नैतिक पतन या संदिग्ध सत्यनिष्ठा के बावत किसी न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही चल रही है।

उपरोक्त मामलों में अंतिम निर्णय हो जाने पर बन्द लिफाफा खोलकर चयन समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली 1988 के प्राविधान के अनुसार किसी कार्मिक को विनियमितीकरण में छोड़ने के लिए आरोप-पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है।

शासनादेश दिनांक 9-8-89 द्वारा छोड़े गए 17 तदर्थ प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को केवल आरोप-पत्र के आधार पर विनियमितीकरण से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि प्रश्न के प्रस्तर-1 के उत्तर में वर्णित परिस्थितियों के कारण उक्त सहायक

अभियन्ताओं के संबंध में चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी है एवं इनके लिए पद आरक्षित रखे गए हैं । जांच आदि पर अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात् इनके विनियमितीकरण प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

112—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती वाले सहायक यांत्रिक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची किस वर्ष तक प्रकाशित की गयी है और क्या बिना इस प्रकार की सूची के ही सीधी भर्ती वाले सहायक यांत्रिक अभियंताओं को पिछले वर्ष अधिशासी अभियंता यांत्रिक पद पर पदोन्नत किया गया ? क्या प्रोन्नत सहायक यांत्रिक अभियंताओं को उनके निर्धारित कोटे में पदोन्नत न देकर उनकी उपेक्षा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पहले उनका कोटा पूर्ण किया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां । शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 व 20 दिसम्बर, 1990 तथा 31 दिसम्बर, 1990 द्वारा वर्ष 1962 से 1972 बैच तक के सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित की गयी है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम-कल्यानपुर में यूनानी चिकित्सा केन्द्र खोलने की मांग

113—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-90 ग्राम कल्यानपुर तहसील मिलक जनपद रामपुर में यूनानी चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो यह चिकित्सालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर0 सी0 अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

114—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री आर0 सी0 अग्रवाल अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड बिना पदोन्नति के ही वर्ष 1987 से नलकूप मंडल-बरेली के अधीक्षण अभियन्ता नियुक्त किये गये हैं ? क्या सिंचाई मंत्री को यह भी जानकारी है कि श्री आर0 सी0 अग्रवाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराई जा रही है एवं वह प्रथम दृष्टया दोषी मान लिए गए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं । विशेष परिस्थितियों में अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासनादेश दिनांक 4-9-87 व 3-11-87 द्वारा श्री आर0 सी0 अग्रवाल तत्कालीन अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली को दैत कार्यभार प्रबंध के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, बरेली का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था । यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली तथा नलकूप खण्ड बरेली में भ्रष्टाचार के मामले

की जांच की जा रही है और इस निमित्त उनकी अपेक्षानुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ का सहयोग भी दिया जा रहा है किन्तु जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। अतः इसके अभाव में श्री अग्रवाल को प्रथम दृष्टया दोषी मानने तथा इनके विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण नीति

115–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद में कितने तृतीय श्रेणी (लिपिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

शारदा सहायक खंड–39, इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी (लिपिक) के कुल 17 तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 29 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को खंड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नवत है :—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	खंड में कार्यभार ग्रहण करने तिथि
	तृतीय श्रेणी (लिपिक)	
	सर्वश्री—	
1	मो0 लईक अकबर खां ..	.. 20–11–83 से अब तक
2	चन्द्रमणि शुक्ला ..	.. 21–10–84 ,,
3	सीताराम मिश्रा ..	.. 9–12–83 ,,
4	मालिक प्रसाद पाण्डेय ..	.. 1–7–86 ,,
5	अनन्त राम ..	.. 1–4–89 ,,
6	सत्य प्रकाश ..	.. 15–1–90 अपरान्ह
7	राम बली राय ..	.. 7–8–79 से अब तक
8	गंगा प्रसाद पाण्डेय ..	.. 26–9–89 ,,
9	जलधारी राम ..	.. 7–10–80 ,,
10	प्यारे लाल सोनकर ..	.. 30–6–84 अपरान्ह ,,
11	लखन लाल गप्ता ..	.. 31–7–87 ,,
12	सियाराम ..	.. 2–7–90 ,,
13	पुरूषोत्तम भारती ..	.. 17–7–90 ,,
14	राम सिंह ..	.. 27–6–89 ,,
15	वीरेन्द्र कुमार वर्मा ..	.. 20–3–80 ,, इसका स्थानान्तरण सि0 खं0, प्रथम इलाहाबाद को किया गया है परन्तु आदेश 30·4 91 तक के लिये स्थगित हैं।
16	सै0 हसन अब्बास ..	.. ये इस खंड के विरुद्ध सि0 खं0, जौनपुर में सम्बद्ध रूप में कार्यरत हैं।
17	जनार्दन प्रसाद ..	.. 2–7–90 अपरान्ह से अब तक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

सर्वश्री—

1	सुखनन्दन सिंह	..	..	8-7-77 से अब तक
2	अशोक कुमार	..	..	23-6-79 ,,
3	अमर नाथ	..	..	5-2-76 ,,
4	हीरा लाल मौर्य	..	..	16-7-80 ,,
5	जंगाली	..	..	24-10-75 ,,
6	भगेलू	..	..	27-7-76 ,,
7	पारसनाथ	..	..	1-10-75 ,,
8	द्वारिका प्रसाद	..	..	5-2-82 ,,
9	अमरनाथ	..	..	7-6-76 ,,
10	एडवर्ड पेट्रिक	..	..	24-11-90 ,,
11	सोहन लाल	..	..	3-2-76 ,,
12	राम वृक्ष	..	..	1-10-75 ,,
13	श्रीमती पार्वती देवी	..	..	6-8-85 ,,
14	जवाहर लाल	..	..	15-12-79 ,,
15	छोटे लाल	..	..	29-5-79 ,,
16	राजेन्द्र शाही	..	..	6-12-78 ,,
17	श्रीमती कैलाश देवी	..	..	21-5-88 ,,
18	राम लोटन यादव	..	..	17-11-82 ,,
19	कैलाश नाथ	..	..	17-6-79 ,,
20	सियाराम	..	..	19-12-85 ,,
21	रंजीत सिंह	..	..	23-12-78 ,,
22	राम दुलारे	..	..	20-7-76 ,,
23	हरिश्चन्द्र सरोज	..	..	12-1-79 ,,
24	अयोध्या प्रसाद	..		4-7-78 ,,
25	सुदर्शन यादव	..	..	6-9-76 ,,
26	राम सजीवन	..	..	1-8-84 ,,
27	मोहन लाल	..	..	1-7-79 ,,
28	तेजपाल	..	..	1-4-76 ,,
29	वीरेन्द्र राम	..	..	6-9-88 ,,

आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

शारदा सहायक खण्ड-30 इलाहाबाद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

116—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 30 इलाहाबाद में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

शारदा सहायक खण्ड–30, इलाहाबाद में 38 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों के कार्यरत रहने का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष जब से कार्यरत हैं		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या
1	1974	..	10
2	1975	..	2
3	1976	..	1
4	1977	..	..
5	1978	..	5
6	1979	..	3
7	1980	..	5
8	1981	..	..
9	1982	..	3
10	1983	..	1
11	1984	..	3
12	1985	..	2
13	1986	..	1
14	1987	..	..
15	1988	..	
		योग ..	38

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जनपद से बाहर स्थानान्तरण केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किये जाने की नीति है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के रिक्त पदों को भरने की मांग

117–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के कितने पद रिक्त पड़े हैं ? उन्हें अब तक न भरे जाने का क्या कारण है ? क्या भविष्य में पद खाली न रहे इसके लिए पूर्व छमाही में खाली होने वाले पदों के विरुद्ध चयन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

इस समय सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता (यांत्रिक) स्तर-2 के दो पद तथा अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के 10 पद रिक्त हैं। अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन किया जा चुका है तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक) स्तर-2 के पदों को भरने हेतु शीघ्र चयन किया जायगा।

प्रत्येक चयन वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए नियमानुसार चयन की कार्यवाही यथासमय की जाती है।

जनपद बांदा में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कलस्टर सिस्टम में नलकूपों का निर्माण

118—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखकर विश्व बैंक के कितने नलकूप कलस्टर सिस्टम से बनाने की योजना है ? इनमें से कितने तरौनी ब्लाक तथा कितने महुटा ब्लाक में लगाये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद बांदा में विश्व बैंक नलकूप परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कलस्टर सिस्टम में नलकूपों के निर्माण की वर्तमान में कोई परियोजना नहीं है । उक्त परियोजना निर्माण के अन्तिम चरण में है एवं किसी नये कलस्टर का निर्माण अवशेष नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत मसौनी पम्प कैनाल के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि का विवरण तथा पूर्ण कराने की मांग

119—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत मसौनी पम्प कैनाल निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दे दी गई थी तथा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था ? यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत क्या थी ? कितना रुपया निर्माण में व्यय किया जा चुका है और निर्माण कार्य क्यों रुका है ? किसानों के हित को देखते हुए इस अधूरे निर्माण को कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

मसौनी पम्प नहर परियोजना 29.44 लाख रुपये की लागत से डी0 पी0 ए0 पी0 के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी और निर्माण कार्य वर्ष 79-80 में आरम्भ किया गया था । निर्माण कार्य पर 14.93 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है । परियोजना की निर्माण लागत में बढ़ोत्तरी हो जाने तथा डी0 पी0 ए0 पी0 से पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य रुका है ।

मसौनी पम्प कैनाल परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन 80.83 लाख रुपये की स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अंतर्गत पयस्वनी डाइवर्जन नहर में पानी के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को दूर करने हेतु स्लोप सरलीकरण योजना

120—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत पयस्वनी डाइवर्जन नहर योजना से किसान को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है अथवा इस नहर के प्रारम्भ से सात किलोमीटर की दूरी तक गहराई से जाने के कारण दोनों

ऊंचे किनारों की मिट्टी (ढह) गिर जाने से पानी के प्रवाह में अवरोध होता है ? क्या इसे दूर करने के लिए इसके प्रारम्भ से सात किलोमीटर तक स्लोप सरलीकरण की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? इसमें कितनी लागत का आंकलन है ? क्या इसकी स्वीकृति देकर धनराशि अवमुक्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

इस समस्या को हल करने के लिए पयस्वनी डाइवर्जन नहर के उन रीचों में जहां स्लोप अत्यधिक खड़े हैं, स्लोप सरलीकरण हेतु प्राक्कलन बनाया जा रहा है ।

इस योजना की अनुमानित लागत परियोजना बन जाने पर ज्ञात हो सकेगी ।

परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा

शारदा सहायक खण्ड 36 में मिट्टी के कार्य में भ्रष्टाचार के संबंध में सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे के पत्र पर कृत कार्यवाही

121—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड-36 में मिट्टी के कार्य में भ्रष्टाचार सम्बन्धी सांसद, राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे का शिकायती-पत्र दिनांक 20-2-90 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में विलम्ब के कारण क्या हैं ? जांच में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाबू राम यादव—

माननीय सांसद श्री राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे का शिकायती पत्र दिनांक 20-2-90 जो जिला अधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित था, शारदा सहायक खण्ड-36 के वर्ष 89-90 के कार्यों के विषय में था । यह शिकायती पत्र सीधे शासन को भेजा गया प्रतीत नहीं होता, लेकिन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस खण्ड के कार्यों की उक्त अवधि की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा सामान्य रूप से की गयी जिसमें कार्य संतोषजनक बताये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर में पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योगों को शुरू करने की मांग

122—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योग चलाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? उसमें क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

[दिनांक 24-1-91 को अता0 प्र0 सं0 186 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

124—श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा उन पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ? क्या उक्त कालेजों में छात्रों की शिक्षा की कठिनाई को देखते हुए शासन तत्काल तदर्थ आधार पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में 130 तथा यूनानी कालेजों में 24 पद शिक्षकों के रिक्त हैं । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर इन पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी ।

सम्प्रति तदर्थ नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद-मऊ के सिंचाई विभाग में कार्यरत श्री राम विलास मिश्र सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण तथा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

125—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के एक विधायक की शिकायत पर श्री राम विलास मिश्र सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग मऊ का स्थानान्तरण मऊ से लखनऊ हुआ था ? क्या विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश के साथ ही उसके भ्रष्टाचार की जांच का भी आदेश पारित किया गया था ? क्या उस आदेश को संशोधित कर सहायक अभियन्ता को बलिया सिंचाई विभाग जहां से वह मऊ तैनात किया गया था, स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सहायक अभियंता श्री मिश्र अपना चार्ज दे चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां, श्री राम बिलास मिश्रा, सहायक अभियंता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता के कार्यालय ज्ञापांक—सी-283/ई-1 दिनांक 4-6-90 द्वारा सिंचाई खण्ड मऊ से लखनऊ नहीं वरन् बहुउद्देशीय एवं जल विद्युत परियोजना देहरादून को हुआ था ।

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर प्रारम्भिक जांच कराई गई थी ।

जी हां, लेकिन अन्य खण्ड में पदस्थापित किया गया ।

सम्यक् विचारोपरान्त जनहित में पदस्थापित किए गए ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भगत सिंह वरिष्ठ लिपिक सिंचाई खण्ड गाजियाबाद द्वारा श्री कृष्ण कुमार अधीक्षक अभियन्ता के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

126–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगत सिंह, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद ने दिनांक 10-4-86 में एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री कृष्ण कुमार, अधीक्षक अभियन्ता एवं श्री सैयद इस्ताक अहमद, मुख्य अभियन्ता गंगा के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया गया था ? जिसमें सरकारी जीपों का प्रयोग निजी कार्य में करने एवं उसे साइड पर दौरा दिखाकर सरकार से फर्जी यात्रा भत्ता चार्ज कर लाखों रुपये सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियंता के विरुद्ध की गई थी ? उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । श्री भगत सिंह, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद का पत्र दि0 30-3-86 जो श्री कृष्ण कुमार, अधीक्षण अभियंता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ को सम्बोधित है मण्डल कार्यालय में दि0 10-4-86 को प्राप्त व दिनांक 11-4-86 को डायरी हुआ है । इस पत्र की प्रति अन्य के अलावा श्री इस्ताक अहमद, मुख्य अभियंता, गंगा, मेरठ को भी पृष्ठांकित है परन्तु मुख्य अभियंता, गंगा, मेरठ के अभिलेखों में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता, उक्त पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला ।

जी हां ।

उक्त शिकायतकर्ता के एक अन्य शिकायती पत्र पर मुख्य अभियंता (गंगा) की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य आरोपों के अतिरिक्त सरकारी जीपों के दुरुपयोग का भी बिन्दु निहित था । उक्त रिपोर्ट के आधार पर श्री वर्मा के विरुद्ध सरकारी जीपों एवं फर्जी यात्रा भत्ता चार्ज करके लाखों रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा कथित सरकारी धन के गबन के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

127–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री भगत सिंह के शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिनांक 15-5-85 एवं 27-5-85 में प्रेषित किये गये थे, जो श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा सरकारी धन गबन करने एवं अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में थे ? उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

प्रश्नकर्ता के दि0 24-5-85 के दो पत्रों के साथ क्रमशः श्री भगत सिंह शर्मा तथा श्री भगत सिंह के पत्र दिनांक 18-5-85 तथा 6-5-85 प्राप्त हुए हैं जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित हैं ।

जी हां । उक्त पत्रों में सरकारी जीप एवं फर्जी यात्रा भत्ता चार्ज दिखाकर लाखों रुपये सरकारी धन का दुरुपयोग करने का भी एक बिन्दु निहित था । इस बिन्दु के बारे में सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या-126 में भी दी गई है ।

उपर्युक्त दोनों शिकायती पत्रों पर मुख्य अभियन्ता (गंगा) की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्री वर्मा पर उपर्युक्त आरोप सिद्ध नहीं पाए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमाकान्त वर्मा अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के विरुद्ध कथित सरकारी धन के गबन एवं दुरुपयोग की शिकायतें

128—श्री गजराज सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाकान्त वर्मा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड पांच वर्ष से अधिक कार्यरत रहे जबकि उनके विरुद्ध वर्ष 1984-85 व 1985-86 में सरकारी धन के गबन एवं दुरुपयोग की भी बहुत सी शिकायतें थी फिर उनका स्थानान्तरण सरकारी नियमों के अनुसार किस परिस्थितिवश नहीं किया गया और क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद में दिनांक 3-7-82 से दिनांक 23-6-88 तक कार्यरत रहे । इनके विरुद्ध वर्ष 1984-85 तथा वर्ष 1985-86 की सरकारी धन एवं दुरुपयोग आदि की अनेक शिकायतें थीं जिनके आधार पर विभागीय एवं सतर्कता अधिष्ठान द्वारा नियमों में प्राविधानित दण्डों में से कोई दण्ड देने के लिए जांच कराई गयी थी । विभागीय जांच एवं एक सतर्कता जांच में श्री वर्मा पर कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये जबकि एक अन्य सतर्कता जांच में सिद्ध पाए गए आरोपों के आधार पर इन्हें निन्दा प्रविष्टि दी जा चुकी है । नियमों के अनुसार स्थानान्तरण दण्डात्मक कार्यवाही नहीं है बल्कि प्रशासनिक कार्यवाही है । श्री वर्मा को सिद्ध पायी गयी अनियमितताओं के लिए नियमों के अन्तर्गत दण्ड दिया गया है । इन्हें दिनांक 18-8-87 के आदेश द्वारा सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद से स्थानान्तरित किया गया था किन्तु गाजियाबाद में सूखे की स्थिति को देखते हुए इन्हें जनहित में दिनांक 23-6-88 को कार्यमुक्त किया गया ।

जनपद-कानपुर देहात विकास खण्ड ग्राम-ककवन के वैक्सीनेटर का स्थानान्तरण न किये जाने का कारण

129—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव ककवन व विकास खण्ड ककवन जनपद कानपुर देहात में ऐसा कौन वैक्सीनेटर है जो लगभग 18 वर्ष से लगातार

ककवन में ही कार्यरत है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पदधारी जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवराजपुर के किस गांव का निवासी है उक्त वैक्सीनेटर का स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं तथा कब तक उसे स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

श्री वी0 के0 पाण्डे, वैक्सीनेटर दिनांक 19 अगस्त, 1973 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ककवन, कानपुर देहात में कार्यरत हैं।

श्री वी0 के0 पाण्डे, वैक्सीनेटर मुकाम कांसामऊ, पोस्ट मैसऊ, विकास खण्ड शिवराजपुर, कानपुर देहात के निवासी है।

उक्त वैक्सीनेटर को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड व ग्राम ककवन में कथित ए0 एन0 एम0 की नियुक्ति

130–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ए0 एन0 एम0 अपने गृह जनपद व गृह विकास खंड में नियुक्त रह सकती है? यदि नहीं, तो जनपद कानपुर देहात के विकास खंड ककवन व विकास खंड ककवन जनपद कानपुर देहात में कई कई वर्ष तक कई बार कैसे कार्यरत रही? क्या इसका स्थानान्तरण ककवन से विकास खण्ड ककवन व विकास खण्ड बिल्हौर तथा विकास खण्ड रसूलाबाद के अतिरिक्त अन्य विकास खण्ड में कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां ।

ग्राम करूवा मऊ विकास खण्ड ककवन की कोई भी ए0 एन0 एम0 विकास खण्ड ककवन में कभी कार्यरत नहीं रही ।

प्रशन नहीं उठता ।

जनपद जालौन के अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

131–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में कितने ऐसे अस्पताल हैं जिनमें चिकित्साधिकारी नहीं हैं ? ऐसे अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जनपद जालौन में नवस्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरसा दोगढ़ी, नावली, पतराही तथा गोवर्धनपुरा, सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर, इटौरा एवं महिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी नहीं हैं ।

चिकित्साधिकारियों की नवनियुक्ति होने पर उक्त अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी ।

प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के मुख्य चिकित्साधिकारियों की संख्या एवं आरक्षित पदों को भरने की मांग

132—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने डाक्टर नियुक्त हैं ? क्या उक्त ग्रेड में सभी आरक्षित पद भर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा (पी0 एम0 एच0 एस0) संवर्ग के मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति के पांच अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्रता क्षेत्र में अधिकारी उपलब्ध होने एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयन होने पर नियमानुसार नियुक्तियां संभव हो सकेंगी।

जनपद मऊ से संबंधित दोहरीघाट कैनाल की शाखा नगरीपार माइनर का टेल आगे बढ़ाने की मांग

133—श्री सुबास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित दोहरीघाट कैनाल की शाखा नगरी पार माइनर का टेल नगरीपार गांव के पास खेती के बीच होने के कारण शेष पानी बचने के बाद खेतों की फसल को डूबाकर नुकसान करता है? क्या इसके बचाव में टेल को आगे बढ़ाकर वेलौली मेनरोड के किनारों तक किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

माननीय विधायक का नगरीपार माइनर का तात्पर्य कदाचित नगरीपार गांव से जाने वाली शकरपुर माइनर से है।

कभी-कभी नहर के ऊपर के काश्तकारों द्वारा कुलावे बन्द कर देने के कारण टेल पर पानी की अधिकता हो जाती है और टेल गुल के साफ न रहने से कभी-कभी फसलें प्रभावित होती हैं। टेल गूल पहले से ही बनी हुई है इसलिए आगे बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसकी सफाई की आवश्यकता थी, जो करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मऊ जनपद के अन्तर्गत घाघरा नदी की बाढ़ से बचने हेतु ग्राम बीबीपुर आदि ग्रामों के पास रेगुलेटरों की क्षमता का बढ़ाया जाना

134—श्री सुभाष—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अंतर्गत बीबीपुर, तहिरापुर, ठाकुरगांव, उसरा, गौरीडीह के बीच के ताल के पानी की निकासी तथा घाघरा नदी

द्वारा बाढ़ के पानी से बचने के लिए बीबीपुर के पास गौरीडीह में रेगुलेटर की आवश्यकता है? यदि हां, तो उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या आने वाले दिनों में इससे बचने तथा उक्त गांवों की रक्षा के लिए रेगुलेटर बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

घाघरा नदी के किनारे ग्राम बीबीपुर, ताहिरापुर एवं गौरीडीह में बने (बीबीपुर बैलोली बांध) के कि0 मी0 2.00 व कि0 मी0 2.80 पर रेगुलेटर पहले से निर्मित है। निर्मित रेगुलेटरों की निकास क्षमता कम होने के कारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

दो रेगुलेटर पहले से ही निर्मित हैं इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

बने रेगुलेटरों की आवश्यकतानुसार क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

रेगुलेटरों की क्षमता बढ़ाने के कार्य को वर्ष 1991-92 में पूर्ण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मऊ से संबंधित चिऊटीडाढ़ नई बाजार के पास नये रेगुलेटरों के निर्माण पर विचार

135–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित चिऊटीडाढ़ नई बाजार के पास बना रेगुलेटर काम करता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पिछले दिनों में बड़े पैमाने पर खर्च कर बनाये गये उस नाकामयाब रेगुलेटर को कामयाब बनाने के लिए तोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

रेगुलेटर कार्य करता है परन्तु पूर्णरूपेण पानी नहीं निकल पाता है।

जी नहीं, उसके बगल में नये रेगुलेटर का निर्माण विचाराधीन है, जिससे क्षेत्र का पूरा पानी निकलना सम्भव हो सके।

जनपद-मऊ से संबंधित दोहरीघाट कैनाल की शाखा कुसमा माइनर तथा बीबीपुर माइनर में साइफन की व्यवस्था

136–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित दोहरीघाट कैनाल की शाखा कुसमा-माइनर में विशुनपुरा के सामने साइफन तथा बीबीपुर माइनर में गोंधनी के सामने साइफन की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्यों? क्या संबंधित गांवों में वर्षा के पानी के जमाव की निकासी हेतु साइफन बनवाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

अनुमोदित लम्ब छिन्नक में साइफन नहीं था।

जी हां।

वर्ष 1991-92 में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद मऊ से सम्बन्धित दोहरी घाट गौरी शंकर घाट पर घाघरा नदी द्वारा हो रहे कटाव को रोकने के उपाय

137–श्री सुबास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से संबंधित दोहरी घाट गौरीशंकर घाट पर घाघरा नदी द्वारा हो रहे बड़े पैमाने के कटाव को रोकने की शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो इस पिछले अगस्त माह 1990 में हो रहे कटाव पर कितने रुपये का व्यय किया गया है तथा उस व्यय के द्वारा क्या काम हो रहा है ? क्या भविष्य में कटाव रोकने के लिए व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

इस कटान को रोकने हेतु लगभग रु0 11.94 लाख व्यय किया गया है। युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मन्दिर के अपस्ट्रीम में दो बोल्डरवार एवं कोने पर बोल्डर कटर, मन्दिर के डाउन स्ट्रीम में एक बोल्डर कटर बनाया गया।

मन्दिर के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 23 मीटर की दूरी में वायस्क्रेट, बांस के क्रेट तथा नायलान क्रेटों के अन्दर ईंट के टुकड़ों से भरी बोरियां भरकर डाली गयीं। पेड़ों के फ्लोटिंग स्तर भी बनाये गये, जिससे कटान रुक गया।

उपरोक्त कार्य से कटान रुक गया है और आशा की जाती है कि भविष्य में इस स्थान पर कटान नहीं होगा। अतः और कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता (भोलानाथ अग्रवाल) नलकूप निर्माण के विरुद्ध दिये गये प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

138–श्री राम ललित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को दिनांक 7 मार्च, 1990 का एक शिकायती पत्र उनको (भोलानाथ अग्रवाल) अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर के विरुद्ध सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित किया जा चुका है।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के ऋण वसूली के निर्धारित मानक

139—श्री मयंकर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के ऋण वसूली के निर्धारित मानक क्या हैं ? क्या खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता एवं दैवी आपदाग्रस्त इकाइयों को एवं रोगग्रस्त इकाइयों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का निर्देश है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है? यदि नहीं, तो उ0 प्र0 सरकार एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0 प्र0 ने दैवी आपदाग्रस्त एवं रोगग्रस्त इकाइयों के पुनर्स्थापना हेतु कितनी बार धन एवं निर्देश खादी कमीशनर्स से मांगा है उसका उत्तर खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने क्या दिया? यदि कोई सहायता नहीं मांगी है, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ऋण वसूली के निर्धारित मानक, डेढ़ वर्ष से 10 वर्ष तक के हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैवी आपदा एवं रोगग्रस्त इकाइयों की पुनर्स्थापना हेतु खादी कमीशन से धन एवं निर्देश नहीं मांगे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक प्रशासन योजना आयुर्वेद एवं यूनानी तथा उपनिदेशक आयु0 एवं यूनानी का नियमितीकरण

140—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16-5-90 को नियमितीकरण समिति द्वारा अपर निदेशक प्रशासन आयुर्वेद एवं यूनानी तथा उप निदेशक आयु0 एवं यूनानी दोनों पदों में एक साथ एक ही कमेटी द्वारा एक ही व्यक्ति का नियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार उचित है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बांदा के ब्लाक-नरैनी के रंज व बागै नदी के मध्य असिंचित भूमि पर जलागम योजना लागू करने की मांग

141—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के रंज एवं बागै नदी के मध्य की भूमि पूरी तरह असिंचित है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में राष्ट्रीय जलागम योजना लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के अन्तर्गत रंज एवं बागै नदी के मध्य क्षेत्र को सिंचाई विभाग द्वारा कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

सिंचाई विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात, ग्राम ककवन के श्री बनवारी लाल द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर प्रखण्ड, कानपुर को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

142–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 29-1-90 को बनवारी लाल निवासी ककवन जनपद कानपुर देहात का एक गम्भीर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र प्राप्त अधिशासी अभियन्ता निचली गंगा नहर प्रखण्ड कानपुर को हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या शिकायतकर्ता ने गलत प्रमाण-पत्र देकर फर्जी तौर पर पट्टा प्राप्त करने का प्रयास किया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

श्री बनवारी लाल , यादव पुत्र श्री प्रभूदयाल यादव, ककवन निवासी जनपद कानपुर देहात का शिकायती पत्र दिनांक 25-7-90 मा0 मुख्य मंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी के पत्र सं0-306-का0/लो0 शि0-3/90, दिनांक 30-7-90 द्वारा प्राप्त हुआ । इसी के साथ श्री बनवारी लाल का ही अन्य शिकायती पत्र दिनांक 29-2-90 भी प्राप्त हुआ

छानबीन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि श्री बनवारी लाल, जिन्हें भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र श्री मुश्ताक अहमद, लेखपाल द्वारा दिनांक 12-8-88 को दिया गया था वास्तव में भूमिहीन नहीं है, जिसकी पुष्टि परगनाधिकारी, बिल्हौर ने दिनांक 16-3-90 को की है ।

जी हां ।

शिकायतकर्ता का पट्टा दिनांक 18-9-90 को निरस्त कर दिया गया ।

जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरवा में कार्यरत दाइयों के सामूहिक बीमें की धनराशि के भुगतान में लगाई गयी आपत्तियों का निवारण

143–श्री पंचानन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरवा जनपद आजमगढ़ के किन-किन दाइयों की सामूहिक बीमें के भुगतान के प्रकरण में दिनांक 9-8-89 को आपत्ति लगाई गयी ? आपत्तियां क्या हैं ? क्या उनका निराकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक निराकरण करके उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

एक दाई श्रीमती दुधुरा देवी (सेवानिवृत्त) लाभग्रही से 30.00 ट्रेजरी चालान द्वारा बीमा निधि तथा बचत निधि के संबंधित अलग-अलग लेखा शीर्षक के अंतर्गत ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है ।

जी हां, आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है । निदेशक, सामूहिक बीमा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ से धनराशि प्राप्त हो जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

गोरखपुर मण्डल के अपर निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा प्रतिबन्धित अवधि में की गयी नियुक्तियों का विवरण

144–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1990 से 6 माह के लिए स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी ? यदि हां, तो गोरखपुर मण्डल में अपर निदेशक ने प्रतिबन्धित अवधि में कुल कितनी नियुक्तियां की है ? इसका क्या औचित्य है ? इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय–

जी हां ।

कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में दोहरीघाट लिंक नहर तथा इसकी शाखाओं का निर्माण कार्य

145–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक की दोहरी घाट लिंक कैनाल तथा इसकी शाखाओं और उप शाखाओं को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ? इस नहर का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? इसे कब तक पूरा किया जाना था ? इसका निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट लिंक नहर तथा उसकी शाखाओं एवं उप शाखाओं को पूरा करने के लिये रू0 732.54 लाख की आवश्यकता है ।

इस नहर का निर्माण वर्ष 1977 में प्रारम्भ हुआ था ।

इसे वर्ष 1990 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम था ।

इसका निर्माण कार्य अब वर्ष 1994-95 तक पूरा करने का कार्यक्रम है ।

सहायक खाद्य आयुक्त कार्यालय मेरठ मण्डल में पूर्व में तैनात ज्येष्ठ लेखालिपिक श्री नानक चन्द को पदोन्नति निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा न किये जाने की शिकायत

146–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में शासन द्वारा क्या ऐसे आदेश पारित किए गये थे कि सेवानियमावली में निर्दिष्ट चयन समिति के

अतिरिक्त अन्य माध्यमों से जिलापूर्ति कार्यालयों के लिपिक वर्ग की हुई प्रोन्नतियों को तुरन्त समाप्त करा दिया जाये ? यदि हां, तो सहायक खाद्य आयुक्त कार्यालय मेरठ मंडल में पूर्व में तैनात ज्येष्ठ लेखालिपिक श्री नानक चन्द्र जिनकी प्रोन्नति निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा नहीं की गई थी को क्या पदावनत नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में जिलापूर्ति कार्यालय मेरठ में प्रोन्नत ऐसे सभी कर्मचारियों को पदावनत किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जी हां । दिसम्बर, 1986 में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के पश्चात नियम विरुद्ध की गई प्रोन्नतियों/व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाये ।

जी नहीं । श्री नानक चन्द्र, ज्येष्ठ लिपिक को लिपिक के पद पर पदावनत कर दिया गया है ।

जी हां । परन्तु ऐसे सभी पदावनत कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर अभी तक प्रोन्नत पद पर ही कार्यरत हैं ।

वर्ष 1989-90 एवं 90-91 में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम द्वितीय, उरई द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

147–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम व द्वितीय उरई को मदवार निर्माण एवं अनुरक्षण पर कितना धन आवंटित किया गया ? उक्त वर्षों में किन-किन कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया ? उक्त धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये ?

श्री बाबू राम यादव–

वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में बेतवा नहर प्रखंड प्रथम एवं द्वितीय उरई को मदवार निर्माण एवं अनुरक्षण पर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की गई ।

उक्त वर्षों में कार्यों पर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गई ।

उक्त वर्षों में आवंटित धन से नहरों बंधियों एवं नालों के रखरखाव का कार्य तथा निर्माण मद में राजघाट नहर परियोजना के पुनर्प्रतिरूपण में पुलों के निर्माण एवं पुनर्प्रतिरूपण के कार्य कराये गये जिनका विवरण संलग्नक-1 में दिया है।

(देखिये नत्थी 'स' आगे पृष्ठ 152 पर)

148–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

[4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 111 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के भियांव विकास क्षेत्रान्तर्गत महुलिया ड्रेन की खुदाई में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

149—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भियांव विकास क्षेत्रान्तर्गत महुलिया ड्रेन की खुदाई में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 9-4-90 का पत्र उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने सिंचाई सचिव को उस पर कार्यवाही का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई और उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

महुलिया ड्रेन का निर्माण स्वीकृत लम्बच्छिन्नक तथा समरेखन पर ही कराया गया है। कृषकों के अवरोध के कारण निर्माण अवरुद्ध है। कोई दोषी नहीं है।

जनपद सोनभद्र में शहरी/ग्रामीण अंचलों के राशन कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध कराया जाना

150—श्री तीरथ राज—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कितने यूनिट के राशन कार्ड बने हैं ? क्या सोनभद्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासनादेश के तहत वहां शहरी एवं ग्रामीण अंचलों के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट क्रमशः एक किलोग्राम व 200 ग्राम चीनी उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

वर्तमान समय में सोनभद्र जनपद में 9,32,690 यूनिट के राशन कार्ड बने हैं ।

राशन कार्ड जारी करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सोनभद्र में निवास करने वाले परिवारों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं बने हैं, के राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं ।

शासन द्वारा निर्धारित राशन स्केल के अनुसार जनपद के शहरी क्षेत्रों के कार्ड धारकों को एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कार्ड धारकों को 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमास की दर से चीनी वितरित की जा रही है ।

शारदा नहर की पीलीभीत से आने वाली निगोही ब्रांच में निर्धारित मात्रा में पानी न आने का कारण

151—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर की पीलीभीत से आने वाली निगोही ब्रांच में पानी नहीं आता है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या उक्त निगोही ब्रांच की मरम्मत नहीं हुयी है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बाबू राम यादव–

शारदा नहर की पीलीभीत से आने वाली निगोही ब्रांच में पानी निर्धारित रोस्टर के अनुसार चलने पर आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगोही ब्रांच की मरम्मत का कार्य स्थल की आवश्यकता एवं धन की उपलब्धतानुसार कराया जाता है ।

जनपद फैजाबाद में नलकूप निर्माण निगम द्वारा विकास खंड हरिंगटन में पम्प व नाली के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायतीपत्र

152–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में नलकूप निर्माण निगम द्वारा विकास खंड हरिंगटन में पंप व नाली निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री लगाये जाने व सामग्री बाजार में बेच दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा इसकी जांच हेतु आपको जून 1990 में एक पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

माननीय विधायक के शिकायती पत्र पर विभागीय जांच संबंधित अधीक्षण अभियंता से कराई गई । जांच में विकास खंड हरिंगटन गंज के नलकूपों के पंप व नाली के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री लगाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया और न ही सामग्री की बाजार में बेंच दिये जाने की पुष्टि हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के सिंचाई विभाग में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रस्ताव

153–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के सिंचाई विभाग में कितने कर्मचारी वर्कचार्ज तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी अब उक्त सभी कर्मचारियों जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को नियमित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद मऊ के सिंचाई विभाग में कुल 23 वर्कचार्ज कर्मचारी तथा 122 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं । कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर रखे जाते हैं । अतः इनको नियमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

154—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री ए0 पी0 दुबे कनिष्ठ लिपिक, महिला अस्पताल लखनऊ के कथित फर्जी स्थानान्तरण आदेश प्रकरण की जांच

155—श्री खुरशीद तथा श्री जशवंत सिंह बिष्ट—

क्या सरकार को जानकारी है कि सचिवालय के चिकित्सा अनुभाग—5 द्वारा पत्र संख्या-6005 संक-5/पांच-1990-700 (123)/90, दिनांक 4 अगस्त, 1990 द्वारा श्री ए0 पी0 दुबे, कनिष्ठ लिपिक, महिला अस्पताल, लखनऊ के स्थानान्तरण के संबंध में एक आदेश निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त आदेश तत्कालीन सचिव, चिकित्सा श्री के0 के0 बख्शी के फर्जी हस्ताक्षर से भेजा गया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

जी हां ।

जी नहीं, आदेश जाली हस्ताक्षरों से नहीं भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-हरदोई की शारदा सहायक कैनाल डिवीजन के सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को बिना कार्य एवं माप के कथित भुगतान

156—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता प्रथम शारदा कैनाल डिवीजन हरदोई ने कार्यादेश सं0 13, 16, 17, 18, 19 एवं 24 दिनांक 30-11-87 व कार्यादेश सं0-36 दिनांक 1-12-87 के अन्तर्गत बिना कार्य एवं माप हुए ठेकेदारों के नाम कुल रु0 30,223.00 का चेक फरवरी, 1988 में काटकर भुगतान प्राप्त किया है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बाबू राम यादव—

प्रश्न में निहित कार्यादेशों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता-प्रथम-शारदा कैनाल डिवीजन हरदोई द्वारा रु0 30,222.00 का भुगतान संबंधित ठेकेदारों के नाम किया गया है, परन्तु अभी यह कहना कि भुगतान की गई धनराशि बिना कार्य एवं माप के की गई है सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त कार्यादेशों के विरुद्ध किये गये भुगतान की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा की जा रही है। यह जांच जून 1990 में प्रारम्भ की गई थी एवं जांच निष्कर्ष अभी अपेक्षित है।

जांच पूर्ण हो जाने पर ही आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करना संभव है।

जनपद-जौनपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान किया जाना

157—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान की गयी है? यदि हां, तो इनका विवरण उद्योगवार क्या है? क्या भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत सहकारी औद्योगिक समितियों एवं पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को ऋण राहत मिलेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित उद्यमी ऋण माफी के पात्र नहीं हैं।

जनपद जौनपुर में ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा कतिपय समितियों के गठन का प्रयास तथा उद्योगवार प्रश्नगत समितियों का विवरण

158—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में वित्तीय वर्ष 1988-89 व 1989-90 तथा वर्ष 90-91 में कितनी औद्योगिक समितियां गठित की गयीं अथवा गठित कराने का प्रयत्न जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा किया गया? कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा पुनर्जीवित किया गया है? उद्योगवार प्रश्नगत समितियों का विवरण क्या है? क्या उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

केवल तीन।

केवल दो।

विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	समिति का नाम	उद्योग
1	लौह एवं काष्ठ कला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, पल्हारी, जौनपुर।	लौह एवं काष्ठ कला
2	लौह एवं काष्ठ कला औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, जोगियापुर, जौनपुर।	लौह एवं काष्ठ कला

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के उद्योग केन्द्र से आर्थिक सहायता प्राप्त उद्यमियों की संख्या

159—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में जिला उद्योग केन्द्र से आर्थिक सहायता प्राप्त ऐसे कितने उद्यमी हैं जो धन जमा करने में असमर्थ हैं और धन वसूली की कार्यवाही से भूमिहीन हो जायेंगे ? क्या सरकार ऐसे ऋणी व्यक्तियों का ऋण अनुदान में परिवर्तन कर इन्हें ऋण राहत प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद जौनपुर में जिला उद्योग केन्द्र से आर्थिक सहायता प्राप्त 157 उद्यमियों द्वारा धनराशि जमा नहीं की गई है। धनराशि जमा करने में असमर्थता अथवा वसूली की कार्यवाही से भूमिहीन हो जाने के संबंध में सूचना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन हेतु सुझाव के संबंध में सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे के पत्र पर कृत कार्यवाही

160—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन करने के सुझाव के संबंध में सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे का अगस्त 1990 में कोई पत्र सचिव कुटीर उद्योग को तथा प्रश्नगत बोर्ड के कार्यों में सुधार हेतु महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उ0 प्र0 एवं सदस्य विधान परिषद् श्री ओम प्रकाश सिंह का 25-8-90 का पत्र जिला अधिकारी जौनपुर को मिला है? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

मा0 उक्त सांसद के सुझावानुसार जौनपुर जनपद के विकास खण्ड करंजाकला में एक समिति का गठन किया गया है तथा एक अन्य समिति को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार विकास खण्ड मड़ियाहूं में भी वर्ष 90-91 में एक समिति का गठन किया गया है और वर्ष 90-91 में ही 40 उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने की योजना भी विचाराधीन है। मा0 उक्त विधान परिषद् सदस्य के पत्र दिनांक 25-8-90 के सुझावानुसार प्रकरण का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ उपाध्याय अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच

161—श्री उदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वनाथ उपाध्याय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) के भ्रष्टाचार आदि के संबंध में श्री गुलाब सिंह विधायक ने 8-8-90 को जो ज्ञापन मुख्य मंत्री को दिया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन छानबीन करने पर प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है किन्तु मुख्य अभियन्ता (सोन) की प्राप्त आख्या पर इनके विरुद्ध राबर्ट्सगंज में की गयी अनियमितताओं के लिए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा जांच के दौरान प्रतिबंधित स्थान पर तैनात रखने का निर्णय लिया गया है।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक नहर के खालिसपुर रजबहा पर पुलिया का निर्माण

162–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक की दोहरी घाट लिंक नहर के खालिसपुर रजबहा के 1.5 किमी0 पर वरकोठा मार्ग के लिए पुलिया का निर्माण 4 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? इस पुलिया का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

पुल के परिकल्प के संबंध में कार्यवाही में विलम्ब के कारण निर्माण पूरा नहीं हो सका है । तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा समय से ड्राइंग न बनाने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में रिक्त आकस्मिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

163–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के कितने पद हैं ? इनमें से कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ? इन पदों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जिला चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं, जिन पर डा0 आर0 के0 चित्रांशी एवं डा0 अरुण कुमार पाण्डे की तैनाती कर दी गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद-जालौन के विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न संवर्गों में आरक्षित पदों को भरने की मांग

164–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में विभिन्न किस्म के कितने सरकारी अस्पताल हैं ? उन अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों एवं संवर्गवार कर्मचारियों की संख्या क्या है ? अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने चिकित्साधिकारी एवं संवर्गवार कितने कर्मचारी हैं ? रिक्त आरक्षित स्थान कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जनपद जालौन में विभिन्न प्रकार के 71 (इकहत्तर) सरकारी अस्पताल हैं

उन अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों एवं संवर्गवार कर्मचारियों की संख्या एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के चिकित्सा अधिकारी एवं संवर्गवार कर्मचारियों का विस्तृत विवरण मा0 सदस्य मेरे कक्ष में प्रश्न के उत्तर हेतु निर्धारित दिन को देख सकते हैं ।

रिक्त आरक्षित पद तकनीकी प्रकार के हैं । जिन्हें प्राविधिक अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही नियमानुसार भर दिया जायेगा ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-घोरावल के ग्राम बेलाटाड की श्रीमती अमरावती देवी पत्नी श्री छविहर नाथ पाण्डे की नसबन्दी में लापरवाही बरतने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

165–श्री तीरथ राज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेलाटाड विकास खण्ड घोरावल जनपद-सोनभद्र की श्रीमती अमरावती देवी पत्नी श्री छविहर नाथ पाण्डे की नसबन्दी (बंध्याकरण) आपरेशन दिनांक 29 दिसम्बर, 1986 को राबर्ट्सगंज केन्द्र पर किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्रीमती अमरावती देवी को उक्त आपरेशन के बाद पुत्री पैदा हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आपरेशन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि सरकारी डाक्टरों की लापरवाही से पैदा हुई उक्त पुत्री के भरण-पोषण एवं उसकी शादी के लिए सरकार समुचित सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डे–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

लेप्रोस्कोपिक विधि से बन्ध्याकरण करने पर लगभग 2-3 प्रतिशत केस में आपरेशन असफल हो जाने की सम्भावना बनी रहती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों एवं ब्लड बैंकों में अप्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की शिकायत

166–श्री मयंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों एवं ब्लड बैंकों में कुछ ऐसे भी लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं जो अप्रशिक्षित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डे–

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ व प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेज एवं ब्लड बैंकों में कतिपय ऐसे लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं, जिन्हें प्रशिक्षण का डिप्लोमा प्राप्त नहीं है। किन्तु उक्त लैब टेक्नीशियन को विभिन्न पैथोलाजी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित कर ही नियुक्त किया गया था। तत्समय प्रदेश में इनके औपचारिक प्रशिक्षण कोर्स की सुविधा नहीं थी। प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जाने के पश्चात् से केवल प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन ही नियुक्त करने का प्राविधान है।

प्रदेश के आयुर्वेद कालेजों में कार्यरत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित लैब सहायकों का वेतनमान

167–श्री मयंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियनों को दिनांक 1-7-1979 से आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ में कार्यरत अप्रशिक्षित लैब सहायकों को कम वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां।

प्रदेश में कार्यरत प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियनों एवं आयुर्वेद विद्यालय में कार्यरत लैब सहायकों का वेतनमान पूर्व में रु0 400-615 था, उक्त लैब सहायकों द्वारा मा0 न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मा0 न्यायालय के निर्देशों के फलस्वरूप इनका वेतनमान पुनरीक्षित कर रु0 515-860 कर दिया गया।

आयुर्वेद कालेज में प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित लैब सहायकों के पृथक-पृथक वेतनमान नहीं हैं।

परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायकों का प्रोन्नति कोटा

168–श्री मयंकर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्रांक प0 क0/3/स्था0 स0/86 8352-131 दिनांक 9-7-86 द्वारा प्रोन्नति हेतु 310 वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायकों की 11 वर्षों की चरित्र पंजिका मांगी थी ? यदि हां, तो आज तक प्रोन्नति न किए जाने का क्या कारण है ? प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी हां, प्रोन्नति कोटे के पद रिक्त न होने के कारण अब तक प्रोन्नति किया जाना संभव न हो सका।

169–श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को एक संवर्ग के अंतर्गत समायोजित किए जाने की मांग

170—श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को एक संवर्ग (स्वास्थ्य, श्रम, स्थानीय निकाय, ग्राम्य विकास) के अंतर्गत समायोजित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनकी शैक्षिक तथा व्यवसायिक योग्यतायें एवं कार्य तथा दायित्व एक ही प्रकार के हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक एक संवर्ग में समायोजित किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं ।

अन्तर्विभागीय सेवा संवर्ग सृजित करने का कोई नियम नहीं है और न इसकी कोई आवश्यकता ही है ।

171—श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी—

[दिनांक 24-1-91 को अता0 प्र0 सं0 72 द्वारा उत्तरित]

172—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद-बहराइच के कुष्ठ रोग चिकित्सालय में कार्यरत अधीक्षक को आहरण एवं वितरण का अधिकार

173—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुष्ठ रोग चिकित्सालय, बहराइच जो कि 4 शैय्याओं का है ? यदि हां, तो क्या वहां अधीक्षक का पद स्वीकृत और उसे आहरण वितरण के अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

कुष्ठ रोग चिकित्सालय, बहराइच 4 शैय्याओं का नहीं बल्कि 64 शैय्याओं का है । उक्त चिकित्सालय में अधीक्षक का पद स्वीकृत है जिसे आहरण एवं वितरण के अधिकार प्राप्त हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के कुष्ठ रोग चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को लप्रोसी भत्ता देने की मांग

174—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोग चिकित्सालय बहराइच में कार्यरत कर्मचारियों को लप्रोसी भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या कुष्ठ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को कुष्ठ भत्ता दिया जाता है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं । इस चिकित्सालय की स्थापना राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में नियुक्त जूनियर स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण अवधि में वेतन तथा भत्ता दिया जाना

175–श्री राम लखन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पुरूष नर्स/जूनियर स्टाफ नर्स के पद पर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में नियुक्ति के बाद चतुर्थ वर्ष का डिप्लोमा मानसिक चिकित्सालय आगरा में ले रहे हैं क्या इनको इस अवधि में वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि किसी सरकारी कर्मचारी को ट्रेनिंग में भेजे जाने पर उसे सरकारी खर्च पर वेतन सहित प्रशिक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों का वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जी नहीं ।

जूनियर स्टाफ नर्स के पर इनकी नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की गई है कि प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कोई वेतन तथा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

जी हां ।

प्रश्नगत जूनियर स्टाफ नर्स, अपने पद के लिए निर्धारित योग्यता पूर्ण न करने के कारण नियत वेतन पर नियुक्त किये गये हैं तथा नियत वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी को सरकारी व्यय पर प्रशिक्षण की सुविधा नियमानुसार अनुमन्य नहीं है ।

176–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

177–श्री पंचानन राय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग द्वारा सहायक अभियंताओं का अधिशासी अभियंता के पद पर नियमों के विपरीत प्रोन्नति

178–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1988 में सिंचाई विभाग द्वारा सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति करते समय कुछ कनिष्ट अभियंताओं को भी नियमों के विपरीत प्रोन्नत कर दिया गया था ? यदि हां, तो विभाग प्रभावित वरिष्ठ अभियंताओं को न्याय दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

179—डा0 दिनेश जौहरी—

[4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 174 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्रामों में कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों को स्टाइपेन्ड बढ़ाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

180—डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों के स्टाइपेन्ड बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा हो जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा ग्रामों में कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों को रु0 50/- प्रतिमास की दर से मानदेय निर्धारित किया गया है । ऐसी स्थिति में ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में पी0 एम0 ए0 (पृथक खाद्य अप मिश्रण निवारण) निदेशालय स्थापित करने हेतु कथित शासनादेश की जानकारी

181—श्री तीरथ राज—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक स्वास्थ्य भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या जेड-16014/4/88-पी एच (एफ एण्ड एन) सी0 पी एफ ए0 दिनांक 29 मार्च, 1989 के द्वारा समस्त राज्यों व संघीय राज्यों को अपने-अपने प्रदेशों में पृथक पी0 एफ0 ए0 (खाद्य अप मिश्रण निवारण) निदेशालय के गठन हेतु निर्देशित किया था ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और किस शासनादेश के तहत पृथक पी0 एफ0 ए0 निदेशालय का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जी हां, भारत सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें खाद्य अप मिश्रण की रोक-थाम को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव दिये गये हैं । मुख्यतः सुझाव यह है कि खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त बजट प्राविधान रखा जाय । जनविश्लेषक प्रयोगशालाओं तथा इन्फोर्समेन्ट मशीनरी का सुदृढ़ीकरण किया जाय और पृथक खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय स्थापित किया जाय । प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद-शाहजहांपुर में लोधीपुर माइनर राजा रजबहा तथा सल्लियां माइनर में पानी न आने की शिकायत

182—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में लोधीपुर माइनर राजा रजबाहा नहर व सल्लियां माइनर में पानी नहीं आता है ? क्या मंत्री जी इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

रोजा रजबाहा व लोधीपुर तथा सिल्लियां माइनरों में पानी आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-शाहजहांपुर के खराब सरकारी ट्यूबवेलों को ठीक कराने की मांग

183–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में कितने सरकारी ट्यूबवेल खराब हैं ? इनको ठीक कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार खराब हुए ट्यूबवेलों के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? खराब ट्यूबवेल कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

सप्ताहान्त दिनांक 15-2-91 की नलकूप बन्दी रिपोर्ट के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में 55 राजकीय नलकूप खराब हैं जिनमें 13 नलकूप यांत्रिक दोष एवं 42 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं, यांत्रिक दोष से बन्द नलकूप को ठीक कराने हेतु अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करते हुए उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके नलकूपवार समीक्षा कराते हुए विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

नलकूप विद्युत यांत्रिक दोषों के कारण अस्थायी रूप से बन्द होते रहते हैं, जिन को ठीक किया जाता रहता है । अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

खराब नलकूपों को यथाशीघ्र ठीक कराकर चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद-उन्नाव के अंतर्गत पुरवा ब्रांच से निकली तौरा स्केप पर प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराने के पश्चात् भुगतान

184–श्री दया राम भास्कर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच से निकली तौरा स्केप पर 6 फुट (छः फुट) गहराई की सफाई का प्राक्कलन बनाकर वर्ष 1989-90 में ढाई फुट गहरी खुदाई करके पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्केप की माप एवं जांच टैक्निकल सेल द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तौरा स्केप की सिल्ट सफाई के प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार 6 फुट से 4.70 फुट की गहराई तक सिल्ट हटाये जाने का प्राविधान किया गया था तथा इसी प्राक्कलन के अनुसार ही कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात भुगतान किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड में कराये गये प्रत्येक कार्य को टी0 ए0 सी0 से जांच कराने का न कोई नियम है और न ही कोई प्राविधान है ।

जनपद-बल्दा के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा को रोगी आहार हेतु दी गयी धनराशि को अन्य मद में खर्च किए जाने की शिकायत

185—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा जनपद बांदा के चिकित्सालय में रोगी आहार के लिए वर्ष 1989-90 तथा वर्ष 1990-91 में क्रमशः दस हजार रुपये तथा पन्द्रह हजार रुपये विभाग द्वारा दिए गए हैं ? यदि हां, तो शासनादेश के बावजूद भी रोगियों को आहार न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या विभाग द्वारा दिया गया धन दूसरे मद में खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा बांदा के चिकित्सालय में रोगी आहार के लिये वर्ष 89-90 में रु0 10,000.00 एवं वर्ष 1990-91 में रु0 10,000.00 आहार मद में स्वीकृत किया गया था । शासनादेशों के अनुसार जो रोगी चिकित्सालय से भोजन लेना चाहें उनसे पांच रुपये प्रतिदिन रोगी भोजन शुल्क जमा कराने थे । इन निदेशों के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में किसी रोगी ने शुल्क जमा करके आहार लेना स्वीकार नहीं किया । वर्ष 1990-91 में निःशुल्क आहार दिए जाने की व्यवस्था है ।

जी हां । वर्ष 1989-90 की धनराशि औषधि मद में व्यय की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बांदा के थाना अतर्रा में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के छात्रावास से चोरी गये सामान का विवरण तथा कृत कार्यवाही

186—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सवास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना अतर्रा में वर्ष 1987-88 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) के छात्रावास में हुयी सामान की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या सामान चोरी गया और कौन-कौन लोग चोरी के अपराध में पकड़े गये थे ? क्या चोरी का सामान बरामद हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी नहीं । कालेज का कोई सामान चोरी नहीं गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बांदा के थाना अंतर्रा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से चोरी गए सामानों की सूची

187—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना अतर्रा में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा के शवच्छेदन भवन के सामान चोरी हो जाने की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 में की गई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या सामान चोरी गया और चोरी के अपराध में कौन लोग लिप्त थे तथा उनसे क्या-क्या सामान बरामद हुआ और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जी हां । निम्नलिखित सामान चोरी गया :—

1—रिवाल्विंग चेयर-एक
2—लकड़ी के स्टूल-दो
3—कुर्सी बेंत की हत्थेदार-दो
4—सीलिंग फेन-एक
5—स्टील चेयर-एक
6—मेज पोश-एक
7—पर्दा-एक
8—तौलिया-दो

चोरी के अपराध में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी नहीं है । अभी तक कोई सामान बरामद नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-फैजाबाद के ब्लाक भियांव में टोड़ी नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों को बचाने की योजना

188—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद के भियांव ब्लाक में टोड़ी नदी की सफाई के लिए वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक वर्षवार कितना धन व्यय किया गया? क्या यह सही है कि टोड़ी नदी की सफाई न होने से सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं ? क्या सरकार उक्त गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु कोई स्थायी योजना पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम यादव—

जनपद फैजाबाद के भियांव ब्लाक में टोड़ी नदी पर ठेक हटाने, बन्धा काटने, बेहया साफ करने आदि कार्यों पर वर्ष 1985 से 1990 तक वर्षवार निम्न धनराशि व्यय की गई है :—

वर्ष	धनराशि (रु0)
1984–85	5,003.00
1985–86	2,14,122.00
1986–87	कोई व्यय नहीं हुआ ।
1987–88	
1988–89	
1989–90	

टोड़ी नदी से जनपद फैजाबाद के भियांव ब्लाक के 15 ग्राम प्रभावित होते हैं ।

जी नहीं ।

चूंकि नदियों को गहरा व चौड़ा करनेसे अपेक्षित लाभ नहीं होता, अतः शासन की नीति के अनुसार ऐसे कार्यों को आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से कराया जाना व्यवहारिक नहीं है ।

प्रदेश में लेवी के माध्यम से खरीदा गया चावल

189—श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ना—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष मिल मालिकों से प्रदेश में लेवी के रूप में कुल कितना चावल लिया गया, इसमें से कुल कितना चावल मिलों में से अब तक नहीं उठाया गया है ? क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि लेवी का 3 लाख कुन्टल से अधिक चावल पिछले छः माह से मिलों में पड़ा है जिसका वजन 5 किलो ग्राम प्रति बोरा कम हो गया है तथा बरसात के मौसम में यह चावल सड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त चावल शीघ्र ही शासनादेशों के अनुसार बेचेगी ? यदि हां, तो कब तक व किस मूल्य पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

खरीद वर्ष 1989-90 में लेवी योजना के अन्तर्गत 15,12,096 मी0 टन चावल खरीद की गयी इसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 14,77,482 मी0 टन का उठान कर लिया गया ।

प्रदेश में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है लेकिन माह जुलाई, 1990 में केवल पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जनपद में अप्रत्याशित बाढ़ आई थी । सुरक्षा के लिए किए गए हर सम्भव प्रयास के बाद मेसर्स हनुमान इण्डस्ट्रीज, शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी के गोदाम में घुस जाने से 605 बोरे चावल भीग गया जिसे उसी समय निकलवाकर सुखाया गया ।

कामर्शियल सेल के माध्यम से निम्न मूल्यों पर अवशेष चावल निस्तारित किए जाने हेतु शासनादेश जारी किए जा चुके हैं :—

कामन चावल	346.05 रु0 प्रति कुन्टल
फाइन चावल	362.30 रु0 प्रति कुन्टल
सुपर फाइन चावल	386.35 रु0 प्रति कुन्टल

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण

190—श्री सुरेश प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण करने के लिए शासन द्वारा कितनी बार तिथियां निश्चित की गयी हैं ? क्या निश्चित तिथियों पर स्थायीकरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग के 644 चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1990 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1990 से किया जा चुका है ।

चीफ निर्माण खण्ड देवरिया के अंतर्गत बांसी नाले के जमुआन घाट पर पुल बनाने हेतु प्रश्नगत प्रोजेक्ट का निरस्त होना

191—श्री कासम अली—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ निर्माण खण्ड देवरिया के अंतर्गत बांसी नाले के जमुआन घाट पर पुल के निर्माण हेतु कोई प्रोजेक्ट, 1985 में 322.25 लाख का स्वीकृत हुआ था, जिसमें उक्त पुल के निर्माण का प्राविधान था? क्या यह पुल न बनने का कारण परियोजना का निरस्त होना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

वर्ष 1982 में अमवाखास स्पर के निर्माण की एक योजना लागत 322.44 लाख रु0 की तकनीकी सलाहकार समिति की 69वीं बैठक में अनुमोदित हुई थी जिसमें बांसी नाले के जमुआन घाट पर पुल के निर्माण का भी प्राविधान है । पुल निर्माण की अलग से कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

धनाभाव के कारण पुल का निर्माण सम्भव नहीं हो सका है ।

जनपद मेरठ के मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्याम देव राय चौधरी जी कृपया आप बोलें ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी दादा के खड़े होने पर जनता दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से तथा इसी दल के ही कई सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आकर "एस0 एस0 पी0 मेरठ" को गिरफ्तार करो, यह हत्यारा है का नारा लगाते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने एक आदमी को बोलने का पहले मौका दे दिया है, उनकी बात समाप्त हो जाने दें, फिर आप लोगों को मौका दूंगा ।

(जनता दल सदस्यों द्वारा यह कहा जाता रहा, पहले तात्कालिक विषय लिया जाय, सत्यवीर सिंह का मर्डर एस0 एस0 पी0 ने करा दिया है, यह उस मामले से बड़ा मामला है)

(उपाध्यक्ष द्वारा बराबर जनता दल सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया जाता रहा)

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, प्रोफेसर सत्यवीर सिंह का मर्डर, एस0 एस0 पी0, मेरठ ने करवाया है, उसको गिरफ्तार कराया जाय ।

(लगातार जनता दल के सदस्यों द्वारा फ्लोर पर खड़े होकर उपाध्यक्ष से सीधे वार्तालाप करते रहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नरेन्द्र सिंह जी, मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जायें, मैं श्री श्याम देव राय चौधरी दादा को बुलवाने के बाद आपको मौका दूंगा। पहले उनकी बात पूरी हो जाने दें।

(लगातार फ्लोर पर जनता दल के सदस्यों के खड़े रहने पर तथा नारे लगाने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आप सभी की है, केवल मेरी नहीं है, इसलिए आप लोग कृपया अपने स्थान पर वापस जायें और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। जब मैंने एक माननीय सदस्य को मौका दे दिया है, तो आप उन्हें पहले बोल लेने दें।

(जनता दल के कई सदस्यों के एक साथ सदन के फ्लोर पर खड़े रहने के कारण-शोर/व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री किरनपाल सिंह जी माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर यह निर्णय हो गया था कि उनको समय देना है, इसलिए उन्हें पहले मौका दिया गया। दो मिनट में कौन सा फर्क पड़ता है? 10 मिनट का समय आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप लोग श्री श्याम देव राय चौधरी जी से बात कर लें, यदि वह राजी हो जाते हैं तो मुझे आपको पहले मौका देने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक तो श्री चौधरी जी अपनी बात कह लिये होते। सन्तुलित होकर सदन को चलने दीजिए। आप लोग कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायें।

(जनता दल के सदस्य जो सदन के फ्लोर पर आये थे, पुनः अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से कह रहे थे "यह सदन धौंस से नहीं चलेगा" जिससे शोर/व्यवधान होता रहा)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(इस समय 12 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, 1 बजे पुनः सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

वाराणसी दक्षिण में अभूतपूर्व पेयजल संकट के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री श्याम देव राय चौधरी दादा को पुकारा गया किन्तु उसी समय श्री विजय सिंह राणा भी खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष कक्ष में बैठकर निर्णय हो गया था कि श्री श्याम देव राय चौधरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी, उसके अनुसार उनसे बुलवा रहा हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राणा जी । आप सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं तो बैठिए । आप महीनों के बाद यहां बैठ रहे हैं, बहुत सी जनसमस्यायें सभी लोगों को उठानी हैं । अगर आप यह चाहते हैं कि सदन न चले और हंगामा ही होता रहे, तो अलग बात है ।

श्री विजय सिंह राणा–

आपने जो निर्णय किया है, उसका आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, दो-तीन मिनट उनको बोल लेने दीजिए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

मैं कह रहा था कि वाराणसी महानगर में शुद्ध पेयजल के लिए भीषण हाहाकार मचा हुआ है । दूषित पेयजल आपूर्ति की जा रही है जिससे नागरिकों में भयंकर असंतोष है और बच्चों पर असर पड़ रहा है । कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है । इन समस्याओं को लेकर कई बार जनता के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा वाराणसी जल संस्थान ऊपर प्रदर्शन एवं धरना दिया । बहुत दुख की बात है कि वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और न जल कष्ट के समाधान की कोई कोशिश की । जलकर जो पहले 90 रु0 लिया जाता था, उसको बढ़ाकर पूर्व कांग्रेस सरकार ने 360 रु0 कर दिया था जिसे अभी तक घटाया नहीं गया .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात संक्षेप में कहिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

इन समस्याओं को लेकर कि जल की सप्लाई में कमी और जो पानी थोड़ा बहुत सप्लाई हो रहा है, वह भी दूषित, इन समस्याओं के लिए मैं बराबर प्रयत्नशील हूं और मान्यवर जब से मैं विधायक बनकर आया हूं, इस आदरणीय सदन में विभिन्न माध्यमों से जैसे कार्य-स्थगन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से शासन का ध्यान बराबर आकर्षित करता आया हूं । पिछले सदन में मा0 नगर विकास मंत्री मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिये थे कि बनारस के समस्त स्थानों पर जलापूर्ति सुचारू रूप से की जायेगी, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वह की जायेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस आश्वासन के अनुरूप नहीं हो सकी है, इसलिए मुझे मजबूरन इस सदन के कुएं में कूदना पड़ता है । .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपने अपनी बात पूरी कह दी और उसका जवाब माननीय मंत्री जी देने जा रहे हैं, उनको सुन लीजिए, कृपया विराजिए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, मुझे आश्वासन दिया गया कि अपनी पूरी भावनाओं को आपके समक्ष रखूं। इसलिए मेरी बात को अभी सुनिए. . (व्यवधान) मान्यवर अभी पूरी बात नहीं कह सका हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें, बात आपकी पूरी आ गयी है, इतने संघर्ष के बाद तो तो हाउस चला है, कृपया माननीय मंत्री जी को मैंने बुला लिया है, उनको सुनें ।

*परिवहन मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)–

मान्यवर, जो पानी से संबंधित समस्या, माननीय सदस्य, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा जी ने यहां पर उपस्थित की है, उसके संबंध में मैं आदरणीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि बनारस में पेय जल के आपूर्ति के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों सचिव नगर विकास से वार्ता की और वार्ता के पश्चात् ही माननीय मुख्य मंत्री जी वाराणसी गये भी और वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की । जिससे वहां पर यह बात सामने आयी कि इस समय वहां पर पेय जल आपूर्ति दो तरह से की जाती है । एक तो नलकूपों द्वारा और दूसरे जल संस्थान द्वारा । साथ ही इस संबंध में विश्व बैंक से बात करके कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जिसमें त्वरित गति से नलकूप लगाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह से लगाए जाने की योजना है । इस प्रकार से 8-9 योजनाएं वहां के लिए स्वीकृत की गयी हैं ताकि वाराणसी नगर में पेय जल की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके । तो मान्यवर इस प्रकार के प्रयास जारी हैं ।

दूसरे दूषित जल के सप्लाई से संबंधित भी वहां एक समस्या सामने आयी ऐसे वहां पर 360 स्थान हैं जहां की पाईप लाइनें सीवर लाइनों से जुड़ गयी थीं, जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुयी । इस संबंध में भी मैं आदरणीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि डेढ़ व दो सौ स्थान ऐसे हैं जहां ऐसी दूषित लाईनों को ठीक करके पक्का कर दिया गया है । वह स्थान बिल्कुल बन्द कर दिए गये हैं । सरकार स्वयं इन मामलों के लिए प्रयत्नशील है कि काशी जैसी पवित्र नगरी में जल की जो आपूर्ति हो वह सही हो, दूषित न हो, शेष जो पाईप लाईनें हैं, उन्हें भी तीव्र गति से ठीक कराया जा रहा है । तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मैं मजबूरी में यहां पर अर्थात् सदन के कुएं में कूदा हूं, वह यहां न कूदें, यहां कूदने से उन्हें पानी तो मिलेगा नहीं, समय अवश्य अनावश्यक रूप से नष्ट होगा । इसलिए उनसे अनुरोध है कि सरकार इस ओर जो प्रयास कर रही है, उसमें वह अपना सहयोग दें तो पानी अवश्य हर जगह मिलेगा।

(श्री श्याम देव राय चौधरी दादा के फिर खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 श्याम देव जी अब आप कृपया बैठें, जो भी आप अब बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, एक बात और कहने का मौका दें दें । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ने पहले भी इस ओर बहुत आश्वासन दिए थे, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों, ...

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया विराजें, बहुत बातें आपकी हो गयी, उन्हीं बातों को आप फिर दोहरा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरी बात आ गयी है, कृपया आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ) का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री श्याम देव राय चौधरी, डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री सत्य प्रकाश विकल अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री नरेन्द्र सिंह को पुकार लिया है, अब वे बोलेंगे । आप सब बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत दुखित हृदय से जनपद मेरठ की गम्भीर घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नरेन्द्र सिंह को अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

अगर जनता के दुख की बात यहां सदन में नहीं सुनी जायेगी तो और कहां पर सुनी जायेगी ?

(डा0 दिनेश जौहरी कुछ बोलने का प्रयास करते हुए)

श्री उपाध्यक्ष–

डा0 जौहरी आप कृपया बैठ जायें अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने आपको सारी बात बताई ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मुझे यदि आश्वासन नहीं मिला तो मेरा अनशन अभी भी जारी है । मैं फिर सदन के कुएं में जाने के लिये बाध्य हूंगा । तय यह था कि जब मैं अपनी बात कहूंगा तो शासन की ओर से उस पर कोई न कोई आश्वासन दिया जायेगा । जबकि इस बारे में मा0 मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

जब आप प्रश्न के उत्तर में कोई समाधान-कारक बात नहीं करेंगे, वह अपनी बात कहने के लिये खड़े भी हुए परन्तु शासन की ओर से कोई बात नहीं आयी जन समस्या के समाधान की बात, कोई न कोई आश्वासन तो इस पर सदन में आना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

*लोक निर्माण विभाग, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को जन समस्या में अपनी बात को उठाने का अधिकार है और उसके लिये नियम हैं, नियमावली है । इन्होंने इस संबंध में किसी नियम के अन्तर्गत नोटिस नहीं दिया जिससे कि गवर्नमेन्ट सूचना इकट्ठा करती, तैयारी करती । दूसरे मर्यादा के विपरीत कार्य किया कि सदन में अनशन पर बैठ गये । इसके बावजूद आपने इनको पहले सुना । अब इनके मन का उत्तर देने के लिये सरकार बाध्य नहीं है, यह किसी नियम में नहीं है । यह परम्परा सदन में नहीं पड़नी चाहिये, यह नियमों के प्रतिकूल है । जब इन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी तो नियम के अंतर्गत अन्य जो सूचनायें हैं उन्हें आपको सुनना चाहिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी से इनकी समस्या के समाधान के लिए आप इनकी बात करा दीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो आपका निर्देश होगा वह तो हम मानेंगे ही, परन्तु इस तरह की परम्परा यहां सदन में नहीं पड़नी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी नगर विकास मंत्री जी के कक्ष में उनसे बात हो जायेगी और आपकी समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

आप जन भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य खड़े हैं और वह भी अपनी समस्याओं को कहना चाहते हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

वार्ता कब होगी ?

(व्यवधान)

जनपद मेरठ के मेरठ कालेज के, प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ।

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

मान्यवर, हमारी पार्टी के साथी, प्रोफेसर सत्यवीर सिंह मेरठ कलेज में शिक्षा विभाग में थे और जनता दल के वह ज्वाइन्ट सेक्रेटरी भी थे । वह एक युवा कर्मठ नेता भी थे,

---

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी निर्मम हत्या इसी 10 फरवरी को 10 बजे कर दी गयी मैं उसके तथ्य रखना चाहता हूं । रात के 10 बजे उनकी हत्या की गयी । उनका गांव मेरठ से 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर उनके भाई रहते हैं और उनको सूचना दी गयी और वह सूचना पाकर आये और रिपोर्ट थाना सदर बाजार में लिखाने के लिये गये और उनकी रिपोर्ट प्रभारी थाना ने ले ली । थाने पर उनको 11 फरवरी को 12 बजे तक बैठाये रखा गया और उनकी रिपोर्ट वापस कर दी गयी और यह कहा गया कि एस0 एस0 पी0 का फोन आया था और उसी को एफ0 आई0 आर0 मान लिया जायेगा । जो रिपोर्ट लिखायी गयी है, उसमें किसी अभियुक्त का नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने विधान सभा का उप चुनाव 1990 में लड़ा था, तब से वह बराबर यह कहते आये हैं कि मेरठ का एस0 एस0 पी0 उनकी हत्या करवा देगा । उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग गये थे । उनका कहना था कि एस0 एस0 पी0 उनसे दुश्मनी रखता है और वह उनकी हत्या करा सकता है । उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम लोग बहुत ही चिंतित हैं । रिपोर्ट में आया है कि एक व्यक्ति हेमंत चौधरी उनके साथ था । रिपोर्ट में उसके नाम की चर्चा है, किन्तु पता नहीं वह व्यक्ति कहां गया, इस हत्या के बाद हेमंत चौधरी गाजियाबाद गया और प्रमुख से मिला । दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होना चाहता था। मेरठ में प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में उसके पिता डाक्टर हैं, वहां पर उसकी भर्ती कई-कई बार दिखाई गयी है । फर्जी भर्ती दिखायी गयी है । पुलिस ने हेमंत चौधरी नाम के व्यक्ति से आज तक कोई पूछ-तांछ नहीं की है । हमने मुख्य मंत्री को लिखा है कि इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायी जाये । हेमंत चौधरी से कोई पूछ-तांछ नहीं की गयी, कि उसको गोली किस प्रकार से लगी और गोली लगी है या नहीं लगी है या केवल बनावटी रूप से यह कह रहा है कि उसको गोली लगी है । मैं झूठा आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । तीन दिन पहले भोपाल सिंह की तेरहवीं में मुख्य मंत्री जी 6 तारीख को मेरठ गये थे और हेमंत चौधरी वहां पर मौजूद था । अमर उजाला में उसका फोटो भी मुख्य मंत्री जी आपके साथ आया है । इन सारी चीजों से विश्वास होता है कि एस0 एस0 पी0 ने षड्यंत्र रचा है और उनकी निर्मम हत्या हो गयी है, अन्यथा उनकी निर्मम हत्या कदापि नहीं हो सकती थी ।

मान्यवर, हम सभी लोगों ने मेरठ के जनता दल के विधायकों ने मुख्य मंत्री जी को तार दिया क्योंकि समूचे मेरठ में भय है और उस भय का आधार है जिस के कारण प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की हत्या हुई है उसमें वहां के एस0 एस0 पी0 का षडयंत्र साबित है । हमारी यह आशंका उस वक्त पक्की हो जाती है जब 12 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी और उनके भाई रणवीर सिंह को 12 घंटे तक थाने में बैठाये रखा और आज तक उस घटना के संबंध में किसी का बयान तक नहीं लिया गया । पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । तो ऐसी आशंकायें वहां लोगों की है जिनकी वजह से हम यह मांग कर रहे हैं, आप मान्यवर, कानून के ज्ञाता हैं आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं मेरठ का एस0 एस0 पी0 हत्या करा सकता है । यह लोगों की मांग है, उसे सस्पेंड किया जाय और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय । दूसरी मांग यह है हेमन्त चौधरी के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं, हम लोगों की ही नहीं वहां के लोगों की आशंका है, हर आदमी के मुंह में यह बात है, (हेमन्त

चौधरी) वह क्यों भाग गये, क्यों वह अपने को छुपा रहा है । इस पर मुख्य मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए हेमन्त उनके साथ था 6 फरवरी को इसी बात पर उनका इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दें । इसकी जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस से नहीं सी0 बी0 आई0 से कराई जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं जब से यह एस0 एस0 पी0 मेरठ में आये हैं वहां एक दर्जन से अधिक राजनीतिक लोगों की हत्यायें हो गयी हैं । माननीय भोपाल सिंह की भी हत्या उसमें सम्मिलित है, चाहे उसके कोई कारण रहे हों । इतनी राजनीतिक हत्यायें हो गयी हैं लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया है, कोई हथियार नहीं पकड़ा गया । जिला परिषद् सदस्य इन्द्रजीत सिंह की हत्या हुई । हम लोग यह तथ्य आपके सामने लाये हैं । हमारे सर से पानी उतर गया है । तो मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि इस घटना को गम्भीरता से लिया जाय और एस0 एस0 पी0 के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और सी0 बी0 आई0 की जांच करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) इस विषय पर कितने लोग बोलेंगे ? (व्यवधान) माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने सारी बात सदन के सामने प्रस्तुत कर दी है । एक ही विषय पर नियम 56 में कई-कई लोग बोलेंगे तो इस प्रकार चर्चा हो जायेगी और सदन का समय इसी में चला जायेगा (व्यवधान) सदन का समय नष्ट होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यह बहुत गंभीर विषय है, मेरा इसमें नाम है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

काफी विस्तार में बात आ गयी है (व्यवधान) नियम 56 में आज कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

अभी कई लोगों को इस पर बोलना है एक मिनट सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरठ के विधायकों को दो-दो मिनट बोलने दें उसके बाद हम बोलेंगे और तब खतम हो जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, श्री झग्गड़ सिंह को सुन लें यह मेरठ के हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

फिर हम आपको समय नहीं देंगे आपने अपना समय उनको दे दिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरा तो इसमें नाम है ।

श्री झग्गड़ सिंह–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, भाई नरेन्द्र सिंह जी ने जो बातें बताई वह सही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उनके पोस्टमोर्टम के समय मैं मौजूद था । जब हम थाने गये तो दरोगा ने कहा कि आप रिपोर्ट लिख कर ले आयें हम दर्ज कर लेंगे। लेकिन जब उस रिपोर्ट में लिख दिया कि इसमें हमारा भाई कहता था कि एस0 एस0 पी0 मेरा मर्डर करा सकता है, तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उच्च अधिकारियों से सम्पर्क किया और उनके निर्देशन में यह कह दिया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है और उसके बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और बिठाये रखा अगले दिन 12 बजे तक और कहा कि रिपोर्ट दे दें हम जी0 डी0 में लिख लेंगे । यह संकेत करता है कि हत्या में उसका हाथ यदि नहीं था तो रिपोर्ट दर्ज कर लेता जबकि रोजनामचा खाली पड़ा था । ऐसी स्थिति में सारे मेरठ में यह जो हत्यायें हो रही हैं उनकी एक कड़ी बनी है और कोई मेरठ का आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तथा वह आतंकित एवं भयभीत है । श्री भोपाल सिंह की हत्या हुई और लड़का अस्पताल में दाखिल है, इसलिए निवेदन है कि इसके संबंध में गिरफ्तारी की जायं एवं अधिकारियों को सस्पेंड किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

बात को आप रिपीट करके सदन का समय नष्ट न करें ।

(व्यवधान)

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है । मेरठ मंडल में राजनीतिक लोगों की हत्यायें शुरू हुई हैं जैसे प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की हत्या हुई, इससे पहले मा0 सदस्य भोपाल सिंह जो मेरे परम मित्र थे की निर्मम हत्या की गयी और इससे पहले श्री भोपाल सिंह द्वारा जहां तक शिवचरण की हत्या का संबंध है वहां यह उल्लेखनीय है कि भोपाल सिंह ने एस0 एस0 पी0 मेरठ को घटना से आधा घंटे पूर्व फोन पर कोई सूचना दी थी जिसे एस0 एस0 पी0 मेरठ ने प्रेस के सामने स्वीकार भी किया है । परन्तु कोई पुलिस वहां नहीं पहुंची जिससे वह घटना घटित हुई । अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो वह अनहोनी रुक जाती और मेरे मित्र की स्वचालित हथियारों से हत्या न होती । अब प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की भी हत्या स्वचालित हथियारों से की गयी है । मेरठ मंडल के सभी लोग चाहे विधायक हों या अन्य राजनीतिक लोग हों वे सभी अपने जानमाल का खतरा महसूस कर रहे हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले कभी राजनीतिक हत्यायें नाहीं हुई थीं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि मा0 मुख्य मंत्री जी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पश्चिमी क्षेत्र की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हत्याओं को रोकने हेतु कठोर कदम उठायें तथा वहां इस्तेमाल हो रहे स्वचालित हथियारों, ए0के0-47 रायफलों और स्टेनगनें बरामद करायें नहीं तो पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाये ?

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं । आपका तो सूचना में नाम भी नहीं है, इसलिए बैठ जायं ।

(मुख्य मंत्री के कुछ कहने हेतु खड़े होने पर तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा नाम है, इसलिए मुझे बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री वर्मा जी इस सदन में और भी महत्वपूर्ण समस्यायें हैं चूंकि यह प्रदेश छोटा नहीं बल्कि विशाल प्रदेश है । कुंवर रेवती रमण सिंह एजेन्डा काफी बड़ा है । इसलिए आप कृपया बैठ जायं । सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उनकी बात आप लोग सुन लें । मेरठ के सम्मानित सदस्यों को इसीलिए पहले समय दे दिया कि उनको करीब से घटना की जानकारी है ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्ति व्यवस्था पर अलग से चर्चा करा देंगे । अलग से समय देंगे । इसलिए आप लोग कृपया बैठ जायं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो बातें इस सदन में कही हैं, वे बहुत ही गम्भीर हैं। मान्यवर, इस सदन में अभी कल ही स्व0 भोपाल सिंह जी को जब इस सदन के नेतागण श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो यह बात कही गयी थी कि राजनीति का अपराधीकरण कर दिया गया है। उससे पूरे प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थिति बनी हुई है। वहां पर प्रायः इस तरह की होने वाली हत्याओं के बारे में रोज अखबारों में आता है और अन्य तरह से भी जानकारियां सामने आती हैं। आज वहां फिरौती, कत्ल, डकैती और राजनैतिक लोगों की हत्याएं आम बातें हो गई हैं। यह इसलिए भी गम्भीर है कि प्रोफेसर सत्यवीर सिंह जी ने कई बार इस बात को कहा था कि हमारी हत्या का अंदेशा है और हमें खतरा है मेरठ के पुलिस एस0 एस0 पी0 श्री बाबू राम यादव जी से । यह इस बात का द्योतक है कि एक आदमी एक बार नहीं अनेक बार इस बात को शासन के संज्ञान में और वैसे भी लोगों के संज्ञान में ला रहा है, और पुलिस उच्चाधिकारियों-आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 के संज्ञान में ला रहा है कि उसे अपनी जान का खतरा है, उस पर भी उसकी निर्मम हत्या हो जाती है और शासन उसकी सुरक्षा प्रदान करने में बिलकुल निष्फल रहता है । इसमें एक आश्चर्य-जनक बात और है–जब कोई आदमी रिपोर्ट लिखाता है तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती और मुख्यमंत्री ने इस सदन में कई बार कहा भी है कि हमारे ऐसे निदेश हैं कि हर रिपोर्ट लिखी जाएं, लेकिन इस मामले में 12 घंटे बाद और आज तक कोई उनकी ओर से रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इससे ज्यादा गम्भीर और क्या मामला हो सकता है। एक ओर तो कई बार उनके कहने के बावजूद उनकी हत्या होती है और उनको कोई सुरक्षा नहीं

प्रदान की जाती और दूसरी ओर आज तक मामले में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल ठीक नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इससे संबंधित पुलिस कप्तान के खिलाफ तत्काल यहां से कार्यवाही करें और इसमें सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी की कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है। सी0 आई0 डी0 जांच का मतलब है कि 2 साल तक मामला लम्बित हो जाएगा और कोई तथ्य सामने नहीं आ पायेंगे इसलिए उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्यवाही की जाए और इस मामले में सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाए, और यह कहना चाहता हूं कि 120–बी के तहत उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने और उनके साथियों ने और उनके नेता कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो सवाल प्रस्तुत किया है प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की हत्या के विषय में, उसके संबंध में मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जहां तक नरेन्द्र सिंह जी ने कहा हम भोपाल सिंह जी की हत्या के बाद उनके घर गए, इसमें उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वह तो इस सदन के माननीय सदस्य थे। यदि उनको इसमें एतराज है, तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा अमानुषिक कार्य है। हमारा कोई संबंधी या मित्र हो, या पार्टी कार्यकर्ता हो तो उसमें हमें ऐसे अवसर पर संवेदना प्रकट करने जाना ही चाहिए। और यह तो माननीय विधायक थे इसके प्रति सम्वेदना प्रकट करनी ही चाहिए और सम्वेदना देने जाना भी उनके घर चाहिए। लेकिन इसका जिक्र करना कि मुख्यमंत्री जी वहां गए, ऐसी उम्मीद माननीय नरेन्द्र सिंह जी से मैं कतई नहीं करता था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जहां मैं गया हूं वहां कितने लोग थे, पचास लोग थे, सौ थे कितने थे, बाहर निकलूंगा जाने कितने लोग साथ हो जायेंगे? आप भी चलते होंगे आपके साथ भी लोग चलते होंगे। आप जैसे जिम्मेदार सदस्य को जिम्मेदार व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। प्रोफेसर सत्यवीर की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। एक ही नहीं थोड़े दिनों के अन्दर तीन हत्यायें हुई उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जांच के आदेश हो गये हैं उसमें सारे तथ्य आ जाएंगे माननीय कुंवर रेवती रमण जी और माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं, तो इसके आदेश तो दे दिए गए हैं। जो तथ्य आपने बताये हैं उनकी जांच के आदेश दे दिए गये हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

सी0 बी0 आई0 की जांच करायें।

नोट:– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सी0 बी0 आई0 की जांच का अनुभव आपको नहीं होगा। कई मामले ऐसे हैं जिसमें 6-7 साल हो गये हैं। अगर आप कहें तो हम किसी को मुख्यालय से इसकी जांच के लिए भेज सकते हैं, उच्चाधिकारी को भेज सकते हैं। सी0 बी0 आई0 की जांच जो है, तो इसके लिए दिल्ली की सरकार को लिखना पड़ता है, तो ऐसा हम उचित नहीं समझते हैं कि सी0 बी0 आई0 की जांच के लिए लिख दें। माननीय नरेन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि वहां का वातावरण जो है उसको आप लोग ठीक करें। आपने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उससे एस0 एस0 पी0 को क्या मतलब था हमारा आपका दल एक था और कोई लड़ नहीं रहा था। अगर चुनाव जीता था तो वह बी0 जे0 पी0 ने जीता था।

श्री नरेन्द्र सिंह–

इसमें उनको जिताने में शासन का बहुत बड़ा हाथ है कोई जानता नहीं है?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो बूथ कैप्चरिंग होती, जो गुण्डा-गर्दी होनी थी उसको प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी।

(व्यवधान)

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जो कहा गया कि हत्या हुई, हत्याओं का जो सिलसिला है यह बहुत लम्बा है एक दर्जन से अधिक राजनैतिक हत्यायें हो चुकी हैं। हर हत्या में स्टेनगन का प्रयोग हुआ है। यह जो हथियार हैं यह सबको उपलब्ध होता है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

मैं नियमों के अन्तर्गत बुलवा सकता हूं। बिना नियमों के नहीं बुलवा सकता हूं। आपकी कोई सूचना है?

श्री विजय सिंह राणा–

मेरी इसी विषय पर सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है संक्षेप में आप अपनी बात कहें।

मुख्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से अपना उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, स्टेनगन का प्रयोग हुआ। अपराधी पकड़े गये। उसके बाद भी स्टेनगन का पता नहीं लग सका।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों का कहना है कि स्टेनगन एस0 एस0 पी0 के इशारे पर गुंडों को प्रोवाइड की जाती है। आजतक स्टेनगन क्यों नहीं पकड़ी गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी आप बैठिए; यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।

नियम 56 के अंतर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

(शोर)

(अनेक मा0 सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिए, अब इस विषय पर मैं नहीं सुनूंगा। कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए। आप जिस तरह से सदन चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलेगा। यह सदन परंपराओं और नियमों के अनुसार चल रहा है।

श्री साहब सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए।

कार्य स्थगन की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इसमें से निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं। पहली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी), श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बदन सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा अन्य जनपदों में हुए बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री मनोहर लाल की दंगों के दौरान कानपुर में लगे कर्फ्यू की अवधि का वेतन श्रमिकों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम नारायण तिवारी श्री अमरमणि, श्री अकबाल हुसैन, श्री चेतराम की दिनांक 18-2-91 को सायंकाल सिद्धार्थ नगर के बढ़नी कस्बे में इंका नेता श्री कलीमुल्ला की बम मार कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री दिनेश जौहरी, श्री रवीन्द्र शुक्ला की दिनांक 19-2-91 को ग्राम दुहाई जनपद गाजियाबाद में दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में बम विस्फोट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था की दयनीय स्थिति के संबंध में है।

(शोर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

छठी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री प्रभु दयाल प्रधान श्री किरनपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री विजय सिंह राणा, श्री बदन सिंह की है । सातवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है । आठवीं सूचना श्री विमल प्रसाद तिवारी की है । नवीं सूचना श्री ऊदल, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री मूल चन्द की है । दसवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह एवं श्री राज किशोर सिंह की है ।

उपरोक्त 10 सूचनाओं में अंतिम पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा ।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम-56 की सूचनाएं अस्वीकार की गयी, जिसमें पहली श्री चन्द्रभान मौर्य, दूसरी श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री यदुनाथ सिंह, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री रायलक्ष्मी नारायण सिंह, तीसरी श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट, चौथी श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा, पांचवीं श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, छठी श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, सातवीं श्री हरिबंश सहाय तथा आठवीं श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी) ।

(इसी बीच श्री साहब सिंह, श्री प्रधान प्रभुदयाल, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री झंगड़ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और एस0 एस0 पी0 मेरठ को बरखास्त करने की मांग करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(श्री विजय सिंह राणा के सदन के वेल में आकर बैठ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह अमर्यादित आचरण है । सदन परम्पराओं और नियमों से चलता है । सदन इस तरह से नहीं चलेगा । आप लोग अपने-अपने आसन पर जायें ।

(घोर व्यवधान)

प्रदेश में शांति-व्यवस्था के विषय पर एक घंटे की चर्चा है, उसमें मैं समय दे दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया । सदन की कार्यवाही 4 बजे पुनः श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 3 से मद संख्या 29 तक पढ़ी हुई और सदन के पटल पर रखी गयी मानी गयी ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पान्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

नोट :–† छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ तथा सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पान्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश आमोद और प्रमोद कर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और प्रमोद कर (संशोधन) अध्यादेश 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 1991 †

कृषि मंत्री (श्री शंकर सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1991 †

लोक निर्माण विभाग, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखती हूं ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

नोट :– † छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ तथा सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

कृषि मंत्री (श्री शंकर सिंह)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1991†

सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंटन) द्वितीय अध्यादेश, 1991†

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेंडर एवं निलामी) नियमावली (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 †

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेंडर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991†

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

नोट :– † छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ तथा सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1991 †

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 †

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 †

सचिव, विधान सभा–

[उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।]

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा–

[उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 जनवरी, 1991 को वापस प्राप्त हो गया।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि0 से संबंधित है और जिसे अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 68 (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का पंचम प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का पंचम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित है तथा जिसे अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश

नोट :– † छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ तथा पटल पर रखा हुआ माना गया ।

के निदेश संख्या 68 (1) के अंतर्गत दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का छठा प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का छठा प्रतिवेदन, जो समिति (1982-83) के द्वितीय प्रतिवेदन, समिति (1983-84) के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन तथा समिति (1985-86) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है और जिसे अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 68 (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का सप्तम प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का सप्तम प्रतिवेदन जो समिति (1987-88) के चतुर्थ एवं छठे प्रतिवेदन, समिति (1988-89) के नवम तथा चौदहवें प्रतवेदन में निहित संस्तुतियों के कायन्वयन से संबंधित है और जिसे अध्यक्ष द्वारा जारी किये गए प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 68 (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का आठवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का आठवां प्रतिवेदन, जो समिति (1978-79) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है और जिसे अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 68 (1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।]

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का नवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री जय शंकर पाण्डेय)

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1990-91) का नवां प्रतिवेदन, जो समिति (1978-79) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है । प्रस्तुत करता हूं ।]

नोट :– † छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1990-91) का 29वां प्रतिवेदन †

सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (श्री काशी प्रसाद)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1990-91) का उन्तीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद आगरा, तहसील किरावली, थाना सिकन्दरा स्थित ग्राम पनवारी में एक जाटव की पुत्री के विवाह के अवसर पर घटित घटना के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।]

श्री उपाध्यक्ष–

अब सदन का समय काफी बरबाद हो चुका है इसलिए अब मद संख्या 31 लेते हैं ।

(जनता दल के कुछ माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात कब तक सुनें । ऐसे सदन कब तक चलेगा ? आप आगरा के विधायक हैं आप सदन में हैं, चौराहे पर नहीं हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर जब तक आप कुर्सी पर हैं तब तक मेरी बात सुनें चौराहे पर तो आप भी नहीं हैं और मैं भी नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग पहले अपनी कुर्सी पर बैठिये ।

(सदन के फ्लोर से श्री विजय सिंह राणा :– ठीक है, मैं बैठता हूं, आप बुलाइये कहते हुए अपने आसन पर चले गये तत्पश्चात् सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये ।)

कार्य मंत्रणा समिति के समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी 1991 की बैठक में सदन के दिनांक 20 फरवरी, 1991 से 27 फरवरी, 1991 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है व पढ़ी हुई मानी गई :–

नोट :– † छापा नहीं गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[फरवरी, 1991

20 बुधवार निधन के निर्देश ।

21 गुरुवार (1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991-आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991–आधा घंटा ।

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991–आधा घंटा ।

(घ) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घंटा ।

(ङ) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991–आधा घंटा ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।

22 शुक्रवार (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।

(4) वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(5) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

23 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

24 रविवार

25 सोमवार वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य

26 मंगलवार चर्चा ।]

27 बुधवार

लोक निर्माण विभाग, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद मेरठ के मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना . . . (क्रमागत)

(घोर व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री नरेन्द्र सिंह एवं अन्य कई सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आकर बैठ जाने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं ?

श्री रविदास मेहरोत्रा–

पहले आप मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने तरीके से सुनाना चाहते हैं । (घोर व्यवधान) उसको सुन लिया, उस पर काफी चर्चा हो गयी, कब तक उसको सुनाना चाहते हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न निर्णय हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया । आप चाहते हैं कि आपके मन का उत्तर आ जाय तब तो उत्तर है और मन का उत्तर न आये तो उत्तर नहीं है।

(सदन के फ्लोर पर बैठे जनता दल के सदस्यों द्वारा एस0 एस0 पी0 को गिरफ्तार करने के नारे लगाने से व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग वापस चले जायं । पहले सदन व्यवस्थित हो जाय, फिर आपकी बात सुन लूंगा । पहले आप बैठिये, फिर सुन लूंगा ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे जनता दल के सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गये)

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रोफेसर सत्यवीर सिंह की हत्या के प्रकरण पर तीन बातों पर मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दें, यह मेरी प्रार्थना है (1) मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एस0 एस0 पी0 जो हत्या के दोषी हैं, उनको तत्काल निलम्बित करके वहां से हटायें, (2) इस प्रकरण की सी0 बी0 आई0 से जांच करायें और (3) सत्यवीर सिंह के भाई ने जो रिपोर्ट दी है, उसको लिखवा दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया एक-एक करके बोलें, एक साथ न बोलें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

तीन प्वाइंट हैं । रिपोर्ट लिखायें, एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही करके वहां से स्थानान्तरित करें और सी0 बी0 आई0 से जांच करायें । इन बातों पर मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न था, समाप्त हो चुका था । मैंने उसी समय कह दिया था कि सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे और जितने भी तथ्य हैं, उन पर जांच करा देंगे । सी0 बी0 आई0 की जांच में, जैसा कि रेवती रमण सिंह जी ने कहा, देर लगती है । इसमें और देर लगेगी । आप चाहेंगे तो मुख्यालय से भेजकर जल्द से जल्द जांच करा दूंगा । जांच में कोई अधिकारी दोषी साबित हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । जांच से पहले कैसे किसी को दोषी ठहरा दें ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें मुझे यह कहना है कि आप कहते हैं कि जांच में देर लगती है, तो सी0 बी0 आई0 से पहले भी जांच कराई गई है, देर लगती है, किन्तु जनभावना है तो कोई हर्ज नहीं है । तब तक वहां के एस0 एस0 पी0 को हटा दें । इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है । प्रतापगढ़, कुण्डा में भी अधिकारियों को हटाया गया । इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है । जो रिपोर्ट नहीं दर्ज है, उसको दर्ज करवा दें । इसमें कोई दबाव की बात नहीं है । एस0 एस0 पी0 सीनियर आदमी होता है । सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है । एस0 एस0 पी0, आई0 पी0 एस0 होता है । उसका रैंक बड़ा होता है । यह जनभावना की बात है, दबाव की बात नहीं है । तो अगर सी0 बी0 आई0 से जांच करा लेंगे, देर लगे तो लगे । घटना की रिपोर्ट आप लिखा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त उन एस0 एस0 पी0 को वहां से हटाकर किसी और को वहां भिजवा दें ।

(व्यवधान)

श्री साहब सिंह–

मान्यवर, मेरी एक मिनट बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको समय दिया जा चुका है, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी इस पर बोल चुके हैं और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी बोल चुके हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

माननीय कुंवर रेवती रमाण सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनका उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हम यह तो नहीं कर सकते हैं कि सरकार को बाध्य करें कि आपके मन मुताबिक उत्तर दें ।

श्री साहब सिंह–

मान्यवर, आप उत्तर दिलवा दें । अगर आप उत्तर नहीं दिला पायेंगे तो फिर हमें कौन संरक्षण देगा ?

श्री उपाध्याक्ष–

आप लोग बैठ जायं ।

श्री साहब सिंह–

मान्यवर, मुझे खुद अपनी हत्या का आदेश है मुझे चूंकि प्रशासनिक साजिश की वजह से मैं मेरठ में यह सब कुछ हो रहा है मान्यवर, मुझे मुख्य मंत्री जी बता दें कि मेरी हत्या कब होगी, ताकि दाह संस्कार की सूचना अपने परिवार को दे दूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं ।

श्री साहब सिंह–

मान्यवर, आप सरकार से कोई भी सही उत्तार नहीं दिला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

नियम 301 की सूचनायें

आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं

पहली सूचना श्री मूलचन्द की है, दूसरी श्री बदन सिंह की है, तीसरी श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की है, चौथी श्री गंगा भक्त सिंह की है, पांचवीं श्री हरिवंश सहाय

की है, छठी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है, सातवीं सूचना श्री हृदय नरायण की है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरठ वाले मामले में आपने कहा था कि सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय किरनपाल सिंह जी आप कृपया बैठ जायं । मैंने माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को सुन लिया, माननीय रेवती रमण सिंह जी को सुन लिया है और माननीय साहब सिंह जी भी बोल चुके हैं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री साहब सिंह, श्री प्रभुदयाल प्रधान, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री मूलचन्द, श्री विजय सिंह राणा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सोमांश प्रकाश आदि अनेक सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं ।

नियम 301 के अन्तर्गत जिन स्वीकृत सात सूचनाओं से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम मैंने पढ़े हैं, वह पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(निम्नलिखित सात स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद वाराणसी में सोरियांवा विकास खण्ड की समाज सेवा समिति गोपीपुर में प्रौढ़ शिक्षा के अनुदान की राशि में कथित रूप से किये जा रहे घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द–

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सोसाइटी समाज सेवा समिति गोपीपुर पो0 गोरा विकास खण्ड सोरियावां वाराणसी अन्तर्गत कार्यरत है । जिसका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल व मंत्री शिव प्रसाद जायसवाल है उक्त समिति सरकार द्वारा लाखों रुपया स्वीकृत कराये हैं प्रौढ़ शिक्षा व हैण्ड पाइप आदि के कार्य हेतु ।

विगत वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर सारा रुपया खा गये कुछ लोगों को अनुदेशक के पद पर नियुक्त किया था किसी को कुछ नहीं दिया और सारा धन हड़प कर गये । जिसकी जांच भी चल रही थी कुछ नहीं समझ मे आ रहा है । इस वर्ष तीस हैण्ड पाइप व 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के लिए धन प्राप्त किया है । जिसे कागज में फर्जी ढंग से चला रहे हैं सारा धन डकार रहा है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व इस गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ठ कराते हुए आवश्यक जांच व कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित गढीमा माइनर से रबी फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली में फतेहपुर सीकरी शाखा से निकलने वाली गढीमा माईनर के हेड पर न तो कोई रेगुलेटर है और न ही टेल पर जल निष्कासन हेतु वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन में पानी गिरने की स्थायी व्यवस्था है इसी कारण इस वर्ष गढीमा माईनर के निरन्तर चलने, से टेल के गढीमा नगला, गढीमा भड़ीरी. नगला लक्ष्मण और साधना व झुंडावई के कृषकों की हजारों एकड़ रबी फसल गेहूं लाहा की गल कर नष्ट हो गयी है। किसानों की इस बरबादी को सिंचाई विभाग और आगरा प्रशासन मूक दर्शी बन कर देख रहा है। कृषकों में भारी हाहाकार मचा हुआ है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय द्वारा शासन से मांग है कि प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिया जाय। गढीमा माईनर के हेड पर रेगुलेटर और टेल के जल निष्कासन हेतु वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की खुदाई कर स्थायी व्यवस्था की जाय।]

भूतपूर्व अध्यापिका श्रीमती कटोरी देवी का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं:–

भूतपूर्व अध्यापिका कटोरी देवी को सन् 1968 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज, मथुरा से सेवा से गलत आरोप लगाकर निकाल दिया गया, तब से लेकर आज तक उक्त कटोरी देवी विभिन्न रूप में जनतांत्रिक तौर-तरीकों से अपनी व्यथा सरकार को सुनाती रही है। परन्तु अनेकों सरकारें बदलने के बाद भी इनके साथ न्याय नहीं किया गया है। पिछले 15 वर्षों से कटोरी देवी विधान सभा के समक्ष धरना, अनशन आदि किए बैठी है। पुलिस द्वारा उनका कई बार उत्पीड़न किया गया है।

अभी हाल ही में दिनांक 24 जनवरी, 1991 को कोतवाली हजरतगंज लखनऊ के इंचार्ज व उनके अधीनस्थ दरोगाओं व सिपाहियों द्वारा अनशन स्थल पर ही कटोरी देवी को बुरी तरीके से मारा-पीटा गया जिससे उनके कमर में प्लास्टर चढ़ा है और उन्हें, एक्सीडेंट का केस बताकर, बलरामपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस सब से न केवल कटोरी देवी को, बल्कि सभी प्रकार के आन्दोलनों को भारी ठेस पहुंची है और यह बात मानी जा रही है कि इस समाज को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का रास्ता ही बन्द कर दिया गया है।

इस तथ्य को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय, मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय। कटोरी देवी को सवेतन, व ससम्मान बहाल किया जाय और उनको पूर्व पद पर नियुक्त किया जाय तथा 20 करोड़ रुपया हर्जाना दिया जाय।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई हरपालपुर में तहसील बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री गंगा भक्त सिंह–

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील के सैलाबी क्षेत्र की सुविधा के लिए एक नई तहसील के गठन का निर्णय शासन ने लिया है । हरपालपुर क्षेत्र नदियों से भरा होने के कारण बाढ़ग्रस्त एवं बहुत पिछड़ा है । मैंने याचिका समिति को एक याचिका प्रस्तुत की थी कि हरपालपुर में नई तहसील बनें जो सैलाबी क्षेत्र का केन्द्र स्थान है तथा थाना, अस्पताल, भवन आदि की सुविधाएं उपलब्ध है ।

इसी संबंध में विधान सभा की याचिका समिति ने स्थल निरीक्षण किया और दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 को तय किया कि इस मामले पर राजस्व परिषद् की समिति का गठन किया जाए जो विभिन्न मार्गों की दूरी, आवागमन के साधन, भवन आदि की उपलब्धता के आधार पर 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री रियाज हुसैन) ने भी हरपालपुर में तहसील बनाए जाने की संस्तुति की थी ।

अतः यह आवश्यक है कि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व ही हरपालपुर में नई तहसील का गठन किया जाए ।]

जनपद देवरिया में भटनी शुगर मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरवंश सहाय–

[महोदय, यू0 पी0 स्टेट शुगर निगम लि0, यूनिट भटनी, जिला देवरिया में भयंकर लूट खसोट मची है । अभी पिछले माह में गन्ने के खाते से 35 लाख रुपया निकाल कर सामान्य खाते में रखकर उसे हड़प लिया गया है । सीजन 1989-90 में गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ने की ढुलाई में 4.50 रु0 प्रति क्वींटल के स्थान पर 5.00 रु0 प्रति क्वींटल का अवैधानिक ढंग से भुगतान इस वर्ष कर दिया गया है । गैर कानूनी ढंग से रुपया लेकर 100 आदमियों की भर्ती कर दी गयी है । मनमाने तौर पर 22 कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी गई है । चार केन इन्सपेक्टरों की भी पदोन्नति कर दी गई है लकड़ी जलाने का टेंडर 86 रु0 प्रति क्विंटल हुआ था परन्तु 108 रु0 भुगतान किया जा रहा है। स्टोर से स्क्रेप सस्ता बेचा गया । 15 हजार क्विंटल शीरा बिना टेंडर कराये 30 रु0 प्रति क्विंटल के स्थान पर 7 रु0 क्विंटल बेचा गया है प्रेस 45 रु0 लेकर दिया जा रहा है। बैंक से मिलकर चीनी की सेल बैल्यू कम कराकर सस्ता बेचा जा रहा है । यह सारा लूट खसोट अक्षम जनरल मैनेजर कर रहा है जो दो बार विभाग से बर्खास्त हो चुका है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गन्ना मंत्री से तत्काल कार्यवाही की मांग की जा रही है ।

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फिरोजाबाद में भटसेना विद्युत उपकेन्द्र पर ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

[महोदय, फिरोजाबाद क्षेत्र के निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र भटसेना को बिजली की लाईन पड़ चुकी है और उपकेन्द्र निर्माण का कार्य लगभग पूरा है। उपकेन्द्र को वांछित विद्युत उपकरण और तार मशीनें और 5 केवी एम0 के0 ट्रान्सफार्मर की अत्यन्त आवश्यकता है अब तक करीब 400 निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति आशफाबाद और मक्खनपुर से की जाती है जो काफी दूर पड़ता है जिसके कारण आये दिन लो वोल्टेज ब्रेक डाउन के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो सकी है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। विद्युत संकट के साथ-साथ डीजल का भी घोर संकट होने के कारण किसान कराहने लगा है।

भटसेना विद्युत उपकेन्द्र को उपकरण और 5 केवी0 एम0 के0 दो ट्रान्सफार्मर तथा तारों की आपूर्ति तत्काल कर दी जाय तो भटसैना उपकेन्द्र काम करना शुरू कर देगा और उसका नतीजा होगा कि हजारों एकड़ भूमि विद्युत संकट के कारण सूख रही है, हरी भरी होगी और इस समय क्षेत्र में करीब 20 ट्रान्सफार्मर जले पड़े हैं वह अभी तक नहीं बदले जा सके हैं। इस कारण भटसैना, शोफीपुर, करबलैली, फीडरों पर किसानों का जमघट लगा हुआ है। इसलिये यह आवश्यक है कि तुरन्त ही इन फीडरों को यथावत् विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु ट्रान्सफार्मर और भटसैना उपकेन्द्र के लिए वांछित उपकरण एवं तार आदि उपलब्ध कराकर उस कार्य को पूरा कराने में वरीयता प्रदान कर किसान की फसल की रक्षा करें।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है जिस पर कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव में जिला सहकारी बैंक तथा उसकी शाखाओं में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायण–

[महोदय, उन्नाव जिला सहकारी बैंक की तमाम शाखाओं में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं हैं। जिला मुख्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक प्रशासन तमाम जांचों में दोषी पाये गये हैं। चेयरमैन कोआपरेटिव बैंक के विरुद्ध हुई जांचों में कोआपरेटिव नियमों के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं।

हिलौली ब्रांच मैनेजर पर तो गबन के मुकदमें हैं, जिनमें जांच प्रचलित है और वे प्रथम दृष्टया दोषी भी पाये गये हैं। तमाम जांचों में दोषी पाये गये सचिव फिर उन्हीं समितियों में राजनैतिक कारणों से स्थानान्तरित किये जा रहे हैं, जहां वे दोषी पाये गये थे। स्थानान्तरण मध्य सत्र में नहीं होने चाहिए।

गंज मुरादाबाद ब्रांच मैनेजर द्वारा आई0आर0डी0 ऋण एवं अनुदान में सरकार को धोखा देकर किये गये लाखों रुपये के घपलों की जांच जिला प्रशासन द्वारा की गयी थी। जिसमें वे दोषी पाये गये थे। जिला प्रशासन एवं आयुक्त लखनऊ ने कार्यवाही हेतु लिखा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था, आज तक बैंक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना आश्चर्य का विषय है साथ ही बैंक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घपलों को बढ़ावा देना है।

चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबन्धक प्रशासन का दोषी पाया जाना गंभीर प्रकरण है। ढिलाई के कारण ही जिले की सभी सहकारी बैंकों में आई0आर0डी0 में भारी घपलों को बढ़ावा मिलने के साथ लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री सत्यवीर सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास

(श्री साहब सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा व जनता दल के अनेक माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर बैठे रहने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रविदास मेहरोत्रा जी आपने इस मामले की यहां पर वकालत की थी, आपके कहने पर समय दिया गया, उसके बावजूद फिर अगर अव्यवस्था होगी तो कैसे काम चलेगा ?

(श्री रविदास मेहरोत्रा कहने लगे कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने अभी जो दो तीन बातें यहां पर रखी थी उनका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री दे दें)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन को चलने दें अपने-अपने आसन पर वापस जायं। आप अलग से बैठकर इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लीजियेगा। यह घर की चौपाल तो है नहीं, सदन है।

(घोर व्यवधान)

(श्री साहब सिंह कहने लगे कि माननीय मुख्य मंत्री से उत्तर दिला दें)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर पहले वापस जायं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

(श्री साहब सिंह कहने लगे कि जब माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद हैं तो वे ही इस पर उत्तर दें)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आपको तीन बार जनता ने चुनकर भेजा है आप कृपया कुर्सी पर बैठ जायें। आपको जनता ने कुर्सी पर बैठने के लिए भेजा है न कि धरती पर बैठने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें और इस सदन को सुचारु रूप से चलने दें। आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे।

(व्यवधान)

(श्री साहब सिंह व जनता दल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

(श्री साहब सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवाया जाये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे तो रहे हैं लेकिन आप लोग उनकी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री साहब सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो एजेण्डा पढ़ना चाहते हैं ।)

(श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, आप हमें माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे तो रहे हैं इसका उत्तर ।

श्री जय शंकर पाण्डेय–

मान्यवर, अभी साहब सिंह जी ने कहा कि उनका दाह-संस्कार कब होगा इसकी तिथि माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें तो इन्हें यह आश्वासन दिला दें कि उनकी सुरक्षा की जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया आश्वासन दे दें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

आपके जो निर्देश हैं उसके अनुसार साहब सिंह जी की पूरी सुरक्षा की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सदन का कीमती समय नष्ट हो रहा है कोई प्रक्रिया तो अपनायें । कब तक इन लोगों को समझाइयेगा या तो नियमों के अनुसार कार्यवाही करें या इनकी बात मान लें ताकि सदन तो सुचारु रूप से चल सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे अन्तिम बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग कृपापूर्वक अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(श्री साहब सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा व जनता दल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनका उनका झगड़ा तो परित्यकता पत्नी की तरह है । यह झगड़ा तय होने वाला नहीं है । यह मामला तो तलाक का मामला है यह इतनी जल्दी तय नहीं हो पायेगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

यह तो [×] हो गये हैं ।

(उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-34 पुकारे जाने पर)

(जनता दल के कई सदस्यों द्वारा फ्लोर से ही अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने से घोर व्यवधान)

(सभी जनता दल सदस्य यह नारे लगाते रहे एस0 एस0 पी0, मेरठ को गिरफ्तार करो, एस0 एस0 पी0 मेरठ को बर्खास्त करो)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(पुनः जनता दल सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गयी है, मैं आपसे चाहता हूं कि . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस समय जो सदन है, उसमें तमाम माननीय सदस्य फ्लोर पर बैठे हैं, इस प्रकार कोई व्यवस्थित सदन नहीं है और आप एजेण्डा लेने की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सब मालूम है । जब आपके साथियों ने अव्यवस्था करने का इरादा बना लिया है, तो हमें भी इसी में काम करना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप पहले सदन स्थगित करिये और माननीय नेताओं से बात करें

श्री उपाध्यक्ष–

यह लोग सभी परम्पराओं और नियमों को तोड़ रहे हैं, आप स्वयं उन्हें समझाइये ।

(मद संख्या–34 पुकारे जाने पर जनता दल के सदस्य सदन के फ्लोर पर लगातार बैठे रहे और उनके द्वारा जोर-जोर से अपनी बात कहने के कारण घोर व्यवधान होता रहा, कोई बात स्पष्ट सुनाई नहीं दी)

नोटः–[×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है।

(जनता दल सदस्यों द्वारा फ्लोर से लगातार बोलते रहने एवं भा0 ज0 पा0 द्वारा व्यवस्था उठाने के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण, आबकारी, एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर कोई संशोधन का प्रस्ताव रख रहा है ?

(किसी सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा।

(2) यह 7 जनवरी, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 की धारा 25 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 25 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(च) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 1 सन् 1991

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष :—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के अव्यवस्थित होने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के निर्देश पर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(बीच व्यवधान के मध्य मद संख्या-37 पर किसी के न खड़े होने पर)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा ।

(2) यह 29 अक्टूबर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1979 की धारा 4 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 1990

3–(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य मद संख्या–40 पर किसी के न खड़े होने पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 21 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा ।

(2) धारा 2 से 16, 20 और 21 दिनांक 1 अगस्त, 1990 को धारा 17 और 18, दिनांक 27 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 की धारा 128 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 128 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (सात), (आठ), (तेरह) और (चौदह) निकाल दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, प्रथम परन्तुक में शब्द "और न उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन माल पर चुंगी और उपधारा (1) के खण्ड (तेरह) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय होंगे," निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 153 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 153 में, खण्ड (क) में, शब्द "और चुंगी या पथ-कर की दशा में, चुंगी या पथकर की सीमा का अवधारण" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 154, 155 और 155-क का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 154, 155 और 155-क निकाल दी जायेंगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5—मूल अधिनियम की धारा 166 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "जो चुंगी या पथकर या तुरन्त मांग किए जाने पर देय इसी प्रकार के किसी कर" के स्थान पर शब्द "जो तुरन्त मांग किए जाने पर देय किसी कर" रख दिए जायेंगे । धारा 166 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 173-क में, उपधारा (1) में, शब्द "चुंगी या पथकर या तुरन्त मांग किये जाने पर देय इसी प्रकार के किसी कर" के स्थान पर शब्द "तुरन्त मांग किए जाने पर देय किसी कर" रख दिए जायेंगे । धारा 173-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) और (आठ) में निर्दिष्ट कर से भिन्न" निकाल दिए जायेंगे । धारा 338 का संशोधन

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 172 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ञ) और प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिए जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 172 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 198 निकाल दी जाएगी । धारा 198 का निकाला जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 219, में, खण्ड (क) में, शब्द "और चुंगी तथा पथकर की दशा में, चुंगी तथा पथकर की सीमा का अवधारण" निकाल दिए जायेंगे । धारा 219 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 227 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) और (घ) निकाल दिए जायेंगे । धारा 227 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 466 निकाल दी जाएगी । धारा 466 का निकाला जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 503 में, खण्ड (5) निकाल दिया जायगा । धारा 503 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 504 में, उपधारा (1) में, शब्द "चुंगी तथा पथकर या तात्कालिक मांग पर देय इसी वकार के अन्य कर" के स्थान पर शब्द "तात्कालिक मांग पर देय किसी कर" रख दिए जायेंगे । धारा 504 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 515 निकाल दी जाएगी । धारा 515 का निकाला जाना

अध्याय—चार

संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 14 का संशोधन

16—संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 14 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छः) में, शब्द "के खण्ड (सात) और (आठ) में उल्लिखित कर को छोड़कर उक्त उपधारा" निकाल दिए जायेंगे।

अध्याय—पांच

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

17—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 को, जिसे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "30 सितम्बर 1990" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1991" रख दिए जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1991" रख दिए जायेंगे।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

19—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं। उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 18 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय—दो, तीन, चार और पांच में निर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेंगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 27 सन् 1990

चुंगी, पथकर इत्यादि का समाप्त किया जाना

20—दिनांक 1 अगस्त, 1990 को और उस दिनांक से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (सात), (आठ), (तेरह) और (चौदह) या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ञ) जैसा ये उपबन्ध ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व थे, में निर्दिष्ट कर समाप्त हो जायेंगे और उनका आरोपण या संग्रह नहीं किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट मूल अधिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में, विशेष रूप से छावनी के प्राधिकारी से चुंगी या पथकर सीमाओं की स्थापना और चुगी या पथकर के संग्रह और विभाजन के करार के संबंध में, कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश 31 जुलाई, 1992 के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में लागू होतें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 21 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य मद संख्या-43 पर किसी के न खड़े होने पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायलय अधिनियम, 1887, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

(भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है)

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम 1991 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जनवरी, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय—दो

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 12 सन् 1887 की धारा 6 का संशोधन

2—बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें नामित किसी मुंसिफ के सम्बन्ध में निदेश दे सकता है कि उसकी अधिकारिता का विस्तार पच्चीस हजार रुपये से अनधिक ऐसे मूल्य के जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त तत्सदृश वादों पर होगा।"

धारा 21 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1), (1-ए) और (1-बी) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1) उपर्युक्त के सिवाय, किसी सिविल न्यायाधीश की किसी

डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील--

(क) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में उच्च न्यायालय को की जायेगी ;

(ख) जहां उस मूलवाद का (जो चाहे सुसंगत दिनांक के पूर्व या पश्चात् संस्थित या आरम्भ किया गया हो) जिसमें, या जिससे उद्भूत कार्यवाही में वह डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य एक लाख रुपये, या पांच लाख रुपये से अनधिक ऐसे उच्चतर धनराशि, जिसे उच्च न्यायालय समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, से अधिक न हो, जिला न्यायाधीश को की जायेगी ।

स्पष्टीकरण:--इस उपधारा और उपधारा (1-क) और (1-ख) के प्रयोजनों के लिए सुसंगत दिनांक का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के दिनांक या उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के प्रारम्भ के दिनांक से है ।

(1-क) किसी सिविल न्यायाधीश की किसी डिक्री या आदेश से, जहां मूल बाद का, जिसमें, या जिससे उद्भूत कार्यवाही में वह डिक्री या आदेश दिया गया था, मूल उपधारा (1) के खण्ड (ख) के द्वारा या अधीन निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं था, कोई अपील जो उच्च न्यायालय में संस्थित की गई हो और सुसंगत दिनांक के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, अधिकारितायुक्त जिला न्यायाधीश को अन्तरित हो जायेगी, जो उसे या तो स्वयं विनिश्चित कर सकता है या अपने अधीन किसी अपर न्यायाधीश को सौंप सकता है :

परन्तु सुसंगत दिनांक के पश्चात् उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी किसी अपील में पारित कोई निर्णय, डिक्री या आदेश विधिमान्य होगा मानो उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन अपील वापस ले ली हो ।

(1-ख) किसी सिविल न्यायाधीश द्वारा सुसंगत दिनांक के पूर्व दी गई डिक्री या आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील के लिए जो सुसंगत दिनांक के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय को की जा सकती रही हो किन्तु जो उपधारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जा सकती है, नियत अवधि काल, परिसीमा अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुए भी, वही समझा जायगा और सदैव से वही रहा समझा जायगा मानो ऐसी अपील उच्च न्यायालय को की जा सकती रही हो ।"

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से" निकाल दिये जायेंगे ।

5--मूल अधिनियम की धारा 25 में,-- धारा 25 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसे वह उचित समझे किसी सिविल

न्यायाधीश या मुंसिफ को प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसे मूल्य के जिसे वह उचित समझें, वादों के विचारण के लिये प्रदत्त कर सकता है और इस प्रकार प्रदत्त किसी अधिकारिता को वापस ले सकता है :

परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों के सम्बन्ध में इस उपधारा में पांच हजार रुपये के प्रति निर्देश को पच्चीस हजार रुपये के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय" रख दिये जायेंगे, और शब्द "अधिक्षेत्रप्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है" के स्थान पर शब्द "अधिकारिता प्रदत्त कर सकता है और इस प्रकार प्रदत्त अधिकारिता को वापस ले सकता है" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

अध्याय—तीन

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9 सन् 1887 की धारा 15 का संशोधन

6—प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात्—

"(2) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपवादों और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जिनका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक न हो लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे :

परन्तु किसी पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिए या पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के सम्बन्ध में किराये की, या पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उसके उपयोग और अध्यासन के लिए उससे प्रतिकर की, वसूली के लिए वादों के सम्बन्ध में, इस उपधारा में पांच हजार रुपये के प्रति निर्देश को पच्चीस हजार रुपये के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "भवन" का वही अर्थ है जो द्वितीय अनुसूची में अनुच्छेद (4) में दिया गया है ।"

अध्याय—चार

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908 की धारा 115 का संशोधन

7—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की, जिसे आगे इस अध्याय में उक्त संहिता कहा गया है, धारा 115 में,—

(क) शब्द "बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के वादों या अन्य कार्यवाहियों से, जिनके अन्तर्गत 1 अगस्त, 1978 के पूर्व

संस्थित ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां भी हैं" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"एक लाख रुपये, या पांच लाख रुपये से अनधिक ऐसी उच्चतर धनराशि जिसे उच्च न्यायालय समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके नियत करे, से अधिक मुल्य के मूलवादों या अन्य कार्यवाहियों से जिसमें, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सिविल (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ की तारीख या ऐसी अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व संस्थित ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां भी हैं ;"

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु यह भी कि जहां ऐसी प्रकृति की कोई कार्यवाही जिसमें जिला न्यायालय इस धारा के अधीन अभिलेख मंगवा सकता है और आदेश पारित कर सकता है, ऊपर निर्दिष्ट प्रारम्भ की सुसंगत तारीख के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में लम्बित हो, वहां उच्च न्यायालय उसका निस्तारण करेगा।"

8--उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 39 में, नियम 2 में, उपनियम (2) में, परन्तुक में से; खण्ड (घ) निकाल दिया जायगा। प्रथम अनुसूची के आदेश 39 में संशोधन

अध्याय--पांच

विविध

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 31 सन् 1990

9--(1) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन या चार में निर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1991

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा।

(2) यह 1 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 16 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में, उपधारा (2) में, खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्---

"(7-क) मण्डी क्षेत्र में हाट और पैंठ के समुचित विकास, और वहां पर क्रय और विक्रय के सौदों में लगे हुये व्यक्तियों के लिये उचित सुविधाओं, की व्यवस्था करेंगी ;

(7-ख) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी ;"

धारा 17 का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 17 में:---

(क) खण्ड (3) में, उप खण्ड (ख) में,

(एक) "शब्द डेढ़ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत" रख दिये जायेंगे,

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "उपभोक्ता को" के पश्चात् शब्द "केवल अपने घरेलू उपभोग के लिये" बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(3-क) उपविधियों में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिये नियत अवधि के ठीक बाद के दिनांक से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि पर दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज वसूल करना जिसकी गणना उपविधियों में नियत रीति से की जायेगी :"

धारा 19 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष की कुल प्राप्तियों [जिसके अन्तर्गत धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गई धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान नहीं है] में से परिषद् को अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि, जो प्रथम पचास लाख रुपये की प्राप्तियों में से पचास प्रतिशत से अधिक न हो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर घोषित करे, और पचास लाख रुपये से अधिक की सभी प्राप्तियों का भुगतान करेगी।"

धारा 19-ख का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 19-ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात्:—

(1) कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को निम्नलिखित रूपों में सुविधायें प्रदान करना :—

सुख-सुविधायें, मण्डी विषयक आसूचनाएं, उचित तौल, वर्गीकरण, क्वालिटी नियंत्रण, भण्डारण, उपयोगितावर्धन क्रियाकलाप के लिये आधारभूत संरचनायें, कुपद्धतियां, बहु व्यापार प्रभार, उद्ग्रहण तथा अन्य आहरण में कमी लाना, नवीन मण्डी स्थल में विभिन्न व्यापारों के लिए विशेष सुविधायें तथा अन्य ऐसी सुविधायें देना जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मण्डी क्षेत्र में आवश्यक समझी जायें ;

(2) प्रधान मण्डी स्थलों, उप मण्डी स्थलों, हाठ और पैंठ का विकास करना और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना और मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों और

अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना ;

(3) अधिनियम के अधीन अन्य विकास और सुव्यवस्था विषयक प्रयोजन ।

स्पष्टीकरण:—"नवीन मण्डी स्थल" का तात्पर्य थोक सौदा करने के लिये धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों से है ।"

धारा 23 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) में, शब्द "का एक सचिव" के स्थान पर, शब्द "के उतने सचिव" रख दिये जायेंगे ।

धारा 24 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(1) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायं या जो उपविधियों में उपबन्धित किये जायं या जैसा परिषद् या निदेशक लिखित आदेश द्वारा निर्देश दें :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जायं तब निदेशक सचिवों में से एक सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा को उसका और उनमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किये जाने वाले कर्त्तव्यों को अवधारित करेगा ।"

धारा 26—त का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 26-त के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :

परिषद् की निधि

"26-त (1) परिषद् की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जयेगी और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धारा 26-तत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य मंडी विकास निधि में जमा की जाने वाली धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि, जमा की जायगी ।

(2) विशेष रूप से और विनियोजन और निस्सारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात् :—

(1) परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता आनुतोषिक, अन्य भत्तों ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हों, पेंशन और अन्य अंशदान का भुगतान ;

(2) परिषद् के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान ;

(3) परिषद् के अधिष्ठान से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों या सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ।"

"26-तत (1) परिषद् के लिये एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात्--

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि

(क) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उसके उतने प्रतिशत को छोड़कर जितने राज्य सरकार परिषद् की निधि में जमा करने के लिये निदेश दे।

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निदेश दे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, अधिनियम के उपबन्धों अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्:--

(1) मण्डी क्षेत्र में कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वलों को सुविधायें ;

(2) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पैंठे का विकास और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण ;

(3) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मण्डी की गलियों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत ;

(4) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान, वर्गीकरण और मानकीकरण ;

(5) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय की स्थिति में सामान्य सुधार से सम्बन्धित विषय ;

(6) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्पविकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता ;

(7) परिषद् के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये भवन या भूमि का अर्जन या निर्माण या पट्टे पर या अन्यथा लेना ;

(8) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियंत्रण ;

(9) बैठक और विधिक मामलों पर व्यय ;

(10) राज्य में मण्डी समितयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण ;

(11) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिये स्थल नक्शा और निर्माण प्राक्कलन तैयार करने में और महायोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता ;

(12) परिषद् और मण्डी समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा ;

(13) धारा 16, 19 और 19-ख में निर्दिष्ट ऐसे विषय जो पूर्ववर्ती खण्डों के अंतर्गत न आते हों ;

(14) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिये कोई अन्य प्रयोजन ।"

धारा 33 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"33—परिषद्, विनियमों द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय अपनी कोई शक्ति निदेशक को प्रतिनिहित कर सकती है ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

33-क (1) जहाँ निदेशक का उसको की गई किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाय कि किसी मण्डी समिति में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, वहां वह उस समिति से ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है ।

मण्डी समितियों के कर्त्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की निदेशक की शक्तियां

(2) यदि ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय तो निदेशक उसे करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, और यह निदेश दे सकता है कि ऐसे पालन में उपगत व्यय का जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिये उपयुक्त पारिश्रमिक भी है, भुगतान समिति द्वारा तुरन्त किया जायेगा ।

(3) यदि ऐसे व्यय का भुगतान इस प्रकार न किया जाय तो निदेशक परिषद् से भुगतान की अपेक्षा करेगा और परिषद् इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को समिति से वसूल करने की हकदार होगी ।

33—ख-(1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि परिषद या समिति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती हैं, आयुक्त या कलक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, परिषद् या समिति की किसी

राज्य सरकार की शक्तियां

सम्पत्ति, कार्यालय, दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या परिषद् या समिति के सभी या किसी कार्यकलाप की जांच करने या कराने और ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) यथास्थिति परिषद् या समिति ऐसे आयुक्त या कलेक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जांच करने के लिये सभी सुविधायें देगी और यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग की जाय जो उसके कब्जे में हों, तब उसे प्रस्तुत करेगी।"

धारा 37-क का संशोधन

'10—मूल अधिनियम की धारा 37-क में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच सौ' के स्थान पर शब्द "एक हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 40 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (2) में, खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(14-क) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने, उससे निकालने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति ;"।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 23सन् 1990

12—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)
(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की सूचना है कि 17 जुलाई, 1990 को बजट पारित होने के उपरान्त भी फरवरी तक बजट की धनराशि जिले में नहीं पहुंची ।

नियम 300 में आपको अस्वीकार किया । अगर बजट की धनराशि नहीं पहुंची तो आपके मित्र हैं, उन्हें समझाइए ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अब यह अलग हो गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम 4 बजकर 58 मिनट तक के लिए उठते हैं ।

(इस समय 4 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने, सदन की कार्यवाही 4 बजकर 58 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया । 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष 1990-91 का प्रथम अनुपूरक अनुदान

लोक निर्माण विभाग, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बंटवा दी जायं । (प्रतियां बांटी गयीं)

नियम 51 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 21-2-91 को नियम 51 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुयीं, जिसमें श्री बाबूलाल सरोज, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री संत श्रीराम द्विवेदी, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री बदन सिंह आदि की हैं, इनमें से सर्वश्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री बदन सिंह की सूचनाएं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी हैं

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 फरवरी, 1991

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/निगमों में आरक्षण की स्थिति

कार्यालय का नाम	श्रेणी–1		श्रेणी–2		श्रेणी–3		श्रेणी–4	
	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
1–विधिक माप विज्ञान विभाग	25	शून्य	20	शून्य	17.39	0.57	18.57	0.37
2–संचरण निदेशालय	संयुक्त सचिव, खाद्य तथा रसद संचरण निदेशालय के निदेशक हैं।		कोई पद स्वीकृत नहीं है		12.50	शून्य	25	शून्य
3–उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय ..	कोई पद स्वीकृत नहीं है।		केवल एक पद स्वीकृत है।		21.4	शून्य	19.35	1.6
4–राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	33	शून्य	शून्य	केवल एक पद स्वीकृत है	14.7	..	11.9	शून्य
5–उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।	20	शून्य	9	शून्य	10.79	शून्य	18.52	1.77
6 खाद्य आयुक्त कार्यालय	कोई पद आरक्षित नहीं है।				1[illegible]	शून्य	21	शून्य
7–हाट शाखा ..	शून्य	शून्य	21	1	12.3	शून्य	22	शून्य
8–आपूर्ति शाखा ..	18	शून्य	18.9	शून्य	18.64	शून्य	24.94	0.5
9–लेखा शाखा ..	इन पदों पर वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी वित्त विभाग द्वारा तैनात किये जाते हैं।				18.8	शून्य	23	शून्य

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

संलग्नक–1

वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम व द्वितीय उरई को मदवार आवंटित धनराशि का विवरण

मद	वर्ष 1989–90 में आवंटित धनराशि		वर्ष 1990–91 में आवंटित धनराशि	
	बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम	बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय	बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम	बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय
	(लाख रूपये में)			
अ—निर्माण मद—				
राजघाट नहर परियोजना के पुनर्प्र प्रतिरुपण कार्य	3.27	4.39	8.60	7.04
ब—रख रखाव कार्य—				
1—नहरों के कार्य	31.00	31.50	44.50	43.50
2—बंधियों के कार्य	1.75	11.45	2.90	1.30
3—नालों के कार्य	1.30	4.30	1.20	3.15

वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम व द्वितीय उरई द्वारा उक्त आवंटन के समक्ष व्यय का विवरण

मद	वर्ष 1989–90 में किया गया व्यय		वर्ष 1990–91 में किया गया व्यय (माह दिसबर, 1990 तक)	
	बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम	बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय	बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम	बेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय
	(लाख रुपये में)			
अ—निर्माण मद—				
राजघाट नहर परियोजना के पुनर्प्रतिरूपण कार्य	5.99	5.01	2.67	1.73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब—रख रखाव कार्य—							
1—नहरों के कार्य	..	..	..	30.97	31.50	26.02	20.14
2—बंधियों के कार्य	..	..	..	1.60	1.24	1.3	0.61
3—नालों के कार्य	..	..	..	1.26	4.52	0.6	2.10

वर्ष 1990–91 में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम एवं द्वितीय उरई द्वारा किये गये व्यय के उक्त आंकड़े दिसम्बर 1990 तक (अर्थात् 1 अप्रैल, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक) के हैं।

नहरों पर किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

रखरखाव कार्यों की मद व निर्माण कार्य	बेसवा नहर उरई प्रखण्ड – 1		बेसवा नहर उरई प्रखण्ड–2	
	व्यय लाख रु0 में (89–90)	व्यय लाख रु0 में (90–91)	व्यय लाख रु0 में (89–90)	व्यय लाख रु0 (90–91)
रख रखाव कार्य नहरों के लिये —				
(1) सिल्ट सफाई, बैंकों को मजबूत करना रेगुलेशन व खादी बन्द करना एवं जंगल सफाई।	24.85	21.07	28.23	17.20
(2) पक्के कार्य एवं निरीक्षण भवन	3.54	3.24	1.61	1.18
(3) जाप, ट्रैक्टर व अन्य	2.58	1.71	1.66	1.76
योग	30.97	26.02	31.50	20.14

पी0एस0यू0पी0—एल030 विधान सभा (40)—1991—572।